दशम सभा, खंड 33, अंक 6

सोमवार, 1 अगस्त 1994

10, श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेज़ी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेज़ी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

1 अगस्त, 1994 के लोकसभा वाद-विवाद

हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
89	नीचे से 12	भाई	भोई
117	नीचे से 7	नोतिश	नोतोश
121	14	वाड्डो	वाड्डे
196	नीचे से 5	भाटि	भाटिया

विषय—सूची

दशम माला, खंड 33, ग्यारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 6, सोमवार, 1 अगस्त, 1994/10 श्रावण, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में		1-5
पत्रों के लिखित उत्तर		5
तारांकित प्रश्न संख्या	101-120	5-28
अतारांकित प्रश्न संख्या	1067-1124 और 1126-1282	28-201

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित x चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

सोमवार, 1 अगस्त, 1994/10 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11.00 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं सम्बन्धी सयुंक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके सहयोग के लिए आपका आभारी हूं।

(व्यवधान)

श्री सामेंनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हम संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री पी०सी०चाक्को (त्रिचुर) : आप इसका मज़ाक उड़ा रहे हैं ---**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, संसद की गरिमा बनाए रखना आपके हाथ में है, ऐसी आपसे आशा है।--**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आपके बोलने से मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। इसका प्रबंध करें कि मेरी आवाज सुनाई दे।

[अनुवाद]

मेरे विचार से इस संसद ने अनेक कठिनाइयों तथा जटिल समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया है और जिन समस्याओं का अब हम सामना कर रहे हैं उनका समाधान करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन और की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन हमारे समक्ष है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यह की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन नहीं है क्योंकि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के अपने विचार हैं। कुछ सदस्य सोचते हैं कि कोई कार्यवाही नहीं की गई है और श्री पासवान उनमें से एक हैं।

मेजर जनरल (रियायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, हम सभी ऐसा सोचते हैं --**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपको यह अधिकार है और न केवल अधिकार है बल्कि आपका यह कर्त्तव्य है कि आप इस संसद तथा बाहर जनता को बताएं कि इस की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि आप सभा में यह नहीं बोलेंगे तो इस सभा के बाहर आपको इससे अच्छा मंच नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आपकी भावनाओं, निर्णयों और विचारों का आदर करते हैं लेकिन साथ ही हमें दूसरे पक्ष को भी इस बारे में विचारों, भावनाओं, और निर्णयों को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : सदन के वरिष्ठतम सदस्य की रिपोर्ट को दबाया गया है। उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। उस रिपोर्ट को न मानकर उस नेता के ऊपर चार्ज लगाया गया है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ इस सभा में करते हैं वह अन्य सभाओं के लिए उदाहरण होता है। आप जो कुछ आज करते हैं कल उसका अनुकरण किया जाएगा। इसलिए हमें अत्यंत जटिल कार्य करना है। हमें तलवार की धार पर चलना है।

-- (व्यवधान) --

अध्यक्ष महोदय : कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए। मैं समझता हूं कि आप न केवल सभा के विभिन्न सदस्यों तथा सत्ता पक्ष के साथ सहयोग कर रहे हैं विभिन्न सदस्यों तथा सत्ता पक्ष के साथ सहयोग कर रहे हैं बल्कि आप हर संभव तरीके से पीठासीन अधिकारियों के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। आप अब भी सहयोग करेंगें। मेरा आपसे यह कहना है कि हम कार्य सूची की केवल एक मद पर ही चर्चा न करते रहें और हमें कार्यसूची की अन्य मदों पर चर्चा करने के हमारे दायित्व, अधिकार तथा कर्त्तव्य से भी विमुख नहीं होना चाहिए। यह एक बात है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सात हजार करोड़ रुपया इस देश की गरीब जनता का गबन हुआ है,

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे भी इंटरप्ट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आपको यह सब कहने का पूर्ण अधिकार है और आप जो कुछ भी कहेगें यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा, वह उसका एक भाग होगा। यदि आप कुछ नहीं कहेगें अथवा एक साथ बोलेगें, एक साथ खड़े होगें तो कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और सब कुछ अस्पष्ट है। इसलिए आपको एक-एक करके बोलना चाहिए।

-- (व्यवधान) --

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं पहले मुझे वह कहने दीजिए, उसके बाद आप जो कुछ कहना चाहते हैं बोलिए। मेरा प्रस्ताव यह है कि **-- (व्यवधान) --**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभा में कार्य नहीं करना चाहते हैं तो मैं उत्तेजना को भड़काना नहीं चाहता हूं। मैं सभा स्थगित कर देता हूं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यदि आप सभा स्थगित कर दें तो वही अच्छा होगा **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमने दलों के नेताओं के साथ इस मामले पर चर्चा की है। अब आप जो कुछ भी इस सभा में करना चाहते हैं वह या तो विभिन्न दलों की सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए अथवा नियमों का पालन करते हुए या फिर मतदान द्वारा किया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें सर्वसम्मति पर विश्वास नहीं है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सर्वसम्मति से इस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आप नियमों का पालन करें।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय जे०पी०सी० रिपोर्ट पर कन्सेन्सेज है। **(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की देवी का चीर हरण हो रहा है और आप चुप्पी साधे बैठे हैं। यदि आज आपने कोई निर्णय दिया और लोकतंत्र की हत्या को बचाने में आपका सहयोग रहा तो आपका इतिहास बनेगा। लोग कहेंगे कि लोकतंत्र की देवी का चीर हरण हुआ था और लोक सभा के अध्यक्ष ने चीर हरण को बचाया है तो आप इतिहास बनाइये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्य ऐसे शब्द बोल रहे हैं। शायद उन्हें प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। मैं उन्हें माफ कर देता हूं लेकिन कृपया इन शब्दों को दोहराइए नहीं।

मेरा यह कहना है कि या तो सर्वसम्मति से अथवा नियमों का पालन कर अथवा मतदान द्वारा इस पर निर्णय लें अथवा अध्यक्ष महोदय को इसका समाधान करने दें। यदि आप इसका समाधान करने का कार्य अध्यक्ष महोदय पर छोड़ देगें तो वह सभी सदस्यों में चर्चा करने के बाद इसका समाधान करेंगें।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आपके पास तीन दिन थे। उस समय के दौरान क्या हुआ ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें सभा में कुछ बातें स्पष्ट करनी हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा नहीं है कि हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे विश्वास है कि यह कहना कि इस संसद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए किसी के सामने झुकना नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि कतिपय मूल मुद्दे हैं । यदि सरकार अपनी चालाकी से नियोजित रूप से बनाए गए बहुमत से इस पर निर्णय करने जा रही है तो उसे ऐसा करने दीजिए। यह ठीक है।

श्री राम विलास पासवान : प्रारंभ में ही हमने आपको यह कहा था कि जब तक प्रतिवेदन वापिस नहीं लिया जाता तब तक यह सभा कार्य नहीं कर पाएगी। आप पीठासीन अधिकारी थे।

अध्यक्ष महोदय : सभा मतदान द्वारा यह निर्णय करती है कि इसे वापिस लिया जाए तो इसे वापिस लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप हाऊस के मालिक हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मालिक नहीं हूं। यह सभा मालिक है।

[हिन्दी]

आप अकेले नहीं मानते हैं तो सारा हाउस कैसे मानेगा मेरा?

श्री राम विलास पासवान : भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ मुद्दा नहीं हो सकता है। प्रधान मंत्री फंसे हुए हैं, मंत्री सब फंसे हुए हैं। यहां पर यह तब तक नहीं चल सकता है जब तक सरकार इस रिपोर्ट को वापस नहीं लेती है **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जब संयुक्त संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तब भी वे अल्पमत में थे। अब जब छः माह के बाद उन्होंने सभा पटल पर की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तो उन्होंने अपना बहुमत जुटा लिया है। इसलिए संसदीय समिति की सर्वसम्मति, एकता तथा मतैक्य को जुटाये गये इस बहुमत को विहप जारी कर निष्फल किया जा रहा है। सभा की कार्यवाही उनके द्वारा ही रोकी जा रही है न कि किसी और द्वारा। संसद को जुटाये गए इस बहुमत द्वारा कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए यदि वे समितियों तथा संसद का सम्मान नहीं करना चाहते हैं तो हमें सभा को भंग कर जनता के समक्ष जाना चाहिये जनता संप्रभु है और संसद से ऊपर है। ये यह सबक सिखा देगें कि संसद को किस प्रकार कार्य करना चाहिए। यह बात हमारे सामने स्पष्ट है। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। ससंद के समक्ष केवल यही विकल्प है --**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम चर्चा करना चाहते हैं -- **(व्यवधान)** हम पूर्ण चर्चा करना चाहते है -- **(व्यवधान)** हम चर्चा चाहते हैं क्योंकि जो भी दोषी है सरकार द्वारा उसे सज़ा दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि यह सभा चले -- **(व्यवधान)** महोदय, कृपया हमें अपनी बात स्पष्ट करने की अनुमति दीजिए --**(व्यवधान)** महोदय, आप चर्चा करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? -- **(व्यवधान)** वे सभा को चलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम चर्चा करना चाहते हैं और जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए -- **(व्यवधान)** महोदय, विपक्ष के सदस्य चर्चा करने से क्यों डर रहे हैं? -- **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ने प्रतिवेदन को वापस क्यों नहीं ले सकते हैं? --**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : सभा के समक्ष अनेक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। यह भी महत्वपूर्ण है --**(व्यवधान)** हम उन पर चर्चा करना चाहते है -- **(व्यवधान)** वे इस पर चर्चा करने से क्यों डर रहे हैं -- **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ये यहां ही प्रतिवेदन को वापस ले सकते हैं -- **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा स्थगित कर रहा हूं। लेकिन सभा स्थगित करने से पहले मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस सभा की गरिमा को बनाएं रखें और मैं नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे सभा के बाहर बैठक करें और निर्णय लें कि इस सभा का कार्य कैसे चलाया जाना चाहिए?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। आपमें दूसरे पक्ष के विचार सुनने का भी धैर्य होना चाहिए।

-- (व्यवधान) ---

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने यह गतिरोध दूर करने का प्रयास किया सदस्यों के विचार सुनने के बाद यदि आप कतिपय बातों से सहमत नहीं हैं और बहस के बाद भी मतभेद बने हुए हैं तो स्वयं आपको यह निर्णय लेना था कि कौन सा रास्ता उपयुक्त है। उसके बाद ही आप उन मुद्दों पर उपयुक्त दिशानिर्देश दे पाऐंगें यह बहुमत का अथवा अल्पमत का या अन्य कोई प्रश्न नहीं है। मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जब एक बार आप निर्णय ले लेगें तो आप जो भी निदेश सभा में देगें सरकार उसे स्वीकार कर लेगी और उस पर कार्यवाही की जाएगी **- (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11.00 म० पू० पर पुन : समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भारतीय राजनयिकों के साथ दुर्व्यवहार

*101. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों और भारतीय मिशनों के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें नजरबंद रखने की घटनाओं में काफी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान हुई ऐसी घटनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/ उठाए जायेंगे;

(ग) क्या सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच राजनयिकों के साथ व्यवहार संबंधी आचार संहिता के कार्यान्वयन से संबंधित विवादों की समीक्षा करने और इस प्रयोजनार्थ भारत-पाक संयुक्त सचिव स्तर पर बातचीत करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) पिछले छह महीनों में ऐसी लगभग 80 घटनाएं हुई हैं, जो पाकिस्तान में मिशनों में तैनात हमारे कार्मिकों की दुःसाहसी तथा भयभीत करने वाली निगरानी तथा उनको परेशान किए जाने से संबंधित हैं। इस घटनाओं को जो भारत और पाकिस्तान में तैनात राजनयिक/कौंसली कार्मिकों के प्रति व्यवहार से संबंधित आचार संहिता के अन्तर्गत पाकिस्तान की बाध्यताओं और दायित्वों का उल्लंघन करती हैं, पाकिस्तान के प्राधिकारियों के साथ मामला-दर-मामला आधार पर उठाया गया है।

सरकार ने 7 अप्रैल, 1994 को पाकिस्तान की सरकार को यह प्रस्ताव दिया कि दोनों देशों के विदेशी कार्यालयों के बीच इस आचार-संहिता के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए विचार-विमर्श किया जाए। यह प्रस्ताव इस्लामाबाद द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है इस बीच हाल ही में नई दिल्ली और इस्लामाबाद में सम्बद्ध मिशन और अधिकारियों के बीच सम्बद्ध मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिए बातचीत हुई। इस आचार-संहिता को गंभीरतापूर्वक और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के तौर-तरीकों पर अनेक सुझाव दिए गए। दोनों पक्ष इस विषय पर और आगे बातचीत करने के लिए सहमत हुए।

[अनुवाद]

पाकिस्तान की भारत विरोधी भूमिका

*102. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अमरीकी कांग्रेस के रिकार्ड में रखे गये "कश्मीर कनेक्शन" संबंधी दस्तावेज की जानकारी है जिसमें पाकिस्तान और खाड़ी के देशों के कट्टरपंथियों की भारत विरोधी भूमिका का ब्यौरा दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने वह दस्तावेज प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को अन्य देशों के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ङ) सरकार ने अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रेन्जटेटिव की हाउस रिपब्किन रिसर्च कमेटी के आंतकवाद तथा गैर-परम्परागत युद्ध से संबंधित कार्य दल द्वारा तैयार किया गया "द कश्मीर कनेक्शन" नामक दस्तावेज देखा है। इस दस्तावेज में अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद में पाकिस्तान की भूमिका तथा मध्य एशिया क्षेत्र में आमतौर से तथा भारत में विशेष रूप से इसके गम्भीर परिणामों का उल्लेख किया गया है और उसकी छानबीन की गई है। इस दस्तावेज में कश्मीर में चल रहे संघर्ष के सैन्य/आतंकवादी आयाम की संक्षेप में समीक्षा की गयी है। इसमें इस बात का प्रमाण भी दिया गया है कि किस प्रकार भारत से गए उग्रवादियों, अफगान मुजाहिदिनों तथा स्वेच्छा से गए अरबियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है जिसको पूरा करने के पश्चात उन्हें कश्मीर भेजा जाता है। इस दस्तावेज में उन कुछ आधुनिक हथियारों की सूचियां भी दी गई हैं जो उन्हें दिए जाते हैं। इस गैर-सरकारी रिपोर्ट के अन्त में यह कहा गया है कि कश्मीर में यह लड़ाई और बढ़ेगी तथा आतंकवाद शेष भारत में भी फैल जाएगा।

सरकार का बराबर यह मानना है कि भारत के विरुद्ध आतंकवाद और विध्वंसपूर्ण पाकिस्तान का समर्थन जारी है और उसमें कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है उन्हें हथियार और वित्तीय समर्थन देता रहा है और उन्हें तथा भाड़े के अफगान मुजाहिदिनों को नियंत्रण रेखा के पार जम्मू एवं कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए सक्रिय रूप से मदद कर रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग

*103. **श्री काशीराम राणा :**
डा० परशुराम गंगवार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस समय चार लेनें बनाई जा रही हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजना के अंत तक जिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेनें बनाई जाएंगी उनका ब्यौरा क्या है और उनकी कुल लंबाई कितनी है तथा उन पर कितना धन व्यय किया जाएगा, और

(ग) इसके परिणामस्वरूप दो लेन खंड पर सी०वी०डी० और पी०सी०यू० यातायात में कितनी कमी आएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1,2,3,5,6,7,8 8क, 8ग, 45 और 47 के विभिन्न खंड, जिनकी कुल लम्बाई 870 कि०मी० है, इस समय निर्माणा- धीन है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान 1031 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों के 657 कि०मी० लम्बे हिस्सों को चार लेन का बनाए जाने की योजना है। तथापि वास्तविक व्यय निधियों की उपलब्धता और कार्य की प्रगति पर निर्भर करेगा।

(ग) लगभग 40 से 50 प्रतिशत।

[अनुवाद]

अमरीका के ऊर्जा मंत्री की यात्रा

*104. **श्री लाईता उम्ब्रे :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) भारत में उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें अमरीकी विद्युत कम्पनियों की भागीदारी है और उन कम्पनियों ने अनुमानत : कितना निवेश किया है;

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अमरीकी निवेशकों के सम्मुख यदि कोई समस्याएं है, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी ;

(घ) यदि हां, तो भारत में विद्युत क्षेत्र में अमरीकी निवेश के संबंध में दौरे पर आए शिष्टमंडल और मंत्रियों तथा वरिष्ट अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अमरीकी शिष्टमंडल की यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) चूंकि विद्युत एक अत्यधिक पूंजी निवेश वाला उद्योग है इसलिए, परियोजना को विकसित करने के उद्देश्य से निवेशकों को, विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने और वित्त पोषण की व्यवस्था करने के लिए कई एजेंसियों से परस्पर विचार-विमर्श करना पड़ता है। यदि, निवेशक किसी समस्या का सामना करते हैं तो उस स्थिति में विद्युत मंत्रालय का निवेश प्रवर्तन कक्ष प्रक्रिया को आसान करने के लिए एक नोडल एजेंसी की भूमिका निभाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अमरीका के ऊर्जा मंत्री के हाल ही में भारत के दौरे के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने हेतु व्यापक रूप से विचार-विमर्श हुए। विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, संलग्न विवरण-II में उल्लिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

विवरण-I

ऐसी प्रक्रियागत विद्युत परियोजनाएं जिनमें यू०एस०ए० की कंपनियों द्वारा निवेश किया जाना निहित है, का ब्यौरा

क्र०सं०	परियोजना/राज्य का नाम	विदेशी/भारतीय	क्षमता (मे०वा०)	अनंतिम लागत अनुमान (करोड़ रु०)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	जेग्रूपाड जी बी पी पी/(गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	235.00 (1x112 जी टी) (1x60 एस टी) (गैस)	827.00	जी वी के इण्डस्ट्रीज, यू एस ए
2.	काकीनाडा जी बी पी पी/(गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	208.00 (गैस)	748.43	स्पैक्ट्रम पावर जेनेरेशन लि०
	जोड़ : आन्ध्र प्रदेश		443.00	1575.43	
3.	अम्गुरी जी बी पी पी/असम	विदेशी	360.00 (गैस)	1280.00	नार्दरन इंजीनीयरिंग यू एस ए/ आगरा इण्डस्ट्रीज
	जोड़ : असम		360.00	1280.00	
4.	हिसार टी पी एस/हरियाणा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1000.00	कांजेट्रिक्स इन्क० यू एस ए
	जोड़ : हरियाणा		500.00	1000.00	

1	2	3	4	5	6
5.	ढिब्रा एच ई पी/ हिमाचल प्रदेश	विदेशी	231.00 (हाइडल)	708.50	हार्जा इंजीनीयरिंग कं० यू एस ए
6.	धामवाड़ी एच ई पी/ हिमाचल प्रदेश	विदेशी	70.00 (हाइडल)	245.00	हार्जा इंजीनीयरिंग कं० यू एस ए
	जोड़ : हिमाचल प्रदेश		301.00	953.50	
7.	मंगलौर टी पी एस कर्नाटक	विदेशी	1000.00 (कोयला)	5088.00	कांजेट्रिक्स इन्क० यू एस ए
8.	अजमाट्टी डैम एच ई पी कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	600.00 (हाइडल)	1800.00	एशिया पावर कं० लिमिटेड (टापको) यू एस ए, कर्नाटक पावर कारपोरेशन
9.	होस्पैट टी पी एस/ कर्नाटक	विदेशी	500.00 (1x500) (कोयला)	1350.00	हॉक इन्टरकोंटिनेंटल लि० यू एस ए
10.	रायचुर चरण-5 टी पी एस/ कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	500.00 (2x250) (कोयला)	1000.70	पब्लिक पावर इन्ट० इन्क० (नार्थ-ईस्ट एनर्जी) यू एस ए, कर्नाटक पावर कारपोरेशन
	जोड़ : कर्नाटक		2600.00	9238.70	

1	2	3	4	5	6
11.	थ्रिक्कारीपुर टी पी पी/केरल	विदेशी	420.00 (4x210) (कोयला)	1480.00	एम०ए० एल-मुजरूई जेनरेमन ईस्ट स्कैप्यर पावर कं० यू एस ए
	जोड़ : केरल		420.00	1480.00	
12.	दाभोल सी सी जी टी (एल एन जी)/महाराष्ट्र	विदेशी	2015.00 (एल एन जी)	9051.25	एन्रोन पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन एण्ड जनरल इलैक्ट्रिक कारपोरेशन यू एस ए
	जोड़ : महाराष्ट्र		2015.00	9051.25	
13.	तलचेर टी पी एस उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1500.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजिज़ यू एस ए
14.	कामलांगा (धान्कनाल टी पी एस) (उड़ीसा)	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1500.00	इन्टरनेशनल इक्विटी पार्टनर्स, एल० पी०, यू एस ए
15.	इब घाटी टी पी एस/उड़ीसा	विदेशी	420.00 (2x210) (कोयला)	2025.60	ए ई एस कारपोरेशन, यू एस ए

1	2	3	4	5	6
16.	लापांगा टी पी एस/उड़ीसा	विदेशी	500.00 (कोयला)	1750.0	पायोनीयर एनर्जी इन्क० यू एस ए, ह्यूक इंजीनियरिंग सर्विसेज
17.	हुवुरी टी पी एस/उड़ीसा	विदेशी/भारतीय	500.00 (2x250) (कोयला)	1548.00	कालिंगा पावर कारपोरेशन/नार्थ-ईस्ट एनर्जी सर्विसेज इन्क० यू एस ए/उड़ीसा सरकार
	जोड़ : उड़ीसा		3420.00	8323.60	
18.	कुड्डालूर टी पी एस/तमिलनाडु	विदेशी	1000.00 (2x500) (कोयला)	2000.00	इन्टरनेशल कांट्रेक्टिंग एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन, यू एस ए
19.	पिल्लईपैरूमलनैल्लूर सी सी जी टी/ तमिलनाडु	विदेशी	300.00 (2x100) (1x100) (गैस)	429.49	पी०विजय कुमार रेड्डी, माकोवस्की एसोसिएट्स, यू एस ए
20.	जीरो यूनिट (एन एल सी) तमिलनाडु	विदेशी अनिवासी भारतीय	210.00 (1x210) (लिग्नाइट)	750.00	एसटी पावार सिस्टम्स इन्क० एण्ड सी एम एस जेनरेशन, यू एस ए
	जोड़ : तमिलनाडु		1510.00	3179.49	

1	2	3	4	5	6
21.	सागरदीघि टी पी एस/प० बंगाल	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2x500) (कोयला)	2000.00	डेबलपमेंट कन्सलटेंट प्रा०लि० सी एम एस जेनेरेशन एण्ड डब्ल्यू बी एस ई बी
22.	डान्कुनी जी बी पी पी/ प० बंगाल	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	20.00 (गैस)	40.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलीजिज़
	जोड़ : प० बंगाल		1020.00	2040.00	
	कुल जोड़ :		11589.00	38121.99	

विवरण-II

अमरीका के ऊर्जा मंत्री के हाल ही में भारत के दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए गए दस्तावेजों की सूची:

1. भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) और यू एस ए सरकार (ऊर्जा विभाग) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार दोनों सरकारों के बीच आवधिक रूप से परामर्श किया जाएगा।

2. ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत गणराज्य के विद्युत मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमरीका के ऊर्जा विभाग के बीच इस आशय से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

3. जीवाश्म ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत गणराज्य के कोयला मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमरीका के ऊर्जा विभाग के बीच इस आशय से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

4. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत गणराज्य के अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमरीका के ऊर्जा विभाग के बीच इस आशय से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

5. बेहतर पर्यावरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत गणराज्य के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा संयुक्त राज्य अमरीका के ऊर्जा विभाग के बीच इस आशय से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

[हिन्दी]

कांडला संपदा विकास योजना

*105. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला पत्तन न्यास की संपदा विकास संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना छोड़ दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कांडला पत्तन के साथ-साथ पोरबन्दर पत्तन का विकास करने और इसे आधुनिक बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कांडला पत्तन न्यास की भूमि दो स्थानों अर्थात् कांडला और गांधीधाम में है। गांधीधाम की भूमि को आवासी, वाणिज्यिक, गोदामों, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नियत किया गया है। कांडला की भूमि वाणिज्यिक, गोदामों, आवासीय और औद्योगिक आदि प्रयोजनों के लिए नियत की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पोरबन्दर पत्तन एक लघु पत्तन है जो राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसलिए इस मंत्रालय के पास कोई ब्यौरा नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परमाणु निरस्त्रीकरण

*106. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अमरीकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए परमाणु हथियारों पर रोक लगाने हेतु "परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं" समझौता करने तथा साथ-साथ परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए बहुपक्षीय वार्ताएं करने का आह्वान किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अमरीका के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत के दौरान भी ऐसा ही कोई प्रस्ताव रखा था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) अमरीका की अपनी यात्रा के दौरान 18 मई, 1994 को अमरीकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि --"एक नाभिकीय पहल नहीं करार की आवश्यकता है, वस्तुतः निवारक के रूप में एक ऐसे करार की आवश्यकता है जो नाभिकीय हथियारों के इस्तेमाल को गैर-कानूनी घोषित करे और इसके साथ ही नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए बहुपक्षीय वार्ताएं आरम्भ की जाएं जिनका उद्देश्य एक नाभिकीय मुक्त विश्व की स्थापना हो।"

2. इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमण्डल स्तर की बातचीत के अतिरिक्त प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ निजी तौर पर मुलाकात की इस बातचीत में नाभिकीय निरस्त्रीकरण से संबंधित मसले भी शामिल थे।

3. प्रधान मंत्री की अमरीका की यात्रा के अंत में जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्लिंटन तथा श्री राव दोनों ने नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने के उद्देश्य से जो शीतयुद्धोतर युग में राज्यों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं सामूहिक विनाश के हथियारों तथा उनको छोड़े जाने की प्रणाली के अप्रसार के लिए तथा धीरे-धीरे उनको कम करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने की पेशकश की उन्होंने इस बात का वचन दिया कि उन दोनों की सरकारें व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि तथा नाभिकीय हथियारों के लिए विखंडनीय सामग्रियों के उत्पादन पर सत्यापनीय प्रतिबन्ध लगाने के लिए अपने प्रयास तेज करेंगी।

4. अमरीका के साथ सार्वभौम तथा क्षेत्रीय दोनों प्रकार के सुरक्षा मसलों पर विचार विमर्श जारी रहेगा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि

*107. **श्री खेलन राम जांगड़े :**
श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि में मई, 1988 के बाद से वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस धनराशि को कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रीय सड़क निधि के कुछ निर्माण संबंधि प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (जगदीश टाईटलर) : (क) और (च) संसद ने केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने के संबंध में मई, 1988 में एक संकल्प पारित किया था ताकि पेट्रोल की मूल कीमत के 3.5 पैसे प्रति लिटर के उपकर को बढ़ाकर 5 पैसे प्रति लिटर किया जा सके तथा डीजल का भी इसके सीमा क्षेत्र में लाया जा सके। बजटगत कठिनाइयों के कारण इस संकल्प को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

तथापि, पुराने संकल्प के अनुसार योजनाएं अनुमोदित की जा रही हैं। किसी भी राज्य की ऐसी कोई योजना लम्बित नहीं है जिसके पास 31-3-1995 तक मुक्त शेष हो।

[हिन्दी]

नई विद्युत नीति

*108. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु पनबिजली परियोजनाओं के लिए नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वर्तमान एकस्तरीय टैरिफ ढांचे के स्थान पर दो स्तरीय टैरिफ व्यवस्था लाई जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जल विद्युत परियोजनाओं के शुल्क की संरचना से सम्बन्धित परामर्शदाता की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

मार्ग कर

*109. श्री हरचन्द सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्ग कर सुविधाओं और यातायात को नियन्त्रित करने के लिए पृथक प्राधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मार्ग कर की वसूली से प्राप्त धन का केन्द्र और राज्य के बीच किस तरह से बंटवारा किया जायेगा।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) : फिलहाल, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क-कर एकत्र करने संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने और यातायात नियंत्रित करने के लिए अलग से प्राधिकरण गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

तेल की खोज

*110. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चे तेल की खोज का कार्य सतत आधार पर ब्लाकों को सौंप कर इसके खोज के कार्य में तेजी लाई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार किए गए ब्लाकों का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) खोज कार्य आरम्भ कार्य करने के संबंध में अब तक क्या प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की क्या भूमिका है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बोली दौरों के अंतर्गत तेल और गैस की खोज के लिए दिए गए ब्लाकों का ब्यौरा और जिन बेसिनों में से ये ब्लाक दिए गए हैं उन ब्लाकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम० सं०	चौथा दौर (सितम्बर, 1991)	प्रस्तावित ब्लाकों की संख्या
1	2	3
	बेसिन	
1.	अंडमान अपतट	11

1	2	3
2.	बंगाल अपतट	3
3.	बंगाल तट	2
4.	बम्बई अपतट	4
5.	कछार तट	1
6.	कोवेरी अपतट	1
7.	डेकन साइनक्लाईज तट	1
8.	गंगा वेली तट	7
9.	गोंडवाना तट	3
10.	गुजरात कच्छ तट	3
11.	केरल कोंकण अपतट	12
12.	कृष्णा गोदावरी अपतट	4
13.	महानदी अपतट	3
14.	महानदी तट	2
15.	मिजोरम तट	1
16.	पलार अपतट	1
17.	पलार तट	1
18.	पंजाब तट	2
19.	राजस्थान तट	5
20.	विन्ध्यान तट	5
		72

पांचवां दौर (जनवरी, 1993)

1.	असम अराकन	5
2.	बंगाल	3
3.	बम्बई	8
4.	कावेरी	2

1	2	3
5.	गुजरात कच्छ	2
6.	गुजरात सौराष्ट्र	1
7.	केरल कोंकण	6
8.	कृष्णा गोदावरी	5
9.	महानदी	5
10.	उत्तर पूर्वी तट	2
11.	पलार	1
12.	राजस्थान	5
		45
	छठा दौर (अगस्त, 1993)	
1.	असम अराकन	11
2.	बंगाल	6
3.	बम्बई	7
4.	कैम्बे	8
5.	कावेरी	1
6.	गुजरात कच्छ	3
7.	गुजरात सौराष्ट्र	1
8.	कृष्णा गोदावरी	4
9.	पुरनिया	3
10.	राजस्थान	2
		46
	सातवां दौर (जनवरी, 1994)	
1.	अंडमान	1
2.	असम अराकन	10
3.	बंगाल	5

1	2	3
4.	बम्बई	5
5.	कैम्बे	5
6.	कावेरी	5
7.	गुजरात कच्छ	3
8.	कृष्णा गोदावरी	4
9.	पंजाब	1
10.	पुरनिया	3
11.	राजस्थान	2
12.	सौराष्ट्र	1
		45

आठवां दौर (जुलाई, 1994)

1.	असाम अराकन	10
2.	बंगाल	2
3.	बम्बई	5
4.	कावेरी	4
5.	कृष्णा गोदावरी	5
6.	पलार	2
7.	पुरनिया	3
8.	राजस्थान	3
		34

(ग) सरकार ने अब तक नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार 5 ब्लाकों के लिए संविदाओं के अंतिम रूप से अनुमोदित किया है:

ब्लाक का नाम	कम्पनी का नाम
प्रणहिता-गोदावरी (गोंडवाना) तटीय बेसिन में जी एन-ओ एन-90/3	हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी और मफतलाल इंडस्ट्रीज का परिसंघ जिसमें दोनों कंपनियां भारत की हैं।

कृष्णा-गोदावरी अपतट बेसिन में के जी-ओ एस-90/1	मैसर्स अल्बियन इंटरनेशनल रिसोर्सिज, इंक आफ यू एस ए, कापलेक्स रिसोर्सिज लि० आफ आस्ट्रेलिया, मैसर्स निको रीसोर्सिज, कनाडा और हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन का० आफ इंडिया का परिसंघ
गुजरात कच्छ तटीय बेसिन में जीके-ओएन-90/2	मैसर्स पान एनेर्जी रिसोर्सिज आफ यू एस ए, कापलेक्स रिसोसिर्ज लि० आफ आस्ट्रेलिया पान पेसिफिक पेट्रोलियम एन एल आफ आस्ट्रेलिया एण्ड ट्रांसएशिया कन्सल्टेंट्स आफ इंडिया का परिसंघ।
राजस्थान बेसिन में आर जे-ओ एन-90/1	शैल इंटरनेशल, नीदरलैंड्स
कावेरी अपतट बेसिन में सी वाई-ओ एस-90/1	एच ओ ई सी आफ इंडिया, वाल्को एनेर्जी इंक, आफ यू एस ए और टाटा पेट्रोडाइन आफ इंडिया का परिसंघ।

के जी- ओ एस-90/1 और जी एन-ओ एन-90/3 ब्लाकों संबंधी संविदाओं पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और इनमें अन्वेषण कार्य शुरू हो गया है।

(घ) अन्वेषण क्रियाकलापों में निजी कंपनियों को सम्मिलित करने से देश में अन्वेषण प्रयास गहन हो जाएंगे चूंकि निजी कम्पनियों के अन्वेषण क्रियाकलाप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के क्रियाकलापों के संपूरक होंगे जिसके द्वारा संपुष्ट हाईड्रोकार्बन भण्डार में वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

गैस पाइपलाइन परियोजना

*111. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान से भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाली प्रस्तावित गैस पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी विदेशी कम्पनियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) पाइपलाइन की कुल लम्बाई कितनी है और इसके निर्माण, प्रचालन और वित्त पोषण संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण कौन-सी एजेंसी करेगी;

(ग) प्रतिवर्ष कितनी गैस की आपूर्ति की जायेगी; और

(घ) गैस की आपूर्ति कब से आरम्भ हो जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) ईरान-भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए भारत और ईरान संयुक्त रूप से एक एजेंसी का चयन करने की रीतियों का आकलन कर रहे हैं अध्ययन के लिए बोलियां अभी आमंत्रित की जानी हैं। व्यवहार्यता अध्ययन के पूर्ण हो जाने के बाद ही पाइपलाइन की लम्बाई, मात्रा और आपूर्ति के आरम्भ होने से संबंधित ब्यौरा ज्ञात हो सकेगा।

[अनुवाद]

दिल्ली में वायु प्रदूषण

*112. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली के अधिक सघन यातायात वाले कुछ क्षेत्रों में और अत्यधिक यातायात वाले समय में कुछ चौराहों पर कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजनआक्साइडों का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक है।

(ख) और (ग) दिल्ली में प्रदूषण के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने हेतु सचिव, पर्यावरण तथा वन की अध्यक्षता में एक उच्चधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा अगस्त, 1994 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

प्राकृतिक गैस की समान कीमत

*113. **डा० सुधीर राय :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में प्राकृतिक गैस की समान कीमत लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) उत्तर पूर्वी राज्यों जहां उत्तर पूर्व में गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक रियायती कीमत की अनुमति दी गई है, को छोड़कर संपूर्ण देश में गैस एक समान उतराई कीमत निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन लागत

*114. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्यों में हाल की वृद्धि के कारण विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बढ़ी हुई लागत को विद्युत प्रभार दर में वृद्धि करके उपभोक्ताओं से वसूल करने का निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) कोयले की कीमत में हाल ही में हुई वृद्धि का वास्तविक प्रभाव भिन्न-भिन्न संयंत्रों के लिए भिन्न-भिन्न होता है। तथापि, यह अनुमान लगाया गया है कि विद्युत उत्पादन पर हाल ही में हुई कीमत में अभिवृद्धि का प्रभाव यह होगा कि विद्युत की प्रति किलोवाट आवर की कीमत लगभग 1.40 पैसे हो जाएगी।

(ग) और (घ) अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों और केन्द्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों की टैरिफ में ऐसे प्रावधान की व्यवस्था है कि ईंधन कीमत समायोजन धारा के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की राशि बिलों के माध्यम से वसूल की जा सकती है।

[अनुवाद]

रवांडा और बुरूंडी में भारतीय

*115. **श्री अटल विहारी वाजपेयी :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1994 में रवांडा और बुरूंडी में जातीय दंगा भड़कने से पूर्व वहां कितने भारतीय रहते थे;

(ख) जातीय दंगां होने के पश्चात् कितने भारतीय इन देशों को छोड़कर चले गए;

(ग) इस समय वहां कितने भारतीय रह रहे हैं;

(घ) इन देशों को जिन भारतीयों ने छोड़ दिया है और जो वहां अब भी रह रहे हैं उन्हें सरकार/भारतीय राजनयिक मिशनों ने क्या सहायता दी है;

(ङ) क्या जातीय दंगों के दौरान भारतीय परिवार के सदस्य भी हताहत हुए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) 6 अप्रैल, 1994 को रूआन्डा में जातीय हिंसा भड़कने से पूर्व रूआन्डा तथा बुरून्डी में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 300 (प्रत्येक देश में) थी।

(ख) चूंकि हिंसा केवल रूआन्डा में भड़की थी बुरून्डी में नहीं, अतएव कोई भी भारतीय बुरून्डी छोड़कर नहीं गया। केवल मिशनरी ऑफ चैरिटी की दो मठवा सनियों को छोड़कर जो उनकी देखरेख में रह हरे बड़ी संख्या में रूआन्डा के अनाथों को छोड़कर जाना नहीं चाहती थीं सभी भारतीय रूआन्डा छोड़कर चले गए।

(ग) बुरून्डी में लगभग 300 रूआन्डा में 21

(घ) जहां तक रूआन्डा का प्रश्न है कम्पाला स्थित भारतीय उच्चायोग ने जो रूआन्डा से संबंधित कार्य भी देख रहा है, अमरीका, फ्रांस तथा बेल्जियम जैसे मित्र देशों की सहायता से भारतीय समुदाय के लोगों

को पड़ोसी देश बुरून्डी में हिफाजत से पहुंचाने का कार्य किया। रूआन्डा छोड़कर जाने वाले इन लोगों को कम्पाला तथा नैरोबी स्थित उच्चायोगों में आवश्यक कौंसली सेवाएं प्रदान की। बुरून्डी में भारतीय एसोसिएशन ने, जिसने कम्पाला स्थित हमारे उच्चायोग ने सम्पर्क स्थापित किया हुआ था उन भारतीय शरणार्थियों को आवश्यक सहायता प्रदान की जो सबसे पहले रूआन्डा छोड़कर बुरून्डी गए। बताया जाता है कि वे दो भारतीय मठवासिनियां जो इस पूरे संघर्ष के दौरान रूआन्डा में ही रह रही हैं, सुरक्षित हैं। कम्पाला स्थित भारतीय उच्चायोग बुरून्डी में भारतीय समुदाय से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है ताकि उनकी सुरक्षा तथा अन्य हितों का ध्यान रखा जा सके।

(ङ) कोई नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ए० टी० एण्ड टी० द्वारा टेलीफोन

*116. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० टी० एण्ड टी० ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को भारत में 71 शहरों में मांग करने पर तथा 1100 ग्रामीण क्षेत्रों में 18-24 महीनों के अंदर टेलीफोन देने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है तथा उसे स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस प्रस्ताव पर मूल-भूत दूरसंचार सेवाओं में निजी प्रचालकों की प्रविष्टि के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ-साथ विचार किया जायेगा।

स्लोवाक के प्रधान मंत्री की यात्रा

*117. **श्री एस० बी० सिदनाल :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्लोवाक के प्रधान मंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर आये थे;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी किन-किन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई और उनका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां। स्लोवाक गणराज्य के प्रधान मंत्री श्री जोजफ मोरावचिक 7 से 8 जुलाई, 1994 को भारत की सरकारी यात्रा पर आए।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रधान मंत्री मोरावचिक ने राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने प्रधान मंत्री से भी मुलाकात की जिसमें दोनों पक्षों के मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद स्लोवाक प्रधान मंत्री से मिलने गए।

भारतीय नेताओं के साथ उन्होंने परस्पर हित के द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत की। द्विपक्षीय क्षेत्र में दोनों पक्षों ने इस बात पर गौर किया कि भारत और भूतपूर्व चेकोस्लोवाकिया के विविध क्षेत्रों में निकट के बहुमुखी संबंध थे और इस बात पर भी गौर किया कि चेकोस्लोवाकिया भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा आर्थिक भागीदार था। भारत और स्लोवाक गणराज्य द्वारा आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, रक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पुनः स्थापित करने और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग से संबंधित संयुक्त समिति द्वारा कार्य आरम्भ किए जाने के लिए कदम उठाए गए तथा एक संयुक्त व्यापार परिषद् की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कौंसली मुसलों पर भी विचार-विमर्श हुआ। इस बात पर सहमति हुई कि वीजा शुल्क लिए बिना वीजा जारी करने के प्रबंध किए जाएंगे तथा स्लोवाकी राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट धारकों को वीजा के बिना भारत आने के प्रबंध किए जाएंगे।

स्लोवाकी प्रधान मंत्री को कश्मीर के मसले के बारे में जानकारी दी गई। स्लोवाकी पक्ष ने इस बात को दोहराया कि इस कश्मीर के मसले पर वह इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दिए बिना द्विपक्षीय कार्रवाई किए जाने के हक में हैं। स्लोवाकी प्रधान मंत्री ने उनके पड़ोस में तथा यूरोप में हो रही घटनाओं के बारे में अपने दृष्टिकोणों से हमें अवगत कराया और इसके साथ स्लोवाक गणराज्य की आन्तरिक स्थिति से भी।

(ग) विदेशी कार्यालयों के बीच परामर्शों से सम्बद्ध एक प्रोतोकोल तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर 7 जुलाई, 1994 को हस्ताक्षर हुए। आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग से संबंधित संयुक्त समिति पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। (जो मई, 1993 में स्लोवाक गणराज्य के साथ सम्पन्न व्यापार एवं भुगतान संबंधी करार के अन्तर्गत स्थापित की जाएगी)। इसके अतिरिक्त भारतीय उद्योग परिसंघ तथा यूनियन ऑफ स्लोवाक इन्डस्ट्री ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(घ) भारत के विदेश मंत्रालय तथा स्लोवाक गणराज्य के विदेशी मंत्रालय के बीच परामर्शों से संबंधित प्रोतीकोल में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधिमण्डल स्तर पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों/तीसरे देशों में राजदूतावासों एवं कोंसलावासों में द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक मसलों पर द्विपक्षीय परामर्श की व्यवस्था है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य इस क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं एवं अध्ययनों; संयुक्त वैज्ञानिक सम्मेलन गोष्ठियों, कार्यशालाएं तथा प्रदर्शनियां आयोजित करके और उनमें भाग लेकर वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना एवं दस्तावेजों के आदान-प्रदान के माध्यम से तथा अनुसंधान एवं विकास संबंधी सुविधाओं एवं वैज्ञानिक उपकरण के समान प्रयोग के माध्यम से द्विपक्षीय कार्य-कलाप को विकसित करना है। इसमें वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग संवर्धित करने की भी संकल्पना है। भविष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक करार सम्पन्न करने का भी प्रस्ताव है।

आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग से सम्बद्ध संयुक्त समिति पर समझौता ज्ञापन में इस बात की व्यवस्था है कि संयुक्त समिति की अध्यक्षता, भारतीय पक्ष की ओर से वाणिज्य सचिव करेंगे तथा स्लोवाकी पक्ष की ओर

से आर्थिक मंत्रालय के आर्थिक नीति, व्यापार एवं पर्यटन से सम्बद्ध स्टेट सेक्रेटरी करेंगे। संयुक्त समिति तथा इसके कार्यदलों का स्वरूप परस्पर परामर्शों द्वारा तय किया जाएगा। संयुक्त सचिव की पहली बैठक दिसम्बर, 1994 में नई दिल्ली ब्रातिस्लाव में होगी।

भारतीय उद्योग परिसंघ तथा यूनियन ऑफ स्लोवाक इंडस्ट्री के बीच सम्पन्न समझौता ज्ञापन में आर्थिक तथा वाणिज्यिक सूचना का आदान-प्रदान संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों का आयोजन तथा व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों जैसी गातिविधियों को प्रोत्साहित करके दोनों देशों के व्यापारी समुदायों के बीच सम्पर्कों को सुविधाजनक बनाने की व्यवस्था है।

कृष्णा गोदावरी बेसिन से कच्चा तेल

*118. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाडूडे :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा गोदावरी बेसिन से कच्चे तेल के निकालने और तत्संबंधी विकास कार्य निजी क्षेत्र की किसी कंपनी को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यह कार्य सरकारी क्षेत्र की विद्यमान तेल कम्पनियों में से किसी को सौंपने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सरकार ने अब कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया, वीडियोकान इंटरनेशनल, इंडिया और मारुबेनी कारपोरेशन, जापान के परिसंघ को रव्वा क्षेत्र के विकास के लिए संविदा देने के लिए अनुमोदन दे दिया है।

(ख) इस संविदा की मुख्य शर्तें और निबंधन नीचे दिए गए हैं :—

रव्वा क्षेत्र का विकास उक्त परिसंघ द्वारा ओ एन जी सी के साथ संयुक्त उद्यम के अंतर्गत उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्थाओं के अधीन किया जाना है जिसके अंतर्गत रायल्टी और उपकर जैसे सांविधिक उद्ग्रहण देय होंगे।

(ग) और (घ) ओ एन जी सी के पास रव्वा क्षेत्र के विकास में समान प्रबंध अधिकार के साथ 40 प्रतिशत भागीदारी हित होगा।

चीन के उप प्रधान मंत्री की यात्रा

*119. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में चीन के उप प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस यात्रा के क्या उद्देश्य थे;

(ग) क्या द्विपक्षीय हित के कुछ मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यात्रा के दौरान किन्हीं समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये गये थे; और

(च) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (च) चीन के उप प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री क्यान किचेन भारत सरकार के निमंत्रण पर 17-19 जुलाई, 1994 को भारत की यात्रा पर आये। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के साथ भी मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता जारी रखी गई तथा परस्पर हित के विभिन्न विषयों पर विचारों का विस्तार से आदान-प्रदान करने का एक उपयोगी अवसर प्राप्त हुआ।

इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श किया जिनमें द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और सुदृढ़ीकरण, सीमा पर अमन और शांति से सम्बद्ध करार का क्रियान्वयन, जिसपर सितम्बर, 1993 में प्रधानमंत्री की चीन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे,। व्यापार, आर्थिक तथा अन्य संबंधों में और विकास, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा बहुपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत-चीन सहयोग शामिल है।

दोनों पक्षों ने 1988 में प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की चीन की यात्रा के बाद से भारत-चीन संबेधों के विकास की समीक्षा की तथा इसमें हुई प्रगति तथा विकास पर संतोष प्रकट किया। दोनों पक्षों ने महसूस किया कि भारत-चीन संबंधों में निरन्तर सुधार की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और इसके साथ-साथ मतभेदों को धीरे-धीरे सुलझाया जाना चाहिए। आर्थिक तथा व्यापार संबंधी सम्पर्कों में विकास से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी। दोनों देशों के व्यावसायिक उद्यमों के बीच सीधे सम्पर्क से नए संयुक्त उद्यमों तथा आर्थिक सहयोग के अवसरों का पता लगाया जा सकेगा। नौवहन तथा बैंकिंग के क्षेत्र में सीधे सम्पर्कों के संबंध में करारों को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने पर सहमति हुई। इस यात्रा के दौरान दोहरे कराधान से परिहार से संबद्ध एक करार पर हस्ताक्षर हुए। उम्मीद है कि इस करार से दोनों देशों के बीच निवेश तथा प्रोद्योगिकी के प्रवाह में मदद मिलेगी।

इन विचार विमर्शों के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पर अमन और शांति से सम्बन्धित करार के क्रियान्वयन के महत्व पर बल दिया तथा भारत-चीन सीमा क्षेत्र की मैत्री के क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए और दोनों देशों के बीच सीमा-व्यापार के लिए कुछ अन्य बिन्दु खोलने के लिए कार्य करने पर सहमत हुए। व चीनी पक्ष ने अपनी यह स्थिति दोहरायी कि कश्मीर का प्रश्न सम्बद्ध पक्षों के बीच यानि भारत और पाकिस्तान के बीच धैर्यपूर्वक बातचीत के जरिये सुलझाया जाना चाहिए।

इस यात्रा ने विचारों के विस्तृत आदान-प्रदान का एक उपयोगी अवसर प्रदान किया जब दोनों देशों ने भारत-चीन संबंधों में सकारात्मक गतिविधियां जारी रखने के प्रति अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त किया ताकि भारत और चीन के बीच परिपक्व, स्थायी और दीर्घावधिक सम्बन्ध स्थापित हो सकें।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रस्ताव

*120. **श्री संदीपान भगवान घोरात** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने सरकार ई-मेल प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) लोगों की बढ़ती हुई संचार आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने और अपना राजस्व बढ़ाने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने अन्य कौन-कौन से प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एम०टी०एन०एल० ने नई सेवाओं के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, एम०टी०एन०एल० ने 1995 तक आसानी से टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना में चार लाख के वर्त्तमान लक्ष्य के मुकाबले छः लाख नए टेलीफोन देने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए पहले से अनुमोदित 986 करोड़ रु० के पूंजी परिव्यय की तुलना में 1357.04 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय की आवश्यकता होगी।

जल-पोतों की टन भार क्षमता

1067. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर आधारित नवीन टनभार माप नियम लागू कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवहन उद्योग पर इन नए नियमों का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के आधार पर जो 18 जुलाई, 1982, को लागू हुआ था, वाणिज्यिक नौवहन (जहाजों के टन भार का माप) नियमावली, 1987, 18 जुलाई, 1982 को अथवा उसके बाद निर्मित जहाजों के लिये मई, 1987 में लागू की गई थी तथा अन्य सभी जहाजों के लिये ये नियम 18 जुलाई, 1994 से लागू किए गए थे।

(ग) इन नियमों से जहाजों के मौजूदा टन भार में, जहाज की किस्म के अनुसार, मामूली वृद्धि/कमी होगी जिसके साथ-साथ पत्तन देयताओं से संबंधित खर्च तथा पत्तन से संबंधित अन्य खर्चों में तदनुरूपी वृद्धि/कमी होगी।

[हिन्दी]

बरौनी ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की आपूर्ति

1068. **श्री ललित उरांव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को घटिया कोयले की आपूर्ति के कारण बरौनी ताप विद्युत केन्द्र को हुई हानि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो मशीनों को पहुंची क्षति और विद्युत उत्पादन के रूप में हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०यी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) विद्युत केन्द्र से प्राप्त मासिक कोयला गुणवत्ता आंकड़ों और के०वि०प्रा० द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, बरौनी विद्युत केन्द्र द्वारा प्राप्त किए जा रहे कोयले की समग्र केलोरफिक वेल्यू (ग्रेड) इसकी अपनी डिजाइन आवश्यकताओं के अनुसार है। तथापि, पत्थर और बड़े आकार के कोयले जैसी फालतू सामग्री प्राप्त होने के सम्बन्ध मे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की कोयला कम्पनियों द्वारा जांच की जाती है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना

1069. **श्री राम कापसे** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(ग) क्या इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश के भी प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

	गुजरात	महाराष्ट्र
जून, 1994 तक प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	191	571
औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ रुपए में)	2946	8118
संयुक्त उद्यमों/विदेशी सहयोग/शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए अनुमोदन (संख्या)	16	48
प्रस्तावित विदेशी पूंजी निवेश (लाख रुपए में)	712.80	8465

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत की कमी

1070. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय विद्युत की कितनी कमी है और प्रतिवर्ष कितनी पारेषण हानि होती है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार का राज्य में पारेषण हानि को न्यूनतम करने और पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई सहायता देने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नाइयु) : (क) इस समय बिहार राज्य में विद्युत की कमी और पारेषण हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों को दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक उपायों के माध्यम से अपनी पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित परामर्श दिये हैं, प्रतिक्रियात्मक विद्युत क्षतिपूर्ति के लिए कैपिस्टिरों की अधिष्ठापना करना अधिक हानियों के लिए जिम्मेदार घटकों को अभिज्ञान करने हेतु उर्जा लेखा परीक्षा करना और पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए उचित उपाय करना। इस संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विद्युत यूटिलिटियों को यह परामर्श दिया गया था कि वे विभिन्न आकार वाले कंडक्टरों, लाइनों की लम्बाई, वितरण, अंतरण क्षमताओं की स्थापना के लिए इष्टतम मानदंड़ तैयार करने के लिए प्रायोगिक अध्ययन करें। उनको प्रणाली सुधार स्कीमें भी तैयार करने के लिए परामर्श दिया गया था। क्योंकि विद्युत का वितरण, राज्य बिजली बोर्डों के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए विद्युत यूटिलिटियों को अपनी विद्युत प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पड़ते हैं।

विवरण

(1) जून 1994 के दौरान बिहार में विद्युत की कमी का ब्यौरा :–

	(सभी आकड़े निवल मि० यू० में)
	जून 1994
आवश्यकता	750
उपलब्धता	471
कमी 279	(37.2%)

(2) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में पारेषण एवं वितरण हानियों का ब्यौरा :

बिहार

वर्ष	यात्रा पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत
1990-91	16.47%
1991-92	18.31%
1992-93	17.15%

[अनुवाद]

बैन्जीन का उत्पादन

1071. **श्री पी० सी० थामस** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन तेल शोधन कारखाने में बैन्जीन के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोचीन तेल शोधक कारखाने में कौन-कौन सी विकासात्मक गतिविधियां शुरू की गई हैं;

(ग) क्या बैन्जीन का विपणन लाभकारी हो गया है और क्या इसका निर्यात भी किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) कोचीन रिफाइनरीज लि० में बैन्जीन का उत्पादन 1992-93 के दौरान 61,519 मी०टन तथा 1993-94 के दौरान यह 43,684 मी०टन था। बैन्जीन एक मुक्त व्यापार उत्पाद है तथा इसका उत्पादन बाजार शक्तियों द्वारा शासित होता है। 1993-94 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक गिरावट आई, जिसके कारण इसके मूल्य में कमी हुई और इस प्रकार वर्तमान में इसका निर्यात लाभदायक नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में रसोई गैस एजेंसियां

1072. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में और आर्थिक रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) बिहार के संबंध में 29 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को वर्तमान विपणन योजना 1992-94 में शामिल कर लिया गया है। विपणन योजना में सम्मिलित स्थानों के लिए डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन कार्य आजकल तेल चयन बोर्ड (बिहार) के माध्यम से जारी है।

उत्तर प्रदेश में डाकघर

1073. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में वर्षवार और जिलावार कितने नए डाकघर मंजूर किए गये और वास्तविक रूप से कितने डाकघर खोले गए और 1994-95 के दौरान कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : उत्तर प्रदेश में वर्ष 1993-94 के दौरान मंजूर किए गए तथा खोले गए नए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना के अंतर्गत डाकघर खोलने के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1993-94 के दौरान मंजूर किए गए/खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा

क्र०सं०	जिले का नाम	शाखा डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	1

1	2	3
2.	अलीगढ़	1
3.	इलाहाबाद	4
4.	अल्मोड़ा	2
5.	आजमगढ़	1
6.	बदायूं	2
7.	बहराइच	2
8.	बलिया	2
9.	बाराबंकी	9
10.	बस्ती	2
11.	बिजनौर	2
12.	बरेली	1
13.	चमोली	1
14.	देवरिया	1
15.	फैजाबाद	4
16.	फरूखाबाद	1
17.	फतेहपुर	2
18.	गाजीपुर	2
19.	गाजियाबाद	3
20.	गोंडा	5
21.	गोरखपुर	4
22	जौनपुर	3
23.	कानपुर	4
24.	खीरी	2
25.	लखनऊ	4
26.	मैनपुरी	1

1	2		3
27.	मिर्जापुर		3
28.	मुरादाबाद		2
29.	मुजफ्फरनगर		1
30.	प्रतापगढ़		1
31.	पिथौरागढ़		4
32.	पौड़ी		1
33.	राय बरेली		4
34.	सीतापुर		2
35.	सुल्तानपुर		3
36.	टिहरी		4
37.	त्रिबलखेड़ी		2
38.	उन्नाव		1
39.	वाराणसी		1
	योग	:	95

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन

1074. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान राजस्थान में मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ख) राज्य में जिलेवार प्रतीक्षा-सूची की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान कितने नए टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने का विचार किया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1-1-1994 से 30-6-1994 की अवधि के दौरान स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शनों का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

ओ० वाई० टी०	_	9462
गैर ओ० वाई० टी० (विशेष)	_	5810
गैर ओ० वाई० टी० (सामान्य)	_	47826
जोड़	:	68098

(ख) 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1994-95 के दौरान, 1,00,000 (एम लाख) नए टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने का प्रस्ताव है बशर्ते अपेक्षित संसाधन उपलब्ध हो जिसमें 60,000 लाइनों तक की क्षमता का उपस्कर पट्टे पर लेना शामिल है।

विवरण

30-6-1994 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची के जिलेवार ब्यौरे प्रतीक्षा सूची

क्र० सं०	जिले का नाम	ओ०वाई०टी०	गैर ओ०वाई०टी०(वि०)	गैर ओ०वाई०टी० (सा०)	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	100	442	10317	10859
2.	अलवर	0	74	5615	5689
3.	बांसवाड़ा	0	26	956	982
4.	बारां	0	3	317	320
5.	बाड़मेर	9	52	1913	1974
6.	भरतपुर	6	8	1487	150
7.	भीलवाड़ा	47	42	4428	4517
8.	बीकानेर	45	380	6616	704
9.	बूंदी	0	17	638	655
10.	छत्तीसगढ़	1	20	854	875
11.	चुरू	3	12	2250	2265
12.	दौसा	0	0	1449	1449
13.	धौलपुर	1	0	254	255
14.	डूंगरपुर	0	2	419	421
15.	जयपुर	1248	2648	67029	70926
16.	जैसलमेर	12	8	278	298
17.	जालोर	2	4	907	913
18.	झालवाड	1	1	343	345
19.	झुंझनू	7	11	2410	2428

1	2	3	4	5	6
20.	जोधपुर	43	840	14154	15037
21.	कोटा	0	167	10663	10830
22.	नागौर	36	91	3697	3824
23.	पाली	1	5	3648	3654
24.	राजसमन्द	4	0	408	412
25.	सवाई माधोपुर	1	27	1684	1712
26.	सीकर	6	40	3859	3905
27.	सिरोही	15	4	989	1008
28.	श्रीगंगानगर	29	41	6593	6663
29.	टोक	0	5	259	264
30.	उदयपुर	247	283	12815	13345
	जोड़ :	1864	5254	167249	174367

[अनुवाद]

दिल्ली और मुम्बई में टेलीफोन लाइनें

1075. **श्री बापू हरि चौरे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई में टेलीफोन लाइनों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) वार्षिक योजना 1994-95 में दिल्ली तथा मुम्बई में 4 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और इसके लिए 986 करोड़ रु० का परिव्यय रख गया है। तथापि, पिछली बकाया प्रतीक्षा सूची को कम करने के लिए अतिरिक्त स्विचन उपस्कर पट्टे पर प्राप्त करने के लिए प्रयास भी किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन बिलों के विवादित मामले

1076. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उपभोक्ता संरक्षण मंच के पास टेलीफोन बिल के कितने विवादित मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) सरकार को इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितना घाटा हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

परिष्कृत इस्पात का उत्पादन

1077. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1993-94 के दौरान परिष्कृत इस्पात का योजना लक्ष्य देखते हुए कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान परिष्कृत इस्पात की मांग में कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 172.4 लाख टन प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान परिसज्जित इस्पात का उत्पादन लगभग 151.3 लाख टन हुआ।

(ख) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान परिसज्जित इस्पात की प्रत्यक्ष खपत में वृद्धि होती रही है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

वर्ष	प्रत्यक्ष खपत (लाख टन)
1991-92	148.4
1992-93	150.8
1993-94	151.7

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की क्षमताओं का उपयोग

1078. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांटूये** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आई०टी०आई०) की उत्पादन क्षमताओं का स्थापित क्षमता से कम उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन का प्रतिवर्ष एककवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई०टी०आई० के एककों को स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने और उनका आधुनिकीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) कुल मिला कर पिछले वर्ष तक क्षमताओं का किसी प्रकार से कम उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन चालू वर्ष के दौरान, मुख्यतः प्रतिस्पर्धा के करण, आई०टी०आई०

लिमिटेड रायबरेली, नैनी, इलैक्ट्रोनिक सिटी यूनिट और बंगलौर की अपनी चार यूनिटों में पर्याप्त आर्डर प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार और यूनिटवार वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

यूनिट	लक्ष्य वास्तविक (1991-92)		लक्ष्य वास्तविक (1992-93)		लक्ष्य वास्तविक (1993-94) (अनंतिम)	
बंगलूर	276	345	495	456	467	352
इलैक्ट्रानिक सिटी (यूनिट बंगलूर)	74	84	122	156	182	173
नैनी	176	177	215	300	218	284
राय बरेली	84	115	137	161	180	130
मनकापुर	319	291	280	317	318	390
पालघाट	83	84	106	105	146	160
श्री नगर	3	1	2	1	1	1
आई०एंड०एम०और अन्य	-	17	-	26	8	30
कुल जोड़ :	1015	1114	1357	1522	1520	1520

(ग) लाभ कमाने वाली कम्पनी बनी रहने की दृष्टि से और साथ ही प्रोद्यौगिकियों के उन्नयन, गुणवत्ता में सुधार करके उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने, लागत घटाने के विभिन्न उपाय अपनाने, नेटवर्क की गतिविधियों, मूल्यवर्धित सेवाओं में विविधता लाने और दूरसंचार सेवाएं चलाने के अलावा, इसकी अवसंरचना को इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से, मंत्रालय ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि कुल उत्पादों/उपस्करों का 30% कीमत, गुणवत्ता अथवा आपूर्ति-अनुसूची में किसी रियायत के बगैर हमारे अपने सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त किया जा रहा है।

राजनायिक कर्मचारी

1079 **श्री हाराधन राय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अमरीकी दूतावास और इसके वाणिज्य-दूतावास में कितने राजनयिक कर्मचारी हैं;

(ख) क्या यह संख्या अमरीका में भारतीय मिशनों में कार्यरत राजनयिक कर्मचारियों की संख्या से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत स्थित विदेशी मिशनों में भारतीय कर्मचारियों की स्थानीय भर्ती की शर्तें भारतीय श्रम कानूनों के अनुरूप हैं; और

(ङ) यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भटिया) : (क) 136

(ख) और (ग) जी हां। उपरोक्त (क) पर उल्लिखित 136 राजनयिक कार्मिकों के स्थान पर अमरीका स्थित भारतीय मिशनों में हमारे 68 राजनयिक कार्मिक हैं। यह संख्या प्रत्येक देश की कार्यात्मक आवश्यकताओं पर आधारित होती है।

(घ) और (ङ) राजनयिक सम्बन्धों पर विएना अभिसमय 1961 के अन्तर्गत राजनयिक मिशनों से अपेक्षा की जाती है कि ये मेजबान देश के स्थानीय कानूनों और विनियमों का सम्मान करें। 1975 में और उसके बाद 1998 में भारत स्थित सभी विदेशी राजनयिक मिशनों में माडल कान्ट्रेक्ट की एक प्रति उपलब्ध कराई गई थी जिसमें नियोजन की शर्तें शामिल थी। राजनयिक मिशन अपने भारतीय कर्मचारियों के साथ यह कान्ट्रेक्ट सम्पन्न कर सकते हैं ताकि दोनों पक्षों को अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों का ज्ञान हो सके तथापि इस माडल कान्ट्रेक्ट में उल्लिखित शर्तें केवल सुझाव के तौर पर हैं तथा मिशन, अगर वे चाहें तो, उससे अधिक लाभ देने के लिए स्वतंत्र हैं।

ईरान द्वारा अपरिष्कृत तेल की आपूर्ति

1080. **श्री गुरूदास कामत** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईरान के अपरिष्कृत तेल की आपूर्ति बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार न करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं;

(ग) क्या ईरान ने अपरिष्कृत तेल की आपूर्ति के संबंध में हुए समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) ईरान से क्रूड आयल का आयात स्वदेशी क्रूड उत्पादन की मात्रा, प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा रिफाइनरियों को इसके समावेशन इत्यादि अनेक घटकों पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी (एन०आई०ओ०सी०), ईरान ने सहमत शर्तों के अनुसार जून, 1993-मई, 1994 के दौरान अपनी संविदागत बाध्यताओं को पूरा कर दिया था।

केरल में पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप

1081. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान केरल में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए वितरक नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993-94 के दौरान कितने वितरक नियुक्त किए गये; और

(घ) इस समय राज्य में कुछ कितनी एजेंसियां कार्यरत हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) केरल की वर्तमान विपणन योजना में शामिल की गई डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या निम्नवत् है :

पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र	-	58
एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप	-	14
एस०के०ओ० एल०डी०ओ० डीलरशिप	-	4

डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन तेल चयन बोर्डों के माध्यम से किया जाता है। डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आरम्भ होने में विज्ञापन की तिथि से 1-2 वर्ष का समय लगता है। चयन प्रक्रिया जारी है।

(ग) केरल में वर्ष 1993-94 के दौरान 13 खुदरा बिक्री केन्द्रों, 2 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 1 मिट्टी के तेल की डीलरशिप की कुल वृद्धि हुई।

(घ) केरल में 1-4-1994 की स्थिति के अनुसार डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या निम्नानुसार है :

पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र	-	713
एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप	-	174
एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० डीलरशिप	-	232

विदेशी जेलों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कर्मी

1082 **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान और अन्य देशों की जेलों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कितने कर्मी कैद हैं और ये वहां कब से इन जेलों में हैं और सरकार द्वारा इन्हें जेलों से मुक्त कराने के लिए उठाए गए कदमों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन कर्मियों के परिवार की देखरेख कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ग) प्राप्त सूचना के अनुसार 54 लापता भारतीय रक्षा कार्मिक पाकिस्तान की हिरासत में हैं। हमारे रक्षा कार्मिक 1965 तथा 1971 की लड़ाईयों के समय से लापता हैं। भारतीय सशस्त्र बलों का कोई भी कार्मिक किसी भी अन्य देश की हिरासत में नहीं है।

सरकार ने विनिर्दिष्ट वर्गों के बन्दियों के परिवारों को सुविधाएं प्रदान की हैं तथा पाकिस्तान में बन्दी बनाए गए सभी भारतीय रक्षा कार्मिकों की शीर्घ रिहाई और उनकी स्वदेश वापिसी का मामला पाकिस्तान की सरकार के साथ बार-बार उठाया गया है और यह प्रयास जारी हैं तथापि पाकिस्तान की सरकार का यह कहना है कि कोई भी भारतीय रक्षा कार्मिक उनकी हिरासत में नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय मिशनों में भारतीय कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें

1083. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों के भारतीय मिशनों में कार्यरत कर्मचारियों/राजनयिकों के खिलाफ कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों के संबंध में कोई जांच करवाई है; और

(घ) यदि हां, तो कितने कर्मचारी दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल०) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कर्मचारियों/राजनयिकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का देशवार ब्यौरा।

वर्ष-1991		वर्ष-1992		वर्ष-1993	
1		2		3	
अर्जन्टीना	1	चेकोस्लोवाकिया	1	अल्जीरिया	1
ब्राजील	1	केन्या	1	आस्ट्रिया	1
चेकोस्लोवाकिया	1	कुवैत	1	भूटान	1
जर्मनी	1	माल्टा	1	चिली	1
हांगकांग	2	मेक्सिको	1	जर्मनी	1
ट्यूनिसिया	1	नीदरलैण्ड	1	हांगकांग	1
यू०ए०ई०	1	रूस	1	जापान	1
यू०एस०ए०	3	सिंगापुर	2	मारीशस	1
यमन	1	श्री लंका	2	न्यूजीलैण्ड	1
यूगोस्लाविया	1	तुर्की	1	साऊदी अरब	1
		संयुक्त अरब अमीरात	1	संयुक्त अरब अमीरात	1

1	2		3	
	यू० एस० ए०	3	यू०एस०ए०	3
			जाम्बिया	1
योग 13		16		15

विवरण-II

दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या तथा उसके खिलाफ की गई कार्रवाई

1.	वर्ष 1991 में दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या : 6	वर्ष 1992 : 6	वर्ष 1993 : 8
(क)	उन कर्मचारियों की संख्या जिन के खिलाफ विभागीय कार्यवाहियां चल रही है :— वर्ष 1991 : 4	वर्ष 1992 : 5	वर्ष 1993 : 4
(ख)	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें पहले ही दण्डित किया जा चुका है:— वर्ष-1991 : 2	वर्ष 1992 : 1	वर्ष 1993 : 4
2.	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध लगाए गए आरोप वापिस ले लिए गए आरोप वापिस ले लिए गए क्योंकि उनका आधार नहीं था वर्ष-1991 : 7	वर्ष 1992 :10	वर्ष 1993 : 7
	उपरोक्त (1) तथा (2) का योग।		
	13	16	15

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में मुम्बई और कोंकण के बीच स्टीमर सेवा

1084. **श्री राम नाईक :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मुम्बई और कोंकण के बीच स्टीमर सेवा बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा कब से बंद की गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) यात्री नौवहन सेवा,

मई, 1988 से बंद कर दी गई है क्योंकि इससे भारतीय नौवहन निगम को भारी घाटा हुआ था जिसकी न तो भारत सरकार द्वारा और ही महाराष्ट्र और गोवा राज्य सरकारों द्वारा जो इस सेवा के प्रचालन में सहयोग थी, भरपाई की जा सकी।

इलेक्ट्रानिक मेल सेवा

1085. **श्री अमल दत्त :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक मेल सेवा शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ता बनाने के लिए कोई प्रचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अभी कितने उपभोक्ता हैं; और

(च) इलेक्ट्रानिक मेल सेवा उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रभार नियत किये गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। चार भारतीय कम्पनियों को इलेक्ट्रानिक मेल सेवा चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। ये लाइसेंस धारक देश में कहीं भी यह सेवा मुहैया करा सकते हैं। लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने के एक वर्ष के अन्दर लाइसेंसधारकों को कम से कम 5 सेवा क्षेत्रों में यह सेवा मुहैया करानी होगी।

(ख) संलग्न विवरणं-I के अनुसार।

(ग) (घ) और (ङ) प्रचार और उपभोक्ताओं के पंजीयन के लिए सेवा प्रदान करने वाले उत्तरदायी हैं। उन्हें सेवा शुरू करने के लिए, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से एक वर्ष का समय दिया गया है।

(च) दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क और अधिकतम दर का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र०सं०	पार्टी का नाम व पंजीकृत कार्यालय	लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि
1.	मैसर्स आई०सी०एन०ई०टी० "सोरेन्टों" 6, लैटिस ब्रिज रोड, अद्यार, मद्रास-600020.	07-01-1994
2.	मैसर्स डाटालाइन रिसर्च टेक्नालॉजीज़ (इंडिया) लिमिटेड 31ए, नोबल चैम्बर, चौथा तल, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट, बंबई-400 001.	11-05-1994

3.	मैसर्स डाटाप्रो इन्फारमेशन टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड ई एल-21, इलेक्ट्रानिक ज़ोन, एम०आई० डी०सी० भोसारी पुर्णे-411026	03.06.1994
4.	मैसर्स विप्रो इंफोटेक लिमिटेड, 88, एम०जी० रोड, बंगलूर-560001.	21.07.1994

विवरण-II

अधिकतम दर

1.	प्रारंभिक पंजीकरण शुल्क (एक बार)	—1000.रु० (एक हजार रुपए केवल)
2.	किराया	—4200.रु० प्रति वर्ष (सॉफ्टवेयर सहित) 500 के बी एस मेल बॉक्स के लिए
3.	प्रणाली उपयोग प्रभार	—2.रु० प्रति साधारण
4.	बेसिक ट्रांसपोर्ट फीस (बीटीएफ)	—4.रु० प्रति एक्सप्रेस (2500 वाइट्स के संदेश)
5.	कनेक्ट टाइप प्रभार पी एस टीन/पी ए डी /पी एस पी डी एन द्वारा	—1.रु० प्रति मिनट
	टेलेक्स द्वारा	—1.रु० प्रति मिनट
	ई-मेल उपभोक्ता के मेल बॉक्स में वितरण	केवल बी टी एफ
	फैक्स नम्बर पर वितरण	—बी टी एफ जमा 15.रु० प्रति पृष्ठ फैक्स कनवर्शन चार्ज जमा दूरसंचार विभाग को देय कॉल प्रभार।
	टैलेक्स नम्बर पर वितरण	—बी टी एफ जमा टेलेक्स कनवर्शन शुल्क के बतौर प्रति 400 कैरेक्टर्स 1.रु० जमा दूरसंचार विभाग को देय वास्तविक कॉल प्रभार।
	गैर-वितरण अधिसूचना	—निशुल्क
	संचारण पुष्टि	—1.रु० प्रति संदेश (वैकल्पिक)
	अंतर्राष्ट्रीय वितरण के लिए गैर वितरण अधिसूचना	—उपर्युक्त दर जमा वी एस एन एल को देय वास्तविक लागत (इस समय 2.रु० जमा 13.रु० =15.रु०)

	गैर वितरण अधिसूचना	—निशुल्क	
	संचारण पुष्टि (वैकल्पिक)	—1 रु० प्रति संदेश	
6.	प्राप्त करने वाले उपभोक्तओं के लिए वितरण विकल्प :—		
	(i) डिलीवरी मेल बॉक्स	स्थानीय वितरण निशुल्क	
	(ii) उपभोक्ता टर्मिनल पर वितरण	-नोड के बाहर बी टी एफ जमा दूरसंचार विभाग को देय वास्तविक काल प्रभार	
	(iii) विकल्प में परिवर्तन	—25 रु०	
7.	प्रतिभूति जमा (जिस पर ब्याज देय नहीं होगा)	—4200 रु०	
8.	उपभोक्ता के यहां उपकरण लगाने व चालू करने के लिए प्रभार (एक बार लिया जाने वाला प्रभार)	—लाइसेंस माडेल डायल-अप 800 रु० तथा लीज़ पर	उपभोक्ता का अपना 500 रु०
9.	किराये पर उपस्कर (मॉडेय)	—लीज़ पर 500 रु० प्रतिवर्ष	डायल अप के लिए 2750 रु० प्रतिवर्ष
10.	बेसिक ई-मेल यूजर साफ्रटवेयर	(2.1 के बी पी एस तक गति के अनुसार)	
11.	ई-मेल का शीघ्र वितरण (टेक्स्ट/फैक्स/टेलेक्स) (2 घंटे के भीतर वितरित की जाने वाली)	—शून्य —एक्सप्रेस संदेश के लिए प्रभार के अंतर्गत पहले ही शामिल (मद-4)	

टिप्पणी :—प्रस्तावित अधिकतम दर केवल उन्हीं सुविधाओं के लिए लागू होगी जो लाइसेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं।

आपरेटरों द्वारा दूरसंचार विभाग को अदा की जाने वाली लाइसेंस फीस

न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस फीस :

(क) पहले और दूसरे वर्ष के लिए	—पच्चीस लाख रुपए प्रति वर्ष
(ख) तीसरे और चौथे वर्ष के लिए	—पैंतीस लाख रुपए प्रतिवर्ष
(ग) पांचवें वर्ष के लिए	—पचास लाख रुपए

हल्दिया का विस्तार

1086. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई० ओ० सी० के हल्दिया एकक के विकास के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) विद्यमान सुविधाओं के संबंध में अवरोध दूर करके हल्दिया रिफाइनरी की क्षमता को 2.5 एम एम टी पी ए से बढ़ाकर 2.75 एम एम टी पी ए पहले ही कर दिया गया है। रिफाइनरी के स्नेहक तेल ब्लाक को भी विस्तार किया गया है। एक प्रीफ्रेक्रानेटर लगाकर हल्दिया रिफाइनरी की क्रूड आसवन इकाई को अवरोध मुक्त करने संबंधी द्वितीय चरण इस समय इंडियन आयल का० के 4.7 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर क्रियान्वय-नाधीन है जिससे रिफाइनरी की क्षमता 0.2 एम एम टी पी ए तक और बढ़ जाएगी अर्थात यह 2.95 एम एम टी पी ए के स्तर तक बढ़ जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में बस सेवा

1087. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक समान व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली में बस सेवाएं शुरू करने और यात्रियों को विशेषतः डी०टी०सी० द्वारा अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई नई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईलर) : (क) भारत सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। तथापि राष्ट्रीय राधानी, क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली में एक समान प्रणाली के अंतर्गत बस सेवाओं के प्रचालन के लिए एक नई योजना बनाई है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के लिए एक युक्ति संगत और वैज्ञानिक बस-रूट-प्रणाली सुधारने के लिए मैसर्स रेल इंडिया औक्नो इकानॉमिक सर्विस (राइटॅस) को एक अध्ययन कार्य सौंपा था। राइटॅस ने अपनी सिफारिशों में किसी एकीकृत समय-सूची के तहत रूटों पर 40:60 के अनुपात में दि० प० नि० और निजि बसें चलाने का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि राइटॅस द्वारा की गई सिफारिशा के अनुसार, निजि बसों के लिए रूटों का पुनः आवंटन अगस्त, 1994 में लाटरी निकाल कर किया जाएगा।

बाईपासों के लिए वित्तीय सहायता

*1088. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राजय में बाईपासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजनार्थ राज्य को कब तक धन आवंटित कर देगी,

(घ) गुजरात में केन्द्रीय सहायता से निर्मित होने वाले बाईपास इस समय किस चरण में है; और

(ङ) ये कार्य कब तक पूरे हो जाएगें?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ) माननीय सदस्य सम्भवतः गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने बाईपासों का उल्लेख कर रहे हैं। सभी निर्माण कार्यो और उन पर पर बाईपासों के निर्माण के लिए प्राथमिक रूप से संघ सरकार जिम्मेदा है। इसलिए वित्तीय सहायता का कोई प्रश्न नहीं उठता और सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताय प्राप्त नहीं हुआ है।

सड़क के निर्माण के लिए म्यांमार के साथ समझौता

1089. **श्री मंजय लाल :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने म्यांमार की सीमा क्षेत्र के अन्दर दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार को सुगम बनाने की दृष्टि से एक सड़क का निर्माण करने हेतु म्यांमार सरकार के लिए द्विपक्षीय समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कितना खर्च होगा;

(ग) क्या यह निर्माण कार्य भारतीय ठेकेदारों द्वारा किया जायेगा अथवा म्यांमार के ठेकेदारों द्वारा किया जायेगा; और

(घ) निर्माण कब से शुरू किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) भारतीय सीमा से लगे हुए म्यांमार के क्षेत्र में मौजूदा सड़क को सुधारने का एक प्रस्ताव भारत की सरकार और म्यांमार की सरकार के विचाराधीन है। इससे सम्बद्ध व्यय आकलन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) इस परियोजना पर म्यामांर की कुछ स्थानीय पार्टियों के सहयोग से एक भारतीय एजेन्सी द्वारा कार्य किया जाएगा।

(घ) इस परियोजना को शुरू करने और पूरा करने के बारे में दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श हो रहा है।

पाकिस्तान द्वारा हथियारों की खरीद

1090. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री बलराज पासी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान अपनी आवश्यकताओं से अधिक हथियार खरीद रहा है तथा समुद्री मार्ग से आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) भारत को पाकिस्तान द्वारा हाल की अवधि में विभिन्न देशों से अत्याधुनिक हथियार एवं उपकरण हासिल करने के प्रयासों के बारे में जानकारी है।

हमें इस प्रकार की खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान ने समुद्र के रास्ते भारत के विरुद्ध तोड़फोड़ तथा आतंकवाद की गतिविधियों को समर्थन दिया है।

अपनी जायज जरूरतों से अधिक हथियार प्राप्त करने के पाकिस्तान के प्रयत्नों पर हमारी चिंता से सभी संबंधित पक्षों को अवगत करा दिया गया है। सरकार उन सभी गतिविधियों पर निरन्तर निगाह रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर असर पड़ता हो और उसकी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाती है।

सरकार ने अनेक अवसरों पर सभी स्तरों पर पाकिस्तान से तोड़फोड़ तथा आतंकवाद को समर्थन देने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। सरकार ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिए जाने में निहित खतरों से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अवगत करा दिया है। सरकार आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा दिए जा रहे समर्थन का सामना करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कांसे और तांबे के अपशिष्ट पदार्थों का निर्गमन

1091. **श्री एस०एम० लालजान बाशा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन टी पी सी अपने विभिन्न विद्युत संयंत्रों से बड़ी मात्रा में कांसे और तांबे के अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई आकलन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अपशिष्ट पदार्थों का निपटान किस प्रकार किया जा रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) चूंकि, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) के विद्युत केन्द्रों में कांसे और ताम्बे के अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति, टूट-फूट और मशीनरी/उपस्कर के पूर्जे बदलने के परिणामस्वरूप होती है, इसलिये इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों/कचरे की उत्पत्ति की मात्रा का अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है। ऐसे अपशिष्ट के निपटान के लिए एन० टी० पी० सी० सुस्पष्ट नीति का अनुपालन करता है और इस प्रयोजनार्थ मैटल स्क्रेप एण्ड ट्रेड कारपोरेशन (एम०ए०टी०सी०) भारत सरकार का उद्यम, की सेवाएं भी प्राप्त करता है।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण एकक

1092. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1994-95 के लिए फल एवं सब्जी प्रसंस्करण एककों हेतु निर्धारित सहायता अनुदान राशि और ब्याज मुक्त ऋण योजना का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : 1994-95 के दौरान फल तथा

सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट 11.01 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 9.01 करोड़ अनुदान राशि तथा 2 करोड़ रुपये ऋण के लिए निर्धारित किए गए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां

1093.**श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में निवेश के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आवेदन सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जुलाई, 1991 की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। उन विदेशी कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन महत्वपूर्ण विदेशी कम्पनियां की सूची जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई है

1. मै० कैडबरी लि०।
2. मै० कोका कोला (साउथ एशिया होल्डिंग्स)।
3. मै० मार्स इंक।
4. मै० रिंगले कं०, अमरीका।
5. मै० परफेट्टी एस० पी० ए०, इटली।
6. मै० पैप्सिको इंक।
7. मै० के०एफ०सी०।
8. मै० पिजा हट इंटरनेशनल।
9. मै० फूड इंजी० सर्विसेज।
10. मै० मैक डोनाल्ड कार्पोरेशन।
11. मै० ओवोटेक इन्टरनेशनल।

12. मै० डालसेम वेसियप बी०वी० हालैण्ड।

13. मै० आई०बी०एस०एस०आर०एल०, इटली।

14. मै० मोंटेरे मशरूम।

15. मै० ट्रापिकल फूड्स इंजी०।

16. मै० डोहलर गम्प, जर्मनी।

17. मै० आई०टी०ए०, एस०आर०एल०।

18. मै० यूनिपेक्टिन, स्विटजरलैंड।

19. मै० तुरात्ती, इटली।

20. मै० हैजेन्स ऑफ हालैण्ड।

21. मै० प्योपोन एण्ड रिट्जेल इंडस्ट्रीज, स्विटजरलैंड।

22. मै० क्रुप्प, जर्मनी।

23. मै० शिन्टो भुस्सान।

24. मै० वैलियों इंजी० लि०।

25. मै० नेस्ले एस०ए०, स्विटजरलैंड।

26. मै० एग्रोलिमेन एस०ए०, स्पेन।

27. मै ० हार्टफोर्ड (थाईलैंड), कं० लि०।

28. मै० आइसलैंड फिशिंग कंपनी, लि०।

29. मै० ओकीन एस्टोनियन फिशिंग जे०टी० स्टाक कम्पनी।

30. मै० टिंग टाई इन्टरनेशनल कम्पनी लि०।

31. मै० सिल्वर ओसिएनिक कं० लि०।

32. मै० कार्ल्सबर्ग इंटरनेशनल।

33. मै० डानबू ए/एस, डेनमार्क।

34. मै० हेनिन्गर ब्रू, जर्मनी।

35. मै० फ्रोस्टर ब्रूविंग ग्रुप।

नेपाल के साथ संबंध

1094. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने नेपाल की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां तो इस यात्रा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यात्रा के दौरान कुछ समझौते किए गये थे; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते की विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) *प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री भुवनेश चतुर्वेदी ने 18 से 20 जून 1994 तक नेपाल की यात्रा की। ये जनकपुर यात्री निवास की 19 जून 1994 को आधार शिला रखे जाने से सम्बन्धित समारोह में प्रधान मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। यह यात्री निवास तिरुपति देवस्थान द्वारा बनाया जा रहा है।*

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अमरीका में भारतीयों की हत्या

1095. **श्री अरविंद त्रिवेदी** : क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान अमरीका में कितने भारतीयों की हत्या हुई;

(ख) उन हत्याओं के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका में रह रहे भारतीयों को सुरक्षा देने के बारे में अमरीका सरकार से सम्पर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) शून्य

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विजली की चोरी

1096. **श्री सूरज भानु सोलंकी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय विद्युत अधिनिमय, 1910 तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन करने हेतु एक विधान पेश करने का है ताकि बिजली की चोरी को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह विधान संसद के समक्ष कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

दूर संचार संबंधी कलपुर्जे

1097 **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री सुव्रत मुखर्जी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनियों द्वारा निर्मित टेलीकाम के स्विच सहित कलपुर्जे आयातित कल पुर्जों की तुलना में देश की जलवायु के अनुकूल और अधिक सस्ते हैं;

(ख) क्या स्वदेशी टेलीकॉम कलपुर्जा उद्योग ने इस संबंध में सरकार से संपर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) देश में निर्मित तथा आयातित दूरसंचार स्विच तथा अन्य उपस्कर सामान्यतया, दूरसचांर विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट जलवायु परीक्षण की अपेक्षाओं के अनुकूल पाए गए हैं। विभाग इन उपस्करों की खरीद खुली (ओपेन) निविदाओं के आधार पर करता है।

(ख) दूरसंचार विभाग में इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी निवेश

1098.**श्री बलराज पासी :**
डॉ० रमेश चन्द्र तोमर :
डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्री मनोरंजन सुर :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को दूरसंचार के क्षेत्र में 51 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर रखने हेतु विदेशी और बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति दिए जाने के सरकार के निर्णय का विरोध करने वाला अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस वितरकों के विरुद्ध शिकायतें

1099. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उन रसोई गैस वितरकों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की शिकायतें की गई हैं; और

(ख) शिकायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) उन एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या नीचे दी गई हैं जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान शिकायतें दर्ज की गई हैं :

	डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या	शिकायतों की संख्या
1991-92	28	33
1992-93	13	16
1993-94	3	4

(ख) इन शिकायतों में रिफिलों की संदाय में विलम्ब, अधिक शुल्क लेना और कनेक्शनों को जारी करने में विलंब शामिल हैं। सभी मामलों में शिकायतों की जांच की गई है। जहां ये शिकायतें सही सिद्ध हुई हैं वहां दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुरूप आवश्यक और उचित कार्रवाई की गई है।

बिहार में मिट्टी के तेल की खपत

1100. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान बिहार में मिट्टी के तेल का महीनेवार कितना आबंटन किया गया और इसकी कितनी खपत हुई;

(ख) क्या सरकार को राज्य में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इस पर क्य कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार बिहार के लिए मिट्टी के तेल के वर्तमान कोटे में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) बिहार में 1993-94 के दौरान मिट्टी के तेल के आबंटन और खपत का माहवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त होती हैं। तथापि, मिट्टी के तेल का खुदरा वितरण राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होता है; जिन्हें वितरण की इस प्रणाली को तर्कपूर्ण बनाने और दिशा-परिवर्तन व कालाबाजारी को रोकने के लिए सलाह दी गई है।

(घ) और (ङ) 1994-95 के दौरान मिट्टी के तेल के आबंटन के संबंध में बिहार को पिछले वर्ष (1993-94) की तुलना में 9 प्रतिशत वृद्धि दी गई है जो 48145 मीट्रिक टन बैठती है।

विवरण

1993-94 के दौरान बिहार में मिट्टी के तेल का माहवार आबंटन और खपत

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

माह	1993-94	
	आबंटन	खपत
अप्रैल	37906	38070
मई	37906	38082
जून	37906	38236
जुलाई	39297	40068
अगस्त	41297	40193
सितम्बर	47766	39752
अक्तूबर	45766	45403
नवम्बर	46592	47918
दिसम्बर	46592	44524
जनवरी	46592	48258
फरवरी	46592	47086
मार्च	44375	44634
योग	518587	512524

उपर्युक्त में 200 मीट्रिक टन प्रति माह की दर पर अगस्त, 1993 और सितम्बर, 1993 के दौरान बिहार को किया गया 4000 मीट्रिक टन तदर्थ आबंटन शामिल है।

[अनुवाद]

गुजरात में विदेशी पूंजी निवेश

1101. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी विद्युत कम्पनियों ने गुजरात में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु पूंजी निवेश करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में गैस पर आधारित उद्योग

1102. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा में गैस पर आधारित उद्योग लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) एन०ई०ई०पी०सी०ओ० द्वारा रामचन्द्र नगर में स्थापित किए जाने वाले विद्युत संयंत्र के लिए 0.75 एम०एम०एस०सी०एम०डी० गैस का आबंटन किया गया है।

बालासोर-खड़गपुर ओ०टी० रोड

1103. **डा० कार्तिकेश्वर यात्रा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोर से खड़गपुर तक ओ० टी० रोड की स्थिति के अध्ययन के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाही किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) भारत सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए जिम्मेदार है। बालासोर से खड़गपुर तक की सड़क एक राज्य-सड़क है और इसलिए इसके विकास के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

1104. **श्री हरिभाई पटेल :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) गुजरात सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कितनी धनराशि मांगी है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है;

(घ) राज्य में राजमार्गों और उपमार्गों के निर्माण के लिए सरकार के पास लम्बित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन लम्बित योजनाओं का वित्तपोषण करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 4,519 कि०मी०।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को विकास और रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है और अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात की सघनता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य किए जाते हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में गुजरात सरकार द्वारा मांगी गई तथा उन्हें आबंटित की गई राशि नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	मूल निर्माण कार्य	
	मांगी गई राशि (लाख रु०)	आबंटित राशि
1991-92	4579.16	4770.00
1992-93	8505.13	4650.00
1993-94	6734.96	6350.00

(घ) और (च) अहमदाबाद बाईपास के जलनिकास (ड्रेनेज) में सुधार किए जाने संबंधी केवल एक प्रस्ताव लंबित है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

पंचशील पर सेमिनार

1105. **श्री विभू कुमारी देवी** : क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचशील के सिद्धान्तों की व्यवहार्यता पर विचार विमर्श करने के लिए भारत और चीन के शिक्षाविदों और नीति नियामकों की हाल ही में नई दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक के आयोजक कौन थे और किन-किन प्रमुख व्यक्तियों ने बैठक में भाग लिया; और

(ग) इस बैठक के क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) "पंचशील तथा सार्वभौम राजनय" पर एक सेमिनार 27-28 जून, 1994 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

(ख) इस सेमिनार का आयोजन रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान तथा गुट-निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली द्वारा किया गया था। इस सेमिनार का उद्घाटन प्रधान मंत्री ने किया जिसमें चीन तथा भारत अनेकों के प्रमुख विद्वानों एवं विशेषज्ञों ने भाग लिया।

(ग) इस सेमिनार में भारतीय तथा चीन के विद्वानों को पंचशील की समकालीन प्रासंगिकता पर विचारों का आदान-प्रदान करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान किया।

स्वतंत्रता सेनानियों को टेलीफोन सुविधा

1106. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को रियायती टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस आशय के अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ऐसी विधवाएं जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन मिलती है वे गैर-ओ०वाई०टी०/एस०डब्ल्यू०एस० श्रेणी के अधीन एक टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने की हकदार हैं, बशर्ते कि जहां वे सामन्यतः रहती हैं, वह स्थान तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ही भांति, उनकी विधवाओं से संस्थापना प्रभार नहीं-नहीं लिया जाएगा और उनसे सामान्य प्रभार का आधा हिस्सा ही वसूल किया जाएगा, तथापि, उनसे पंजीकरण शुल्क गैर-ओ०-वाई० टी० श्रेणी के आवेदकों की भांति वसूल किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

भारतीयों का जर्मनी की ओर पलायन

1107. **कुमारी सुशीला तिरिया :**
श्री गुरूदास कामत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई भारतीय धोखेबाजी से शादी करके जर्मनी की ओर पलायन कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने भारतीय जर्मनी पलायन कर गये हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) छलपूर्वक विवाह के जरिए जर्मनी में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। तथापि, जर्मनी में प्रवेश करके राजनीतिक शरण मांगने वाले भारतीय राष्ट्रिकों में से कुछ उनके शरण के मामलों पर कार्रवाई के चलते या उन्हें खारिज कर दिए जाने के बाद भी जर्मनी में अपने प्रवास को जर्मन राष्ट्रिकों से विवाह करके नियमित बनने का प्रयास करते हैं।

(ग) सरकार गैर-कानूनी उत्प्रवास के विरुद्ध है चाहे यह छलपूर्ण विवाहों के जरिए हों या किन्हीं माध्यमों से।

हरे रंग की डाक पेटियां

1108. **श्री रवि राय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में स्थानीय डाक के लिए हरे रंग की डाक पेटियां लगाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) समूची दिल्ली में महत्वपूर्ण स्थानों पर 103 हरे लेटर बाक्स लगाए गए हैं। इन हरे लैटर बॉक्सों पर यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनमें केवल दिल्ली में वितरित की जाने वाली डाक ही डाली जाएगी। इन लैटरबॉक्सों से दिन में दो बार डाक निकाली जाती है और तत्काल छंटाई के लिए इसे सीधे एक चुने हुए डाक कार्यालय में ले जाया जाता है। इसके लिए जो प्रबंध किए गए हैं, इसके तहत इन हरे लैटर बाक्सों में डाली गई डाक को दिल्ली में, जहां तक संभव हो, अगले दिन वितरित करने की व्यवस्था की गई है। ये लैटर बॉक्स जिन स्थानों पर लगे हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वे स्थान जहां हरे लैटर बॉक्स लगाए गए हैं

1. दिल्ली पूर्व

1. कृष्ण नगर मुख्य डाकघर
2. कृष्णा नगर (मेन बाजार)
3. प्रीत बिहार (सी०बी०एस०ई० के निकट)
4. सीलमपुर डाकघर
5. शाहदरा डाकघर
6. शकरपुर (विकास मार्ग क्रासिंग)

2. दिल्ली उत्तर

1. अशोक बिहार मुख्य डाकघर
2. आजाद मार्किट (क्रासिंग)
3. बाराटूटी
4. चांदनी चौक (टाउन हाल)
5. चांदनी चौक (मोती सिनेमा)
6. चावड़ी बाजार (नई सड़क क्रासिंग)
7. सिविल लाइन डाकघर
8. दरियागंज
9. दिल्ली जी०पी०ओ०
10. दिल्ली आर० एम०एस० (दिल्ली रेलवे जंकशन)
11. दिल्ली यूनिवर्सिटी (मुख्य प्रशासनिक कार्यालय)

12. डिस्ट्रिकट कोर्ट (तीस हजारी)
13. इन्द्रप्रस्थ मुख्य डाकघर
14. आई० एस०बी०टी० कश्मीरी गेट
15. कमला नगर मार्किट
16. मल्कागंज डाकघर
17. न्यू सब्जी मंडी
18. पंजाबी बाग (रिंग रोड क्रासिंग)
19. शक्ति नगर (क्रासिंग)
20. वजीर पुर औद्योगिक क्षेत्र

3. दिल्ली पश्चिम

1. दादा घोष भवन
2. जनकपुरी डाकघर
3. जनकपुरी जिला केन्द्र
4. मायापुरी डाकघर
5. मोती नगर (नटराज सिनेमा के निकट)
6. नरायणा औद्योगिक एस्टेट डाकघर
7. राजौरी गार्डन डाकघर
8. रमेश नगर मुख्य डाकघर
9. तिलक नगर (वाटर टैंक के नजदीक)

4. दिल्ली सैन्ट्रल

1. अजमल खां रोड (देश बन्धु गुप्ता रोड)
2. अजमल खां रोड (आर्य समाज रोड)
3. बाराखम्बा रोड
4. बंगाली मार्किट
5. केन्द्रीय राजस्व भवन (आई० टी०ओ०)
6. कनाट प्लेस डाकघर
7. डिलाइट सिनेमा

8. ईस्टर्न कोर्ट डाकघर
9. गोल मार्किट (बंगला स्वीट के निकट)
10. करोल बाग डाकघर
11. केन्द्रीय टर्मिनल (केन्द्रीय सचिवालय)
12. कस्तूरबा गांधी मार्ग (हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग)
13. कृषि भवन
14. नई दिल्ली मुख्य डाकघर
15. नई दिल्ली आर०एम०एम० (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन)
16. नार्थ एवेन्यू
17. पटेल नगर
18. पटियाला हाऊस
19. संसद मार्ग मुख्य डाकघर
20. पार्लियामेंट हाऊस एनेक्सी
21. राजेन्द्र नगर डाकघर
22. राजेन्द्रा प्लेस (रचना सिनेमा)
23. राष्ट्रपति भवन
24. एस०आर०टी० नगर डाकघर
25. साउथ एवेन्यू
26. सुपर बाजार
27. सुप्रीम कोर्ट

9. दिल्ली दक्षिण-पश्चिम

1. भीखाजी कामा प्लेस
2. धौला कुंआ चौक
3. डी०आई०एम०सी० वसन्त लोक
4. गोपीनाथ बाजार (कैंट)
5. ग्रीन पार्क (उपहार सिनेमा)
6. हौस खास डाकघर

7. आई०जी०आई०एयरपोर्ट (अंतर्राष्ट्रीय)
8. आई०एन०ए० मार्किट
9. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (प्रशासनिक कार्यालय)
10. मोती बाग क्रासिंग
11. मुनीरका मार्किट
12. नेताजी नगर डाकघर
13. पालम एयरपोर्ट
14. आर०के०पुरम (मेन)
15. आर०के०पुरम (सैक्टर-XIII (पालिका भवन)
16. सदर बाजार कैंट
17. सफदरजंग इंक्लेव डाकघर
18. सरोजनी नगर मार्किट
19. वसन्त विहार डाकघर
20. यशवन्त प्लेस

6. दिल्ली दक्षिण-पूर्व

1. भोगल मार्किट
2. सी०जी०ओ० काम्पलेक्स (लोदी रोड)
3. डिफेन्स कालोनी मार्किट
4. दिल्ली हैडक्वाटर्स डाकघर
5. दिल्ली हाई कोर्ट
6. ग्रेटर कैलाश (रचना सिनेमा के निकट)
7. हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन
8. जामिया नगर डाकघर
9. कालकाजी डाकघर
10. खान मार्किट
11. लाजपतनगर डाकघर
12. लोदी रोड मुख्य डाकघर

13. मालवीय नगर मार्किट

14. मथुरा रोड/रिंगरोड क्रासिंग (आश्रम चौक)

15. नेहरू प्लेस

16. औखला औद्योगिक क्षेत्र डाकघर

17. सफदरजंग छंटाई कार्यालय

18. सावित्री सिनेमा

19. साऊथ एक्सटेंशन भाग-I

20 साऊथ एक्सटेंशन भाग-II

21. सुन्दर नगर

मिट्टी के तेल की कालाबाजारी

1109. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल की वितरण प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मिट्टी के तेल की कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सरकार केरोसीन की वितरण प्रणाली की पुनरीक्षा करती रहती है। विविध राज्यों के लिए गैस के आबंटन में बढ़ोत्तरी की अनुमति देने के अलावा केन्द्रीय सरकार ने विपणन के बिन्दुओं को पहचानने के लिए खुदरा वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने तथा केरोसीन की कालाबाजारी को रोकने के लिए खामियों को दूर करने के संबंध में कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है ताकि यह (केरोसीन) समय से और अपेक्षित मात्राओं में तथा निर्धारित मूल्यों पर लक्ष्य समूहों तक पहुंच जाए।

(घ) केरोसीन के संबंध में कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से केरोसीन की फरफुरल डोपिंग, केरोसीन को नीला रंग देना, चलित प्रयोगशालाओं द्वारा सेम्पल जांच तथा तेल कम्पनियों के फील्ड अधिकारियों एवं राज्य प्राधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जैसे कदम उठाए जाते हैं।

कर्नाटक में एस०टी०डी० सुविधाएं

1110. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान कर्नाटक में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा जिलावार किन-किन स्थानों पर उपलब्ध करायी जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा के लिए प्रस्तावित स्थानों के जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं बशर्ते कि इन स्थानों पर निधियां उपस्कर, भूमि, भवन आदि जैसे संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

कर्नाटक में 94-95 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा के लिए प्रस्तावित केन्द्रों की जिलावार सूची

जिला	केन्द्र का नामजिला
बंगलूर	थयमोगोन्डलू
	कगगाव पुरा
	टावरेकैरे
बेलगाम	घाटाप्रभा
	साते बस्तीवाड़
बिदार	कमला नगर
	मनहाली
बीजापुर	तालोकोटी
	बल्लोली
	लोनी
	हलूरांगी
	सिंधी
	गुद्दूर
	टेरडाल
	बानामत्ती
	रूवकवी
	महलिंगपुर
	देवरहिपयरगी
	मोरातागी
	धन्नूर
	कुडाला संगमा
	गोलागीरी
बेल्लरी	चीरानूर
चिकमगलूर	कुरूभारा बुधीहाल

जिला	केन्द्र का नाम जिला
	हीरानाडु
	अंजमपुरा
	अनूर
	मुथीनाकोपरा
	बालेहोल
	हीरा बेलू
	सुंका सौल
	पंचानाहल्ली
	कम्मानू गुडी
	यागती
	जावली
देवनगेरे	बेलागुर
	किट्टाडल
	मालेबेन्नूर
	मायाकोंडा
गुलबर्ग	हुनसागी
हसन	जावागल
	हेबबलू
	हागरे
	रयाराकोप्पा
	उदयवाड़ा
	नारवे
	हनबल
	कोन्नानूर
	बनावरा
	टोलालू
	गेंडेहल्ली
	मट्टाराहल्ली
	केरसागोडू
	देवालाडाकेरे
कोलर	गुलूर
	इरगामपल्ली
मडीकेरी	चिलोगरी
	पोल्लीबेटा

जिला	केन्द्र का नाम जिला
	सिद्दापुर
	पिराजे
	अम्मत्ती
मंड्या	कदाबाहल्ली
	चन्दूपुरा
	के०आर०पेट
	नागामंगला
	के०एम० रेड्डी
मंगलूर	होसनगड़ी
	बेलवे
	पालड्का
मैसूर	एम०एम० हिल
	आर०आर० हिल
	बन्नूर
	मुल्लूर
रायचूर	कुस्तगी
	सिंधानूर
	हस्की
शिमोगा	गुडावी
	टोगरसी
	जोग
	शरावती
	टुडूर
हुबली	अलनावर
	अक्की-अलूर
	लक्शमाशवर
	उप्पी नहेटगिरी
	तारीहल
टुमकुर	मधुगिरी
	हुलियार
	बुक्कापटना
	सुगूर

जिला	केन्द्र का नाम जिला
	गुंगुरूमाले
	टुरूवेकेरे
	सी०एन० हल्ली
	बिलोगेरे
	चेलूर
बेलगाम	माछी

विद्युत संयंत्रों को घटिया कोयले की आपूर्ति

1111. **श्री अनिल बसु :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में विद्युत संयंत्रों में कोयले के संयुक्त प्रतिचयन को सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के संयंत्रों में प्लांट लोड फैक्टर और विद्युत उत्पादन पर घटिया किस्म के कोयले के कुल प्रभाव के सम्बन्ध में कोई मूल्याकंन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०बी० रंगय्या नायडू) : (क) वर्तमान में कोयला नियंत्रक अधीन एक संगठन द्वारा अंतिम ढुलाई स्थान पर कोयला का "सेम्पलिंग" सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। यूटिलिटियों और विद्युत मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय के साथ मामला उठाया है कि विद्युत केन्द्र में संयुक्त रूप से सेम्पलिंग सम्बन्धी कार्य किया जाना आवश्यक है।

(ख) और (ग) यह अनुमान है कि वे विद्युत केन्द्र जो वर्तमान में अपने अपेक्षित डिजाइन ग्रेड से घटिया किस्म का कोयला प्राप्त कर रहे हैं, यदि उनको डिजाइन ग्रेड के अनुसार कोयले की आपूर्ति की जाती है तो उनका संयंत्र भार अनुपात सुधर जाएगा। विद्युत केन्द्रों से प्राप्त कोयला गुणवत्ता सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार, 19 विद्युत केन्द्रों ने वर्ष 1993-94 के दौरान अपने अपेक्षित डिजाइन ग्रेड से घटिया कोयला प्राप्त किया।

1112. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास विद्युत क्षेत्र में दी जाने वाली राज सहायता को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राज सहायता में कितनी कमी की जाएगी और इसे बन्द करने से विद्युत शुल्क में कितनी वृद्धि होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडू) : (क) उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों को बेची जाने वाली विद्युत की टैरिफ और उनको उपलब्ध करायी जाने वाली आर्थिक सहायता की मात्रा, समबन्धित राज्य सरकारों की अनुमति के साथ राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्वंय निर्धारित की जाती है।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संक्षारण रोधी प्रौद्योगिकी

1113. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :**
प्रो० सुदर्शन राय चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेन्ट्रल इलेक्ट्रोकैमीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट" ने संक्षारण रोधी प्रौद्योगिकी विकसित करने के संबंध में कुछ कार्य किया है और उसे तेल और प्रकृतिक गैस आयोग को देने की पेशकश की है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इसे लागू करने पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वास्तविक क्षेत्रगत परिस्थितियों में इसके उपयोग के स्थापित होने के पूर्व सेन्ट्रल इलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्राप्त रिपोर्ट पर आगे चर्चा करने की जरूरत है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 बाईपास का निर्माण

1114. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
डा० परशुराम गंगवार
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 पर बाईपास के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) बरेली बाईपास के संबंध में इस समय सर्वेक्षण और जांच का कार्य चल रहा है और इसलिए अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस हेतु राष्ट्रीय ग्रिड

1115. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का है;

(ख) क्या दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र के लिए पाइपलाइनों को ऐसे राष्ट्रीय ग्रिड के अभिन्न भाग के रूप में बिछाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने हेतु फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि पश्चिमी समुद्र तट से दक्षिणी राज्यों तक एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने की अवधारण को सैद्धातिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र

1116. **श्री रूपचन्द्र पाल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कहलगांव स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विद्युत संयंत्र की 1 और 2 इकाईयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) इकाईयां वाणिज्यिक उत्पादन कब शुरू कर देंगी; और

(ग) इस सम्बन्ध मे विलम्ब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना की पहली और दूसरी इकाई को कमश : मार्च 1992 और मार्च 1994 को शुरू किया गया था और इनसे क्रमशः अगस्त 1994 और सितम्बर 1994 में विद्युत उत्पादन शुरू किये जाने की प्रत्याशा है, और इनका वाणिज्यिक प्रचालन क्रमशः नवम्बर 1994 और दिसम्बर 1994 तक किया जाना है।

(ग) परियोजना पूरी होने में विलम्ब, मुख्यत : निम्न कारणों से हुआ है:—

(I) तत्कालीन यू०एस०एसआर० का विघटन जिससे संयत्रों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ और बाधा आई।

(II) औद्योगिक सम्बन्ध सम्बन्धी समस्याएं।

(III) अक्टूबर 1992 में यूनिट-I के बायलर में दुर्घटना होना।

[हिन्दी]

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

1117. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** :
प्रो० के०वी० थामस :
श्री राम कापसे :
डा० साक्षीजी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए गए हैं :—

(I) देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली सड़कें;

(II) निकटवर्ती देशों को जोड़ने वाली सड़कें;

(III) राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें;

(IV) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें;

(V) अति महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकओं को पूरा करने वाली सड़कें;

(VI) ऐसी सड़कें जिन पर पर्याप्त दूरी तक अधिक यातायात चलता हो; और

(VII) ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा की दूरी में काफी कमी हो और जिनके फलस्वरूप काफी आर्थिक लाभ हो।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 38,636 कि०मी० लंबाई को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने 133 प्रस्ताव भेजे हैं। तथापि, अभी तक आंध्रप्रदेश में कुरनूल से चित्तूर तक की केवल एक सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल करना संभव हो पाया है। आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बहुत कम निधियां आबंटित होने के कारण फिलहाल किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना कठिन है।

[अनुवाद]

डी०टी०सी० को डीजल की आपूर्ति

1118. **श्री मोहन रावले** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम (डी०टी०सी०) भारतीय तेल निगम (आई०ओ०सी०) से डीजल उधार पर खरीदता है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें हैं;

(ग) 30 जून, 1994 तक डी०टी०सी० द्वारा आई०ओ०सी० को डीजल की आपूर्ति के लिए कितनी राशि देय थी;

(घ) क्या आई०ओ०सी० ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर डी०टी०सी० को डीजल की आपूर्ति रोकने का निर्णय किया है; और

(ङ) डी०टी०सी० ने आई०ओ०सी० को बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए क्या प्रयास किए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस समय दिल्ली परिवहन निगम (डी०टी०सी०), भारतीय तेल निगम (आई०ओ०सी०) से नकद भुगतान (कैश एंड कैरी) के आधार पर डीजल खरीद रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार दि०प०नि० द्वारा भारतीय तेल निगम को 19.62 करोड़ रु० की बकाया राशि का भुगतान किया जाना है।

(घ) भारतीय तेल निगम, दिल्ली परिवहन निगम पर अपनी बकाया देयताओं का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करने के लिए बार-बार दबाब डाल रहा है। भारतीय तेल निगम ने यह भी सूचित किया है कि यदि दि०प०नि० द्वारा इन देयताओं को भुगतान नहीं किया जाता है तो उनके लिए दि०प०नि० को डीजल की आपूर्ति जारी रख पाना कठिन हो गया है।

(ङ) सरकार दि०प०नि० को, गैर योजनागत खर्च पूरा करने के लिए जिसमें तेल कंपनियों को भुगतान भी शामिल है, समय-समय पर गैर-योजनागत निधियां जारी करती है। चालू वित्त वर्ष के लिये निधियां पर्याप्त नहीं पाई गई हैं तथा सरकार द्वारा अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करनी होगी ताकि दि०प०नि० भारतीय तेल निगम के बकाया भुगतान सहित सभी बकाया देयताओं का भुगतान कर सकें।

श्रीनगर पन-बिजली परियोजना

1119. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीनगर पनबिजली परियोजना को विश्व बैंक के ऋण से धन उपलब्ध कराया जाना था लेकिन केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कुछ शर्तों का पालन नहीं किए जाने के कारण ऋण रद्द कर दिया गया;

(ख) क्या 100 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए जा चुके हैं और 65 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां तो परियोजना को पुनः चालू करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा ऋण संबंधी शर्तों का पालन न किए जाने के कारण विश्व बैंक ने श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को प्रदान किया जाने वाला ऋण रद्द कर दिया था।

(ख) जी, हां।

(ग) परियोजना का क्रियान्वयन शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी निवेशकों को आमंत्रित किया है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अधिकारियों की विदेश यात्राएं

1120. **श्रीमती गिरिजा देवी :**
डा० एस०पी० यादव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों ने 1993 और 1994 के दौरान कितनी विदेश यात्राएं की;

(ख) अध्यक्ष तथा अन्य अधिकरियों की इन यात्राओं पर कितना-कितना खर्च किया गया; और

(ग) ऐसी प्रत्येक यात्रा का प्रयोजन और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के अध्यक्ष और अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राएं इस प्रकार हैं :—

1993

(I) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष दो बार विदेश गए और उन्होंने आस्ट्रिया, जापान और थाईलैन्ड की यात्रा की।

(II) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के महानिदेशक नौ अवसरों पर विदेश गए और उन्होंनें दक्षिण अफ्रीका, मारीशस, मिस्र, यूनाइटेड किंगडम, अमरीका, हंगरी, आस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, इस्रायल, चीन और जापान की यात्रा की।

(III) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष के निजी सचिव एक बार विदेश गए और उन्होंने आस्ट्रिया की यात्रा की।

(IV) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष के सहायक निजी सचिव एक बार विदेश गए और उन्होंने जापान तथा थाईलैन्ड की यात्रा की।

1994

(I) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष एक बार विदेश गए और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की यात्रा की।

(II) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के उप महानिदेशक (प्रोग्राम) एक अवसर पर विदेश गए और उन्होंने मिस्र की यात्रा की।

(III) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष के सहायक निजी सचिव एक अवसर पर विदेश गए और उन्होंने यूनाइटिड किंगडम और फ्रांस की यात्रा की।

(ख) इन यात्राओं में प्रत्येक यात्रा का ब्यौरा और उन पर हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रत्येक यात्रा का उद्देश्य अनुबन्ध में यात्रा के समाने दिया गया है। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों द्वारा की गई यात्राओं की उपलब्धियां नीचे दिए अनुसार है:—

इन विदेश यात्राओं से नए सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने, मौजूदा सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने और भारत तथा अन्य देशों और विदेश स्थित संस्थानों के बीच आपसी समझबूझ को बढ़ाने में सहायता मिली है। संस्थागत स्तर पर इन यात्राओं से सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ा है और द्विपक्षीय स्तर पर लोगों से लोगों के बीच संबंध सुविधाजनक हुए हैं।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष और आधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं से भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के उन उद्देश्यों को एक तरफा रूप से आगे बढ़ाने का अवसर मिला जो 1950 में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् की स्थापना के समय संगठन के ज्ञापन में निर्देशित किए गए थे।

विदेश यात्राओं से विदेशों में भारत की कला और संस्कृतिक के प्रति बेहतर समझबूझ बनी है और

उसकी सराहना की गई है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की एक ऐसे देश के रूप में छवि प्रस्तुत करने में सहायक हुई है जो मुक्त रूप से लोगों के बीच सम्पर्क बढ़ाने के लिए लगतार प्रयत्नशील है और जो अन्य देशों की संस्कृतियों को महत्व देता है।

7. इन विदेश यात्राओं से सभी मित्र देशों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रमों में सहयोग मिला है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रोतोकोलों में निहित सांस्कृतिक आदान-प्रदानों के लिए परस्पर औपचारिक व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन को दिए गए महत्व को देखते हुए सांस्कृतिक विभागों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों, बुद्धिजीवियों तथा नीति निर्माताओं की समय-समय पर यात्राएं और बैठकें आवश्यक हैं।

विवरण

महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा की गई विदेश यात्राएं

क्र०सं०	यात्रा का स्थान	दिनांक	अनुमोदन लिया	व्यय	यात्रा का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
1.	दक्षिण अफ्रीका मारीशस	2-12 फरवरी, 1993	विदेश सचिव/भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के उपाध्यक्ष और विदेश राज्य मंत्री (एस०के०)	64,467 रुपए	जोहान्सवर्ग, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के लिए तैयारी यात्रा और पोर्ट लुईस, मारीशस में इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र का निरीक्षण।
2.	लन्दन/काहिरा	1-6 अप्रैल, 1993	अध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद	36,998 रुपए	भारत-मिस्र सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में पुनरीक्षण के लिए सरकारी शिष्टमण्डल के सदस्य।
3.	लन्दन/न्यूयार्क यू०एस०ए०/हंगरी/ आस्ट्रिया	15 से 29 अप्रैल, 1993	अध्यक्ष, सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद	1,3,780- रुपए	(I) लन्दन में नेहरू केन्द्र के निरीक्षण के लिए और ब्रिटिश काउंसिल के साथ सहयोग के पुनरीक्षण के लिए। (II) वाशिंगटन डी०सी० में शिक्षा और संस्कृतिक पर भारत-अमरीका उप आयोग के संयुक्त सत्र की 19 वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए। (III) "डेज ऑफ इंडिया इन हंगरी" के लिए सरकारी शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में। (IV) शाल्सवर्ग, आस्ट्रिया में भारतीय प्रदर्शनी "मैजिक हैन्डस" के उद्-घाटन अवसर पर लोअर आस्ट्रिया के अतिथि के रूप में और आस्ट्रिया के साथ भविष्य में सहयोग के लिए बैठकों में भाग लेने के लिए।

1	2	3	4	5	6
4.	लन्दन	14-22 मई, 1993	अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्	88, 380 रुपए	ब्राइटिन फेस्टिवल के अतिथि और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के साथ सहयोग में ब्रिटिश आर्ट की काउन्सिल द्वारा प्रस्तुति के लिए भारतीय विषय पर चर्चा।
5.	लन्दन	1-7 जुलाई, 1993	अध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्	92, 795 रुपए	भारत-ब्रिटिश चर्चा दल की बैठक में भाग लेने के लिए।
6.	पेरिस	24-7-1993 से 2-8-1993	अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्	24,255- रुपए	आवियो फेस्टीवल में शामिल होने के लिए और विभिन्न संगठनों के साथ चर्चाएं करना जिसमें भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के जरिये भारत में सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं।
7.	रूस	12-18.9-1993	अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्	68,636 रुपए	रूस के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए सरकारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में।
8.	तेल अवीव	24-30.9-1993	अध्यक्ष, भा०सां०सं०प०	1,32,533 रुपए	भारत और इजरायल के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए सरकारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में।
9.	चीन/जापान	19-26-11. 1993	विदेश सचिव/उपाध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् और अध्यक्ष, भा०सां०सं०प०	99, 025 रुपए	(I) चीन में भारत महोत्सव के लिए प्रोतोकोल को अन्तिम रूप देने के लिए सरकारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में। (II) मिन-आन कन्सर्ट एसोसिएशन, टोक्यो के साथ भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के आदान-प्रदान कार्यक्रम की समीक्षा करने और टोक्यो फ्यूजी आर्ट म्यूजियम के सहयोग के आयोजित किए जा रहे अशोक-गांधी-नेहरू-प्रदर्शनी से सम्बद्ध कार्य को अन्तिम रूप देने के लिए।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष द्वारा की गई विदेश यात्राओं का ब्यौरा

क्र०सं०	यात्रा का स्थान	दिनांक	अनुमोदन लिया	व्यय	यात्रा का उद्देश्य
1.	आस्ट्रिया	23-29 अप्रैल, 1993	—	69,803 रु०	आस्ट्रिया के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा भारत को चित्रित करने वाली प्रदर्शनी "मैजिक हैन्डस" के उद्घाटन के अवसर पर स्टेट ऑफ लोअर आस्ट्रिया के गवर्नर द्वारा आमंत्रित अध्यक्ष ने बाद में भविष्य में सांस्कृतिक सहयोग के लिए आस्ट्रिया में संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात की और विचार-विमर्श किया। अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद का वहां राजकीय अतिथि के रूप में स्वागत किया।
2.	जापान और थाइलैन्ड	5-17 अक्तूबर, 1993	—	55,814 रु०	इन्डो-जापान स्टडी मीट की बैठक और मिन-आन कन्सर्ट एसोसिएशन एन्ड द टोक्यो फूजी आर्ट म्यूजियम के साथ भारत-जापान आदान-प्रदान पर चर्चा की। थाईलैन्ड में अध्यक्ष को विद्वानों, बुद्धिजीवियों, नीति निर्माताओं और सांस्कृतिक संस्थानों के अध्यक्षों से मिलने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर चर्चा करने का अवसर मिला।
3.	यूनाइटिड किंगडम और फ्रांस	2-15 जुलाई, 1994	—	1,22,682 रु० (अनुमानित)	राष्ट्रकुल संस्थान के "एशिया-फोक कार्यक्रम" से सम्बद्ध धर्मनिरपेक्षवाद और साम्प्रदायिकता पर वार्ता के लिए राष्ट्रकुल संस्थान से नियंत्रण फ्रांस की यात्रा आवियों फेस्टिवल के निदेशक के नियंत्रण पर की गई थी।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष द्वारा की गई विदेश यात्राओं का ब्यौरा

क्र०सं०	यात्रा का स्थान	दिनांक	अनुमोदन लिया	व्यय	यात्रा का उद्देश्य
1.	भारतीय सास्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष के निजी सचिव आस्ट्रिया	23-29 अप्रैल, 1993	अध्यक्ष भारतीय सास्कृतिक सम्बन्ध परिषद्	1,10,023 रुपये	भारतीय सास्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष के साथ यात्रा
1.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष के सहायक सचिव जापान और थाइलैण्ड	5-17 अक्टूबर, 1993	- वही -	77,671 रुपये	- वही -
1.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के उप महानिदेशक (कार्यक्रम) मिस्र	24-27 जनवरी, 1994	महानिदेशक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्	33,918 रुपये	मिस्र में भारतीय दिवस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के, विषय में विचार विमर्श करने के लिए गये अधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष के रूप में। मिस्र सरकार के अधिंकारिक अतिथि
1.	भारतीय सास्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष के सहायक निजी सचिव यूनाटिड किंगडम और फ्रांस	2-15 जुलाई, 1994	भारतीय सास्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष	97842/- रूपये	भारतीय सास्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष के साथ

कच्छ में बाक्साइट के भंडार

1121. **श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले में बॉक्साइट के भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने गुजरात के कच्छ जनपद के मॉडवी, अबाडासा, नखातराना, अन्जार और भुज तालुकों में बॉक्साइट के 30.75 मिलियन टन के कुल भंडरों का पता लगाया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने मार्च 1994 में गुजरात सरकार के कच्छ जनपद के बॉक्साइट वाले क्षेत्रों के अनारक्षण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसी का वितरण क्षेत्र

1122. **डा० लाल बहादुर रावत :**
श्री राजवीर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक रसोई गैस एजेंसी का वितरण क्षेत्र जिसमें इसके हिस्से में आने वाला ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित है, कितना होता है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि रसोई गैस एजेंसी के मालिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन देने से मना कर देते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में गैस एजेंसियों को क्या नियम/आदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) इस प्रकार की अनियमितता को दूर करने हेतु सरकार ने क्या ठोस कदम उठाएं हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सामान्यतया एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटर का क्षेत्र नगरपालिका की सीमाओं के भीतर होता है। तथापि अव्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरों पर्वतीय बाजारों में स्थित डिस्ट्रीब्यूटरों के मामले में डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से प्रचालन क्षेत्रों का विस्तार कर दिया जाता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) उत्पाद के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण सामान्यतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एल०पी०जी० के विपणन पर अभी विचार नहीं किया गया है।

(घ) इस उद्योग द्वारा एल०पी०जी० की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त रिफाइनरियों खोलने और सुविधाओं का आयात करने की योजनाएं तैयार की गई हैं। इसके अलावा सरकार ने प्राइवेट विपणनकर्त्ताओं को भी एल०पी०जी० का आयात करने की अनुमति प्रदान की है। इन उपायों से 1997-98 से आगे एल०पी०जी० की उपलब्धता में सुधार होने की आशा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी एल०पी०जी० का विपणन किया जा सकेगा।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

1123. **श्री राम पूजन पटेल :**
डा० लाल बहादुर राव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकसित देशों की तुलना में देश में बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) क्या बिजली का उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 1992-93 के दौरान देश में वार्षिक प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत 283.10 कि०वा० आवर थी। यह विकसित देशों में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की अपेक्षा कम है। कुछ विकसित देशों के बारे में प्रति व्यक्ति खपत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान देश में 323252 मि०यू० ऊर्जा की आवश्यकता की अपेक्षा 299494 मि०यू० ऊर्जा उपलब्ध थी – जो कि 7.3: की कमी का द्योतक है। देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार किये जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं; नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, बेहतर मांग प्रबंध और ऊर्जा संवर्धन उपायों को अपनाना, अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अन्तरण करना और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन देना।

विवरण

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में लोक सभा में दिनांक 1-8-1994 को उत्तरार्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 1123 के भाग "क" के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

वर्ष 1994 के दौरान विकसित देशों में बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत

क्र०सं०	देश का नाम	प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत
1	2	3
1.	कनाडा	18134
2.	फ्रांस	7044
3.	जर्मनी	7199

1	2	3
4.	स्वीडन	17008
5.	स्विटजरलैंड	8100
6.	इटली	4452
7.	यू०एस०एस०आर०	5818
8.	यू०के०	5860
9.	यू०एस०ए०	12281
10.	जापान	7161

संदर्भ :—उर्जा सम्बन्धी आकड़ें — 1991 यू०एन० प्रकाशन।

विद्युत सम्बन्धी विशेष समिति

1124. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक विशेष विद्युत समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र के लिए वर्तमान आबंटन में और वृद्धि करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राष्ट्रीय राजमार्ग।

1126. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने राज्य के कुछ मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने संबंधी कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय, राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाली कुछेक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों से है। राज्य सरकार ने आठवीं पंच वर्षीय योजना में अन्तर-राज्यीय

अथवा आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़कों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत 57.00 करोड़ रु० लागत वाली 76 सड़क/पुल परियोजनाएं प्रायोजित हैं। तथापि, चालू योजना में केन्द्रीय सैन्टर की सड़कों के कार्यक्रम के लिए बहुत कम निधियों के आबंटन के कारण उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात सहित विभिन्न राज्यों की केवल कुछेक चुनिदा परियोजनाओं पर ही कार्य करना संभव हो पाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कोयले का आयात

1127. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार अपने इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इस आयात से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार कोयला धोवनशालाओं का प्रबन्धन वापस अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्वदेशी कोककर कोयले की उपलब्धता और इस्पात संयंत्रों की कोयले की कुल आवश्यकता के बीच के मात्रात्मक और गुणवत्तात्मक अन्तर को पूरा करने के लिए "सेल" द्वारा कोककर कोयले का आयात किया जाता है। वर्ष 1994-95 के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड ने सेल के इस्पात संयंत्रों के लिए उनके कोककर कोयले की 160 लाख टन की आवश्यकता के लिए 105 लाख टन कोककर कोयले की अधिकतम उपलब्धता के बारे में उल्लेख किया है। इस प्रकार चालू वर्ष में "सेल" द्वारा 55 लाख टन कोककर कोयले का आयात किए जाने की सम्भावना है। इसके लिए 2860 लाख अमरीकन डालर की विदेश मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने से पूर्व तत्कालीन हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड सैन्ट्रल कोल वासरीज आर्गेनाइजेशन (सी०सी०डब्ल्यू०ओ०) के अधीन 4 धोवनशालाओं का प्रचालन कर रहा था। राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद इन धोवनशालाओं का प्रबंधन 1971 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दिया गया।

1993 में सेल ने कहा कि निम्नलिखित शर्तों पर इन धोवनशालाओं का प्रबंधन वापिस लेना उपयुक्त रहेगा :—

(I) कोल इण्डिया लिमिटेड सी०सी०डब्ल्यू०ओ०की उपरोक्त धेवनशालाओं से जुड़े स्रोतों से वर्तमान मूल्य पर अपेक्षित ग्रेड-सीमा का न्यूनतम 70 लाख टन रॉ फीड कोयला उपलब्ध कराएगा।

(II) सी०सी०डब्ल्यू०ओ० धोवनशालाओं की श्रमशक्ति वही रहेगी जो कि बी०सी०सी०एल० द्वारा अधिग्रहण के समय थी।

(III) सभी संचित हानियां कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बट्टे खाते में डाल दी जाएं।

विद्युत क्षेत्र के लिए योजना आवंटन

1128. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विद्युत क्षेत्र में ढांचागत विकास हेतु केन्द्रीय योजना आबंटन में वृद्धि के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया धनराशि

1129. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य विद्युत बोर्ड पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार विभिन्न बिजली बोर्डों/लाभग्राहियों की और पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० की बकाया देयताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र०सं०	राज्यों/लाभग्राहियों का नाम	31-3-1994 की स्थिति के अनुसार बकाया
1	2	3
1.	जम्मू एवं कश्मीर	12.08
2.	एच०पी०एस०ई०बी०	1.76
3.	पी०एस०ई०बी०	15.30
4.	एच०एस०ई०बी०	31.15
5.	आर०एस०ई०बी०	31.79

1	2	3
6.	यू०पी०एस०ई०बी०	103.59
7.	डेसू	25.82
8.	ए०पी०एस०ई०बी०	19.14
9.	के०ई०बी०	10.66
10.	के०एस०ई०बी०	4.06
11.	टी०एन०ई०बी०	18.65
12.	बी०एस०ई०बी०	27.13
13.	ओ०एस०ई०बी०	18.60
14.	डब्ल्यू०बी०एस०ई०बी०	4.32
15.	सिक्किम	0.24
16.	डी०वी०सी०	11.46
17.	असम	9.95
18.	एम०एस०ई०बी०	0.74
19.	त्रिपुरा	0.45
20.	मिजोरम	0.11
21.	मणिपुर	3.23
22.	नागालैण्ड	0.85
23.	अरुणाचल प्रदेश	0.12
	जोड़ :	351.10

[अनुवाद]

दिल्ली में खराब पड़े सार्वजनिक टेलीफोन

1130. **डा० साक्षीजी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रेलवे स्टेशनों, अंतर्राज्यीय बस अड्डा और विमानपत्तनों पर कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं;

(ख) गत तीन महीनों से इन स्थानों पर कितने सार्वजनिक टेलीफोन खराब पड़े हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लि०, दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिल्ली के रेलवे स्टेशनों, अन्तर्राज्यीय बस अड्डे एवं हवाई अड्डों पर कुल 172 सार्वजनिक टेलीफोन काम करे रहे हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रबंधन के विभिन्न स्तरों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और यदि कोई सार्वजनिक टेलीफोन खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

उजबेकिस्तान के साथ संबंध

1131. **श्री हरिन पाठक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान इस देश के साथ किए गए समझौतो/समझौता ज्ञापनों/प्रोटोकालों के संबंध में सरकार ने क्या अनुवर्ती कदम उठाए हैं या उठाने का विचार किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : उज़बेकिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान सपन्न करारों। समझौता ज्ञापनों पर सामान्य सरकारी माध्यमों के जरिए निरन्तर आधार वर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

2. उज़बेकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 5 जनवरी, 1994 को दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार तथा उजबेकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दूर संचार विभाग ने परस्पर हित के संयुक्त उद्यमों से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल की उजबेकिस्तान की यात्रा निर्धारित की है। पूर्व में हुए विचार-विमर्शों के दौरान दूर संचार के जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। नेटवर्किंग तथा सॉफ्टवेयर, ग्रामीण दूरसंचार, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के प्रयास, परामर्शी परियोजनाएं आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में भारतीय प्रति- निधि मण्डलों द्वारा उज़बेकिस्तान यात्रा के दौरान विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा की तारीखों को अन्तिम रूप देने के लिए हमारा दूर संचार विभाग ताशकन्द स्थित भारतीय राजदूतावास के माध्यम से उज़बेक सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए हैं।

3. भारत गणराज्य की सरकार तथा उज़बेकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक सहयोग संबंधित करने के लिए एक भारत उजबेक केन्द्र की स्थापना के संबंध में एक प्रोतोकोल पर उज़बेकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 5 जनवरी 1994 को हस्ताक्षर हुए। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एक आठ सदस्यीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक शिष्टमण्डल फरवरी 1994 को भारत की यात्रा पर आया उजबेक शिष्ट मण्डले के कार्यक्रम में कपास, इलेक्ट्रोनिक्स एवं दूर संचार, आर्युविज्ञान तथा एडवांसड् मेटीरियल के क्षेत्रों में 27 वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक संस्थानों की यात्राएं शामिल थी जिसके परिणामस्वरूप परस्पर हित के अनेक अनुसंधान गतिविधियों का निर्धारण किया जा सका।

4. डाक तथा संबद्ध मामलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार तथा उज़बेकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच संपन्न एक करार में भारत और अजबेकिस्तान की क्रियान्वयन एंजेसियों की संयुक्त समिति की स्थापना किए जाने की संकल्पना है। हमारे डाक विभाग, संचार मंत्रालय ने ताशकन्द स्थित भारतीय राजदूतावास के माध्यम से यह प्रस्ताव उजबेकी पक्ष के समक्ष रखा है तथा उनकी और से जबाब की प्रतीक्षा है जिसमें यह बताया जाएगा कि उनकी ओर से इस करार का क्रियान्वयन उज़बेकिस्तान की कौन सी संस्था

करेगी। उज़बेकिस्तान की सरकार को पुनः अपने निर्णय से अवगत कराने के लिए कहा गया है।

5. उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत गणराज्य की सरकार तथा उज़बेकिस्तान गणराज्य की सरकार की बीच संस्कृतिक सहयोग पर 5 जनवरी 1194 को संपन्न करार के अन्तर्गत वे सभी द्विपक्षीय सांस्कृतिक परियोजनाएं यथावत बनी रहेंगी जो पूरी हो चुकी हैं अथवा जिन पर काम हो रहा है इसी प्रकार अन्य संबंधित गतिविधियां जो इस समय लागू हैं, प्रभावित नहीं होंगी और इन्हें सामान्य राजनयिक माध्यमों के जरिए चलाया जा रहा है। भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक ने ताशकन्द में काम करना शुरू कर दिया है।

6. भारत गणराज्य तथा उज़बेकिस्तान गणराज्य के बीच आर्थिक संपर्कों के विकास के सिद्धान्तों तथा व्यापक सहयोग को सुदृढ़ बनाने से संबंधित करार में, जिस पर राष्ट्रपति करिमोब की यात्रा के दौरान 5 जनवरी, 1994 को हस्ताक्षर किए गए थे। 24-5-1993 के संपन्न दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से संबद्ध करार के जो इस समय वैध हैं, प्रावधान शामिल हैं जिन्हें सामन्य द्विपक्षीय माध्यमों के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

7. उज़बेकिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान अन्तर-राज्य संबंधों एवं भारत गणराज्य तथा उज़बेकिस्तान गणराज्य के बीच सहयोग से संबद्ध सन्धि के अनुसार दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया यह दोनों देशों के बीच एक फ्रेमवर्क करार है जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबन्धों को परिलक्षित करता है और इनके भावी विकास के लिए दिशा-निर्देश देता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग

1132. **श्री प्रभु दयाल कटेरिया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु भेजे गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। 50 लाख रुपए और इससे अधिक की लागत वाले प्रत्येक निर्माण-कार्य, जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) इन प्रस्तावों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों के राज्यवार आबंटन का ब्यौरा सलंग्न विवरण II पर दिया गया है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य	प्रस्तावों की सं०	अनुमानित लागत (लाख रुपए)
1.	आंध्र प्रदेश	6	20652.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	2	132.50
4.	बिहार	—	—
5.	चण्डीगढ़	—	—
6.	दिल्ली	1	174.00
7.	गोवा	2	605.27
8.	गुजरात	2	480.96
9.	हरियाणा	1	422.30
10.	हिमाचल प्रदेश	4	2584.52
11.	जम्मू और कश्मीर	—	—
12.	कर्नाटक	2	745.83
13.	केरल	1	1581.11
14.	मध्य प्रदेश	1	107.52
15.	महाराष्ट्र	1	50.48
16.	मणीपुर	—	—
17.	मेघालय	2	209.13
18.	नागालैंड	—	—
19.	उड़ीसा	1	173.40
20.	पाडिचेरी	—	—
21.	पंजाब	4	473.32
22.	राजस्थान	4	1247.07
23.	तमिलनाडु	4	1442.00
24.	उत्तर प्रदेश	8	1593.67
25.	पश्चिम बंगाल	2	355.00

विवरण-II

क्र०सं०	राज्य/संघ शसित क्षेत्र	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	1580
2.	अरुणाचल प्रदेश	100
3.	असम	1400
4.	बिहार	1920
5.	चण्डीगढ़	25
6.	दिल्ली	550
7.	गोवा	570
8.	गुजरात	6350
9.	हरियाणा	3200
10.	हिमाचल प्रदेश	1200
11.	जम्मू और कश्मीर	40
12.	कर्नाटक	2900
13.	केरल	3089
14.	मध्य प्रदेश	1850
15.	महाराष्ट्र	3080
16.	मणीपुर	300
17.	मेघालय	470
18.	नागालैंड	45
19.	उड़ीसा	1350
20.	पांडिचेरी	50
21.	पंजाब	2200
22.	राजस्थान	4200
23.	तमिलनाडु	3150
24.	उत्तर प्रदेश	4750
25.	पश्चिम बंगाल	3500

आंवला (बरेली), उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

1133. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंवला (बरेली), उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों की संख्या उस क्षेत्र की मांग के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यहां कुछ और रसोई गैस/एजेंसियां खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) फिलहाल आंवला (बरेली) उत्तर प्रदेश में कार्यरत एक एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप इस क्षेत्र की मांग पूरी कर रही है। उत्पाद की कमी के कारण वर्तमान एल०पी०जी० विपणन योजना के दौरान आंवला में एक अतिरिक्त एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रूसी नेताओं से सीमापार आतंकवाद पर बातचीत

1134. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री की हाल ही की रूस यात्रा के दौरान कश्मीर में सीमापार से पाकिस्तान द्वारा आंतकवाद को बढ़ावा देने संबंधी मुद्दे पर प्रधान मंत्री की रूसी नेताओं से बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) और (ख) कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा सीमापार से आतंकवाद को दुष्प्रेरित किए जाने के संबध में भारत की चिंता से रूस को प्रधान मंत्री की रूस की यात्रा के दौरान अवगत करा दिया गया था। रूसी पक्ष ने बताया कि कश्मीर के संबंध में उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है और यह कि यह स्थिति विगत में अनेक अवसरों पर भारतीय पक्ष को बता दी गई है जिसका प्रमाण है संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग सहित अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर रूस द्वारा अपनाया गया रवैया और वह यह है कि कश्मीर का मसला शिमला समझौते की रूपरेखा के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण बातचीत के जरिये सुलझाया जाना चाहिए। रूस कश्मीर के मसले के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध है।

गलत पासपोर्ट जारी किया जाना

1135. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान गलत व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी किए जाने संबंधी मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए जिम्मेदार पाये गये पासपोर्ट अधिकारियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) 1993-94 के दौरान गलत पासपोर्टों पर कितने लोगों के विदेश जाने की जानकारी मिली है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) से (ग) किसी भी आवेदक को पासपोर्ट उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर तथा निर्धारित प्रक्रिया और सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप जाच आदि करके जारी किया जाता है। 1993 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान उप्रवासन अधिकारियों ने 2,122 ऐसे मामले पकड़े जो जालसाजी, फोटो बदलने, जाली ई०सी०एन०आर०/ई०सी०आर० मोहर, जाली आगमन और प्रस्थान मोहर, जाली भारतीय/विदेशी वीजा, जाली हस्ताक्षर व्यक्तिगत विवरण बदलने तथा जाली पासपोर्ट से सम्बन्धि थे। ऐसे सभी मामलों की सरकार द्वारा जांच की जाती है ताकि दोषी व्यक्ति को पकड़ा जा सके और उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

[हिन्दी]

अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचति जनजातियों के पद

1136. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **विदेश मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश मंत्रालय, उससे संलग्न कार्यालयों तथा भारतीय दूतावासों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनमें कितनी महिलाएं हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचति जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े है और

(ग) इन पदों को कब तक भरा जायेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशनों में प्रथम श्रेणी के अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या 114 है और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या 41 है। इन अधिकारियों में से अनुसूचित जाति की 2 महिलाएं हैं और अनूसूचित जनजाति की 4 महिलाएं हैं। केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन ही विदेश मंत्रालय का एकमात्र अधीनस्थ कार्यालय है। इसमें 4 अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं इनमें से कोई भी महिला अधिकारी नहीं है। और केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में अनुसूचित जन जाति का कोई भी अधिकारी नहीं है।

(ख) विदेश मत्रालय तथा विदेश स्थित मिशनों में विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जाति के लिए 42 आरक्षित पद तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 35 आरक्षित पद रिक्त हैं। केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जाति के लिए 16 आरक्षित पद तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 21 आरक्षित पद रिक्त हैं।

(ग) इनमें से अधिकांश पद मार्च, 1995 वर्ष के दौरान संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से और विभागीय पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे, बशर्ते कि उम्मीदवार न्यूनतम अहर्यताएं रखते हों।

महाराष्ट्र में राजमार्गों का विकास

1137. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र से गुजराने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ख) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है और ये कार्य, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात की वर्तमान और संभावित सघनता, मौजूदा पैदलपथों की स्थिति, निधियों की उपलब्धता इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर किए जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 194.83 करोड़ रु० की लागत के कार्यों को मंजूरी दी गई है जिसमें मोड़ों और चौराहों को सुधारना, पैदलपथों को सुदृढ़ बनाना, मार्गों को चौड़ा करके दो लेन/चार लेन का बनाना, पवड शोल्डर तथा यातायात संकेतों की व्यवस्था आदि शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख -रखाव पर 51.05 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

किए गए/किए जा रहे उपाय निम्नलिखित हैं :–

1. परिवहन वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए ड्राइविंग स्कूल में औपचारिक प्रशिक्षण को एक पूर्वापेक्षा बना दिया गया है।

2. ट्रकों तथा हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए अधिकतम सुरीक्षित लदान भार निर्धारित किए गए हैं।

3. हल्के मोटर वाहनों को छोड़कर शेष सभी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई हैं।

4. देश भर में वाहनों की उपयुक्तता की जांच के लिए एक सामन से दो समयान्तराल निर्धारित किए गए हैं।

5. यह निर्धारित किया गया है कि वाहनों पर सड़क सुरक्षा के साधन अर्थात वाहनों के लिए प्रणाली के साथ दिशासूचक और खतरनाक अथवा जोखिम वाला माल ढोने वाले वाहनों पर विशेष लेवल लगाए जाएगें।

6. सड़क सुरक्षा संबंधी उपाय तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। राज्य सरकारों से भी राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषदें गठित करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकारों को भी निम्नलिखित कार्रवाई करने की सलाह दी गई है :–

1. यातायात संबंधी नियमों और विनियमों को सख्ती और कड़ाई से लागू करना।

2. अंधाधुंध और लापरवाही से वाहन चलाने, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, दोषपूर्ण हैडलाइट, अधिक तेज वाहन चलाने, अधिक भार लादने, आदि के विरुद्ध नियमित रूप से विशेष अभियान चलाना।

3. नोटिस जारी करके उल्लंघन कर्त्ताओं का नियमित रूप से अभियोजन।

4. दुर्घटना बहुत क्षेत्रों में ब्लिंकर/संकेतक लगाना।

5. दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में और अधिक पुलिस की उपस्थिति।

6. विशेष प्रातःकालीन अभियान और रात्रि गश्त।

7. बस-बॉक्सों, पीले बॉक्सों की पेंटिंग।

8. राजमार्गों पर विशेष रात्रि गश्त।

9. बसों, एच०टी०वी०, टी०एस०आर०, टैक्सियों आदि के विरुद्ध विशेष अभियान।

[अनुवाद]

मत्तान्चेरी पुल

1138. **प्रो० के०वी०थामस :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन द्वारा मत्तान्चेरी पुल के निर्माण के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कार्य कब तक आरंभ हो जाएगा और परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु किस एजेंसी का चयन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में पन-विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं

1139. **डा० कृपा सिंधु भाई :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में महानदी बेसिन मे पन विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम उड़ीसा में चिपलीमा के निकट ऐसी कितनी परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है; और

(ग) इन परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) जल और विद्युत परामर्शदात्री सेवाएं (वापकोस) द्वारा पश्चिम उड़ीसा में चिपलीमा के निकट महानदी बेसिन में 320 मे०वा० क्षमता वाली सिन्दोल जल विद्युत परियोजना (जिसमें तीन विद्युत घर यथा देवगांव विद्युत घर 5x250 मे०वा० कापासिरा विद्युत घर-5x20 मे०वा० और गोधनेश्वर विद्युत घर-6x20 मे०वा० शामिल है) और हीराकुण्ड तथा चिपलीमा में 408 मे०वा० क्षमता वाली अतिरिक्त विद्युत उत्पादन स्कीम (जिसमें हीराकुण्ड "वी" विद्युत घर-4ग52 मे०वा० और चिपलीमा "वी" विद्युत घर 4x50 मे०वा० शामिल है) से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, और

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु अप्रैल,1994 में भेज दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1140. **श्री प्रबीन डेका :** क्या **प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को असम सरकार से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकार कर लिया जाएगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) असम से फल तथा सब्जी प्रसंस्करण, मांस तथा पाल्ट्री प्रसंस्करण तथा खाद्यान्न प्रसंस्करण आदि से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को योजना स्कीमों के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों में लगभग 586.00 लाख रु० की वित्तीय सहायता दी गई हैं।

इसके अलावा, असम राज्य से ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना संबंधी तीन प्रस्ताव; गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें सहायता मांगी गई है। इन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जस्ते और सीसे की मांग

1141. **श्री के० प्रधानी :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जस्ते और सीसे की प्रतिवर्ष मांग और उत्पादन कितनी थी;

(ख) क्या सरकार इन दोनों धातुओं की मांग को पूरा करने में समक्ष है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्राथमिक उत्पादकों द्वारा जस्ते तथा सीसे की वार्षिक मांग व उत्पादन इस प्रकार है:—

(टनों में)

वर्ष	मांग	उत्पादन
जस्ता		
1991-92	1,30,000	1,01,206
1992-93	1,35,000	1,26,600
1993-94	1,45,000	1,43,962
सीसा		
1991-92	78,000	30,395

1992-93	82,000	38,382
1993-94	87,000	25,299

(ख) सरकार उनकी स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए इन धातुओं की आपूर्ति नहीं करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खनिजों का उत्पादन लक्ष्य

1142. **श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या **खान मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान विभिन्न प्रकर के खनिजों के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) तत्संबंधी खनिज-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) योजना आयोग ने इस मंत्रालय से संबंधित विभिन्न खनिजों के उत्पादन हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। तथापि, योजना आयोग ने नान-फैरस (अलौह) धातुओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वी०एस०एन०एल० परियोजनाएं

1143. **श्री प्रफुल पटेल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी०एस०एन०एल० ने हाल ही में अपनी परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने हेतु मध्यावधि पुनरीक्षा की थी?

(ख) क्या वी०एस०एन०एल० की कई परियोजनाओं का कार्य वित्तीय कमी के कारण रुका पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मुद्दे को किस प्रकार से सुलझाने का है; और

(घ) सरकार का विचार देश के बाजार से कितनी-धनराशि जुटाने का है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय प्रतिबंधों के कारण विदेश संचार निगम लिमिटेड की अपनी कोई परियोजना ठप्प नहीं पड़ी है।

(ग) दो परियोजनाओं अर्थात् (I) "फ्लैग" परियोजना (फाइबर केबिल लिंक अराउन्ड दि ग्लोब) में सहभागिता और (II) "इनमारसेट-पी" परियोजना को छोड़कर, विदेश संचार निगम लिमिटेड की सभी परियोजनाओं का वित्तपोषण विदेश संचार निगम लिमिटेड की सभी परियोजनाओं का वित्तपोषण विदेश संचार निगम लिमिटेड के अपने आंतरिक संसाधनों से किया जाएगा। 8 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 1996-97 के प्रारंभ से इन दो विशिष्ट परियोजनाओं को निधियों की आवश्यकता पड़ेगी। निधियां या तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के अपने संसाधनों से प्राप्त की जाएंगी अथवा वाणिज्यिक उधार अथवा कर्ज से ।

(घ) विदेश संचार निगम लिमिटेड/दूरसंचार विभाग का फिलहाल विदेश संचार निगम लिमिटेड की परियोजनाओं के लिए स्वदेशी बाजार से निधियां एकत्र करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीनी शिष्टमंडल की यात्रा

1144. **श्री बाई०एस०राजशेखर रेड्डी :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन के एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने सरकार के साथ इस्पात के निर्यात के संबंध मं विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात छड़ों के निर्यात और चीन से मिश्रित कोकिंग कोल के आयात के संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) श्री वू टीटुवान, उप मंत्री, द्यातुकर्मीय उद्योग मंत्रालय, चीनी गणराज्य, के नेतृत्व में 8 सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने जुलाई, 1994 में भारत का दौरा किया तथा इस्पात क्षेत्र से संबंधित कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ विचार-विमर्श किया।

(ग) और (घ) शिष्टमंडल की यात्रा के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

तथापि दोनों पक्ष कार्यदल गठित करने के संबंध में सहमत थे। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं।

(I) इस्पात क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के संबंध में कार्यदल।

(II) लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के संबंध में कार्यदल।

(III) इस्पात उत्पादों के आयात और निर्यात के संबंध में कार्यदल।

[हिन्दी]

बिहार में रसोई गैस की सुविधा

1145. **श्री रामदेव राम :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या बिहार के गढ़वा और पलामू जिलों में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) इस उद्योग द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक की मांग पर आयोजित किए गए बाजार सर्वेक्षण के आधार पर 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले स्थानों में आर्थिक

व्यवहार्यता और उत्पाद उपलब्धता की शर्त पर एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के बारे में विचार किया जाता है। तदनुसार वर्तमान एल०पी०जी० विपणन योजना 1992-94 में बिहार के लिए गढ़वा समेत 29 स्थान सम्मिलित किए गए हैं। वर्तमान विपणन योजना में पलाम् जिले के लिए कोई नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल नहीं है।

पाकिस्तान को आतंकवाद-प्रवर्ती राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाना

1146. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान को आतंकवाद-प्रवर्ती राष्ट्र के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) से (ग) तोड़फोड़ तथा आंतकवाद की गतिविधियों को पाकिस्तान का समर्थन एक हकीकत है और गहरी चिंता का विषय है। पाकिस्तान का यह व्यवहार न तो अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंधों के अनुकूल है और न ही इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के अनुकूल है।

सरकार ने अनेक अवसरों पर सभी स्तरों पर पाकिस्तान से तोड़फोड़ तथा आतंकवाद को समर्थन देने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। सरकार ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिए जाने में निहित खतरों में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अवगत करा दिया है। सरकार आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा दिए जा रहे समर्थन का सामना करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

केरल में अनान्नास प्रसंस्करण संयंत्र

1147. **श्री पी०सी० थामस :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपियन साझा बाजार की सहायता से केरल में अनान्नास प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस संयंत्र की अनुमानित निर्यात क्षमता कितनी होगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) यूरोपीय साझा बाजार की मदद से केरल में अनान्नास प्रंसस्करण संयंत्र स्थापित करने में हुई प्रगति इस प्रकार है:—

(1) फैक्टरी के लिए अपेक्षित जमीन का कब्जा ले लिया गया है और इसके विकास के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दिया गया है।

(2) संयंत्र और मशीनरी की सप्लाई के लिए विश्वव्यापी टेंडर मंगाने हेतु टेंडर दस्तावेजों को तैयार

कर लिया गया है और उन्हें वित्त पोषक एजेंसी, ई०ई०सी० को उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ख) सही निर्यात संभावना का निर्धारण करने के लिए एक व्यावसायिक बाजार सर्वेक्षण चालू किया गया है।

[हिन्दी]

दामोदार घाटी निगम द्वारा भूमि का अधिग्रहण

1148. **श्री ललित उरांव :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा तिलैया बाँध के निर्माण के सम्बन्ध में बिहार के हजारीबाग जिले में 1953 में अधिग्रहित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन व्यक्तियों/आश्रितों का ब्यौरा क्या है जिनकी भूमि इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई थी और जिन्हें वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया गया था तथा इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी०रंगय्या नायडू) : (क) दामोदार घाटी निगम (डी०वी०सी०) के तिलैया बाँध के निर्माण के संबंध में हजारीबाग जिले में 26509.48 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

(ख) डी०वी०सी० द्वारा भूमि के बदले में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिनसे भूमि अधिग्रहित की गई है, उनको नकद भुगतान किया गया था या भूमि प्रदान की गई थी, 1977 में बनाई गई रोजगार नीति के आधार पर, डी०वी०सी० ने तिलैया के पन्द्रह विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु एक पैनल बनाया है और उन सभी को अब रोजगार दे दिया गया है।

[अनुवाद]

मुम्बई में डाक सेवाएं

1149. **श्री राम कापसे :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में डाक विभाग के अप्रैल, 1994 से डाक सेवाओं में सुधार करने की कुछ नई योजनाएं आरंभ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) पिन कोड अंकित स्थानीय डाक के लिए "ग्रील लाइन" तथा पिन रोड अंकित अंतर्महानगरीय डाक के लिए "मैट्रो चैनल" दिनांक 2 अप्रैल,1994 से आरंभ किए गए कारपोरेट मेल के लिए "बिजनैस चैनल" 1 जुलाई, 1994 से शुरू किया गया था।

ग्रील लाइन : बंबई में वितारित की जाने वाली पिन कोड अंकित स्थानीय डाक का, जहां तक संभव हो, दूसरे ... वितरण की अपेक्षा को पूरा करती है। बंबई में हरे लैटर बाक्स लगाए गए हैं ताकि प्राथमिकता को आधार पर निपटान के प्रयोजन से ऐसी डाक को अलग करने में सुविधा रहे।

मैट्रो चैनल : इस योजना में एक महानगर से दूसरे महानगर को भेजी गई प्रथम श्रेणी की पिन कोड अंकित डाक के तीव्र पारेषण तथा 48 घंटे के भीतर वितरण की व्यवस्था है। इस उद्देश्य के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बैंगलूर तथा हैदराबाद शहरों को महानगर माना गया है। ऐसी डाक की प्रारंभिक छंटाई की अवस्था में अलग कर लिया जाता है और इसके बाद इसकी अलग से छंटाई की जाती है और भेजा जाता है।

बिजनैस चैनल : इस योजना में व्यापारिक और अन्य संस्थाओं द्वारा भेजी गई एक मुश्त बिजनैस डाक को संग्रहण की अवस्था में ही अलग करने की व्यवस्था है ताकि उसका तीव्र पारेषण सुनिश्चित किया जा सके। तथ्य यह है कि इस प्रक्रिया की वजह से साधारण डाक के निपटान में भी तेजी आती है। बिजनैस चैनल, मैट्रो चैनल के लिए चुने गए छः मैट्रो शहरों के लिए उपलब्ध है।

बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस

1150. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सागर दिघी विद्युत परियोजना के लिए बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सागर दिघी विद्युत परियोजना के लिए प्राकृतिक गैस के आबंटन हेतु कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

अजमेर के प्रधान डाकघर में अनियमितताएं

1151. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अजमेर के प्रधान डाकघर में किसी प्रकार की अनियमितताओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें शामिल पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जाएगी; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी हां। पुलिस ने 11-4-1994 को अजमेर प्रधान डाकघर के एक डाक सहायक और एक डाकिये के निवासस्थान से भुगतान किए गए मनीआर्डरों की पावतियां बड़ी संख्या में बरामद की थीं। पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया था।

(ग) दोनों कर्मचारियों को 11-04-1994 से निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

(घ) सभी स्तरों पर पर्यवेक्षण-कार्य और कड़ा कर दिया गया है। प्रेषकों को भुगतान किये गए मनीआर्डरों की पावत्तियों का शीघ्र प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

मिट्टी के तेल का आबंटन

1152. **श्री एस०बी० सिदनाल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को कितना-कितना मिट्टी का तेल आबंटित किया जायेगा; और

(ख) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं?

पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आबंटन पूर्ववर्ती आधार पर अर्थात विगत में खपत के आधार पर किया जाता है। तथापि वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान सराकर ने मिट्टी के तेल के आबंटन में गत वर्ष पर काल्पनिक आधार पर 3 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी है। उन राज्यों/संघ राज्यों को अतिरिक्त मात्रा का अधिक आबंटन किया गया है जहां प्रतिव्यक्ति खपत अपेक्षाकृत कम है।

विवरण

1994-95 के लिए एस०के०ओ० का राज्यवार आबंटन

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल एस के ओ आबंटन 1994-95 (मि०ट० में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	603132
2.	अरुणाचल प्रदेश	9484
3.	असम	251713
4.	बिहार	560735
5.	गोवा	27132
6.	गुजरात	798295
7.	हरियाणा	154073
8.	हिमाचल प्रदेश	40390
9.	जम्मू और कश्मीर	71166

1	2	3
10.	कर्नाटक	452929
11.	केरल	270336
12.	मध्य प्रदेश	446055
13.	महाराष्ट्र	1512524
14.	मणिपुर	21074
15.	मेघालय	15705
16.	मिजोरम	6234
17.	नागालैंड	10327
18.	उड़ीसा	192784
19.	पंजाब	525678
20.	राजस्थान	506660
21.	सिक्किम	7559
22.	तमिलनाडु	668587
23.	त्रिपुरा	22228
24.	उत्तर प्रदेश	1016896
25.	पश्चिम बंगाल	748563
26.	अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	4584
27.	चंडीगढ़	20928
28.	दादर और नागर हवेली	3108
29.	दमन और द्वीव	2944
30.	दिल्ली	238540
31.	लक्ष्यद्वीप	876
32.	पांडिचेरी	14863

[हिन्दी]

गुजरात में आलू प्रसंस्करण संयन्त्र

1153. **श्री एन०जे० राठवा :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में आलू प्रसंस्करण संयन्त्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पन विद्युत और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के लिए राष्ट्रीय नीति

1154. **श्री संदीपान भगवान थोरात :**
श्री हरीश नारायण प्रभु म्हात्रे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पन विद्युत और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों में विद्युत उत्पादन करने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति की वर्तमान स्थिति क्या है और इस नीति को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश का परियोजनावार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पन-विद्युत और अपारमपरिक ऊर्जा स्रोतों के अन्तर्गत योजनाओं के लिए राज्यवार प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुख्य पनविद्युत परियोजनाओं की परियोजनावार स्थिति क्या है; इन्हें चालू करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं जिसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है तथा इन परियोजनाओं को समय से चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०यी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जल विद्युत अथवा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिये किसी प्रकार की नई नीति का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) लगभग 73,386 करोड़ रु० की लागत से कुल 22432 मे०वा० की 35 विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किये जाने के लिये विदेशी कंपनियों (अनिवासी भारतीयों और संयुक्त उद्यम के प्रस्तावों समेत) से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय समापन की स्थिति के पश्चात ही विदेशी कंपनियों द्वारा किय जाने वाले निवेश का ब्यौरा प्राप्त हो सकेगा। अभी तक कोई भी प्रस्ताव वित्तीय समापन की स्थिति में नहीं है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में जल विद्युत स्कीमों के लिये 19,105 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। इनके बारे में केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा आठवीं योजना में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रस्तावित परिव्यय और भौतिक लक्ष्य का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) प्रमुख जल विद्युत परियोजनयों की स्थिति का परियेाजनावार और विलंब के कारण, मूल लागत तथा अद्यतन अनुमानित लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

परियोजनाओं को समयानुसार चालू किये जाने के लिये देश में क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं के विभिन्न क्रियाकलापों की प्रगति की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सघन रूप से मानीटरिंग की जाती है। कार्यों को समयानुसार पूरा किये जाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों, प्रमुख निर्माताओं के साथ नियमित य रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। परियोजना के क्रियान्वयन को प्रभावति करने वाले सभी घटकों पर निगरानी रखी जाती है और उपचारात्मक कार्रवाई की शुरूआत की जाती है।

विवरण-I

आठवीं योजना (1992-97) के लिए अनुमोदित परिव्यय (जल विद्युत)

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	सैक्टर/क्षेत्र/राज्य	पूरी हो चुकी स्कीमें	विद्युत उत्पादन अनुमोदित निर्माणाधीन स्कीमें	नई स्कीमें	आर० एण्ड एम०	एस० एण्ड आई०	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
(क)	**केन्द्रीय क्षेत्र**						
1.	नीपको/एन ई सी	—	360.76	—	—	0.60	361.46
2.	एन एच पी सी	—	3825.00	1330.00	15.00	10.00	5180.00
3.	एन जे पी सी	—	1200.00	30.00	—	10.00	1240.00
4.	टी एच डी सी	—	1689.00	—	—	—	1689.00
5.	डी वी सी	—	18.35	—	1.00	1.00	20.35
6.	विविध डी ओ आई	—	100.00	—	—	—	100.00
	उप जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र)	—	7193.11	1360.00	16.00	21.60	8590.71
(ख)	**राज्य क्षेत्र**						
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	हरियाणा	1.44	10.00	36.00	4.06	5.00	56.50
2.	हिमाचल प्रदेश	—	340.40	0.85	2.00	2.50	345.75
3.	जम्मू एवं कश्मीर	—	55.22	605.36	24.60	20.00	705.18

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	पंजाब	0.30	773.31	245.00	53.00	4.48	1076.09
5.	राजस्थान	6.24	10.70	—	—	1.50	18.44
6.	उत्तर प्रदेश	—	1790.13	79.00	300.00	—	2169.13
	उप जोड़(उत्तरी क्षेत्र)	7.89	2979.76	966.21	383.66	33.48	4371.09
पश्चिम क्षेत्र							
1.	गोवा	—	3.44	—	—	—	3.44
2.	गुजरात	28.57	345.18	—	—	1.00	374.75
3.	मध्य प्रदेश	17.77	874.47	25.00	—	27.31	944.55
4.	महाराष्ट्र	3.21	855.66	—	—	8.45	867.32
	उप जोड़(प० क्षेत्र)	49.55	2078.75	25.00	—	36.76	2190.06
दक्षिणी क्षेत्र							
1.	आन्ध्र प्रदेश	56.22	798.32	31.49	100.00	5.00	991.03
2.	कर्नाटक	2.57	420.66	406.63	114.16	8.00	951.84
3.	केरल	—	190.66	161.64	1.00	0.90	294.20
4.	तमिलनाडु	7.38	97.62	1.00	17.70	23.50	147.20
	उप जोड़ (दक्षिण क्षेत्र)	66.17	1447.05	600.79	232.86	37.40	2384.27

1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वी क्षेत्र							
1.	बिहार	—	32.69	148.92	—	3.00	184.61
2.	उड़िसा	—	414.96	105.01	64.71	12.62	597.30
3.	सिक्किम	—	23.73	42.00	6.97	0.20	72.90
4.	पश्चिम बंगाल	—	203.58	166.16	4.00	11.62	385.36
	उप जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	—	674.96	462.09	75.68	27.44	1240.17
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र							
1.	अरूणाचल प्रदेश	—	1.51	27.54	4.20	0.36	33.61
2.	असम	—	122.92	10.00	—	8.00	140.92
3.	मणिपुर	—	1.40	50.00	—	0.18	51.58
4.	मेघालय	—	24.37	5.50	6.00	4.00	39.87
5.	मिजोरम	—	9.12	10.88	—	5.00	25.00
6.	नागालैण्ड	—	32.55	—	—	0.50	33.05
7.	त्रिपुरा	—	—	—	4.88	0.05	4.93
	उप जोड़(उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	—	191.87	103.92	15.08	18.09	328.96
कुल जोड़ :							
जल विद्युत (अखिल भारत)		123.70	14565.50	3518.01	723.28	174.77	19105.26

विवरण-II

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 : वित्तीय और वास्तविक

क्र०सं०	कार्यक्रम	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रु० में)	अनंतिम वास्तविक लक्ष्य	
1	2	3	4	
1.	बायोगैस डवलपमेंट प्रोग्राम	320.00		
	(क) फैमिली साइज़ प्लांट्स		7.50	लाख अदद
	(ख) सी बी पी/आई बी पी/एन बी पी		450	अदद
2.	इम्प्रूव्ड चूल्हा प्रोग्राम	80.00	100	लाख अदद
3.	सोलर थर्मल प्रोग्राम	80.00		
	(क) सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम्स		2.75	स्क०मी० कोल एरिया
	(ख) सोलर कुकर्स		3.00	लाख अदद
4.	सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोग्राम	90.00		
	(क) एस पी वी लाइटिंग सिस्टम्स		25,000	अदद
	(ख) एस पी वी वाटर पम्पस		600	अदद
	(ग) अन्य एस पी वी सिस्टम्स		1,720	कि०वा०
5.	विंड एनर्जी प्रोग्राम	90.00		
	(क) विंड पम्पस		4000	अदद
	(ख) विंड बैटरी चार्जर		500	अदद
	(ग) विंड पावर		100	मे०वा० *
6.	ऊर्जाग्राम (सर्वेक्षण)	1.00		
7.	बायोमास डवलपमेंट प्रोग्राम	15.00		
8.	मानव एवं जंतु ऊर्जा प्रोग्राम	1.00		
9.	बायोएनर्जी डवलपमेंट प्रोग्राम	20.00	300	मे०वा० *
10.	लघु जल विद्युत शक्ति विकास प्रोग्राम	100.00	200	मे०वा० *
11.	अल्टरनेट फ्यूल्स फॉर सरफेस सन्फोरटेशन	10.00		
12.	मैग्नेटो हाइड्रो डायनैमिक्स			
13.	जियो-थर्मल एनर्जी			
14.	कैमिकल सोर्सेज ऑफ एनर्जी	10.00		

1	2	3	4
15.	ओसियन एनर्जी		
16.	हाइड्रोजन एनर्जी		
17.	इंडियन रिनीवेबल एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी लि०	10.00	
18.	रीजनल कार्यालय आदि	10.00	
19.	सूचना एवं प्रचार		
20	सेमिनार/कान्फ्रैंस		
21.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग		
22.	डाटा बैंक/टी आई एफ एसी		
23.	सोजर एनर्जी सैन्टर	15.00	
24.	स्पैशल एरिया प्रोग्राम एंड डैमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज़	5.00	
	जोड़ :	857.00	

≠ इसमें गोबर गैस फायर भी शामिल है।

* इसमें निजी क्षेत्र शामिल है।

विवरण-III

स्वीकृत निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा (100 मे०वा० से अधिक)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेवा०)	लागत मूल/अवतन (करोड़ रु०में)	चालू किये जाने की समय सूची मूल/अवतन	वर्तमान स्थिति	विलंब के कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
केन्द्रीय क्षेत्र						
1.	नाथपा झाकरी (एन जे पी सी) (हि०प्र०)	6x250	1678.02/4337.95	95-97/98-99	सिविल कार्यों का ठेका दे दिया गया है और ठेकेदारों द्वारा स्थल पर कार्य आरंभ कर दिया गया है।	—
2.	दुलहस्ती (एन एच पी सी) (जम्मू व कश्मीर)	3x150	183.45/2362.84	90-91/96-97	परियोजना पर सुरक्षा संबंधीं जोखिम की स्थिति के कारण फ्रैंच कन्सोर्टियम ने 8/92 में कार्य आस्थगित कर दिया था। कार्य को पुनः आरंभ किय जाने के लिये एफ सी के साथ बातचीत चल रही है।	—
3.	सलाल-2 (एन एच पी सी) (जम्मू व कश्मीर)	3x115	217.39/308.95	93-94/93-96	यूनिट-1 व 2 को चालू कर दिया गया है। यूनिट-3 का उत्थापन कार्य प्रगति पर है। टेल रेस सुरंग के सिविल कार्य भी प्रगति पर हैं।	टेल रेस सुरंग के कार्य और यूनिट के उत्थापन कार्य की प्रगति की गति धीमा होना।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	उरी (एन एच पी सी) (जम्मू व कश्मीर)	4X120	1632.62/3424.29	95-96/96-97	स्वीडिश कंसोर्टियम द्वारा परियोजना के कार्य प्रगति पर हैं।	कानून एवं व्यवस्था की समस्या।
5.	टिहरी चरण-1 (टी एच डी सी) (उ ०प्र०)	4X250	197.92/3391.40 (4X150 मेवा०)	81-82/9वीं योजना	परियोजना को 3/94 में स्वीकृत किया गया था।	हाल ही में स्वीकृत की गई।
6.	धौलीगंगा चरण-1 (एन एच पी सी) (उ०प्र०)	4X70	601.99/854.79	98-99/2000-01	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर हैं।	निधियों की कमी।
7.	कोयल कारो (एन एच पी सी) (बिहार)	4X172.5 +1X20	1338.80/1610.87	88-89/2001-02	परियोजना का कार्य रुका हुआ है।	निधियों की कमी।
8.	रंगानदी (नीपको) (अरुणाचल प्रदेश)	3X135	312.78/675.74	94-95/96-98	सुरंग के व्यपवर्तन कार्य पूरे कर लिये गये हैं व अन्य कार्य प्रगति पर है।	बांध व विद्युत गृह के कार्यों के लिए अभी ठेके दिये जाने हैं निधियों की कमी
राज्य क्षेत्र						
उत्तरी क्षेत्र						
1.	लारगी (हि०प्र०)	3X42	168.85/425.00	90-92/9वीं योजना	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर हैं।	निधियों की कमी।
2.	अपर सिंध-2 (जम्मू व कश्मीर)	3X35	76.46/180.00	88-89/96-97	परियोजना का कार्य रुका हुआ है जिसका कारण कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या है।	सिविल कार्यों की प्रगति की गति धीमी होना और कानून व व्यवस्था की समस्या।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	किशनगंगा (जम्मू व कश्मीर)	3x110	782.00/820.00	—	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर हैं।	1. (निवेश संबंधी निर्णय 2. (पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति 3. (सिंधु जल समझौता की स्वीकृति
4.	शाहपुरकंडी (पंजाब)	2x40+ 2x40+ 1x8	702.04/895.08	-/9वीं योजना	अवसंचनात्मक कार्य प्रगति पर हैं।	हाल ही में स्वीकृत की गई है।
5.	रंजीत सागर (थीन बांध) (पंजाब)	4x150	242.32/2126.88	91-92/97-98	मुख्य बांध, उत्पलव मार्ग और विद्युतगृह के सिविल कार्य प्रगति पर हैं।	भूमि अधिग्रहण में विलंब।
6.	श्री नगर (उ०प्र०)	6x55	144.18/592.45	91-92/96-98 (पिछड़कर 9वीं योजना में आ जाने की आशा है)	यू पी एस ई बी द्वारा 5% लाभाश की दर सुनिश्चित न किये जाने के कारण विश्व बैंक के ऋण समझौते को 28.7.92 को रद्द कर दिया गया है। परियोजना प्राधिकारी इस परियोजना का कियान्वयन निजी भागीदारी से किये जाने पर विचार कर रहे हैं।	निधियों संबंधी बाधा।
7.	लखवार व्यासी (उ०प्र०)	3x100 2x60	140.97/922.00	89-90/99-2000	निधियों की बाधा के कारण सिविल कार्यों की प्रगति की गति	निधियों संबंधी बाधा।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					धीमी है टरबाईन जैनेरटिंग सैट के लिये भेल को दिये गये आर्डर को रोके रखा गया है।	
8.	मनेरी भाली (उ०प्र०)	4x76	82.63/641.28	89-90/98-99	कार्य रुके हुए हैं।	निधियों संबंधी बाधाएं।
पश्चिमी क्षेत्र						
1.	कदाना पी एस एस विस्तार (गुजरात)	2x60	24.58/249.77	85-86/96-97	उपस्करों का उत्थापन कार्य प्रगति पर है।	राज्य सरकार द्वारा निम्न प्राथमिकता प्रदान किया जाना और भेल द्वारा सप्लाई में विलंब
2.	सरदार सरोवर (गुजरात)	6x2004 5x50	1551.96/1958.94	94-97/95-2000	मुख्य बांध के सिविल कार्य और अन्य कार्य प्रगति पर हैं। सी एच पी एच यूनिटों का उत्थापन कार्य प्रगति पर है।	विद्युत गृह सुरंग में फिसर का आशोधन कार्य। और एंड आर समस्या। विश्व बैंक और ओ ई सी एफ के ऋणों की अनुपलब्धता।
3.	नर्मदा सागर (म०प्र०)	8x125	1415.51/1415.51	97-2000/ 2000=03	अवसरंचनात्मक कार्य प्रगति पर हैं। टरबाईन जैनरेटिंग सैट के निविदा की समीक्षा की जा रही है।	आर एंड आर समस्या तथा परियोजना वित्त।
4.	बोधघाट (म०प्र०)	4x125	209.30/880.00	89-91/9वीं योजना के बाद	वन संबंधी स्वीकृति के अभाव में कार्य को रोक दिया गया है।	वन संबंधी स्वीकृति
5.	कोयना चरण-4 (महाराष्ट्र)	4x250	378.95/1118.05	92-93/96-98	विद्युत घर के सिविल कार्य प्रगति पर हैं। सप्लाई, उत्थापन और	ठेका देने मे विलंब। अब ठेका दे दिया गया है।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					टरबाइन जैनरेटर सैट को चालू किये जाने का कार्य का ठेका सी ई जी ई एल ई सी, फ्रांस को दिया गया है।	
6.	घाटघर पीएसएस (महाराष्ट्र)	2X125	179.66/554.26	9वीं योजना/ 99-2000	विदेशी परामर्शदाताओं की पूरी सूची तैयार नहीं की गई है।	राज्य सरकार द्वारा समीचित प्रा-थामिकता प्रदान न किया जाना।
दक्षिणी क्षेत्र						
1.	श्री सेलम एलबीपीएच आंध्र प्रदेश	6X150	418.00/1466.42	93-95/96-2000	परियोजना का वित्त पोषण ओ ई सी एफ की सहायता से किया गया हैं सिविल कार्यों के लिए ठेका दे दिया गया है। और ये कार्य प्रगति पर है।	एच आर टी और टी आरटी के सिविल कार्यों में विलंब।
2.	अपर सिलेरू चरण-2 (आन्ध्र प्रदेश)	2X60	11.98/54.30	79-80/93-95	यूनिट-1 को 93-94 में रोटेट किया गया और यूनिट-2 का उत्थापन कार्य प्रगति पर है।	राज्य सरकार द्वारा समुचित प्राथमिकता प्रदान न किया जाना। यूनिट के उत्थापन कार्य नें विलंब होना। यूनिट 2 को इस वर्ष चालू कर दिया गया है।
3.	काली नदी चरण-2 (कर्नाटक)	5X40 +5X50	201.01/393.40	87-88/96-97	सिविल कार्य प्रगति पर हैं। भेल द्वारा टी जी सप्लाई किये जाने का कार्य प्रगति पर है।	विश्व बैंक के ऋणों का रद्द होना और सिविल कार्यों की प्रगति की गति धीमी होना।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	शरावथी टेल रेस (कर्नाटक)	4x60	160.59/232.00	93-94/97-99	-वही-	विश्व बैंक ऋण रद्द होना। सिविल कार्यों की गति धीमी होना। पर्यावरण व वन संबंधी पुनः स्वीकृति के लिए न्यायालय आदेश अपेक्षित है।
5.	गंगावली (कर्नाटक)	2x105	135.83/388.75	85-86/2000-01	भू-पारिस्थिति की समस्याओं के कारण कार्य आस्थागित कर दिया गया है।	पारिस्थितिकी समस्याएं। सिविल कार्यों की प्रगति की गति धीमी है।
6.	लोअर पैरियार (केरल)	3x60	88.43/260.00	90-91/95-97	विद्युत सुरंग के कार्य प्रायः पूरे हो गए हैं। बांध विद्युत घर के सिविल कार्य के ठेके पुनः मै० एचसीसी को दिये जाने का कार्य प्रगति पर है।	एन पी सी सी को दिया गया ठेका रद्द कर दिया गया था और नए ठेकेदार की नियुक्ति की जानी थी।
7.	पयानकट्टी (केरल)	2x120	250.00/350.00	8 वीं योजना/ 9वीं योजना	वन संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।	वन संबंधी स्वीकृति।
8.	पिकारा अल्टीमेट स्टेज (तामिलनाडु)	3x50	70.16/136.32	94/95/2001-02	पहुंच सुरंग और टेल रेस सुरंग के सिविल कार्यों के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।	लौंग टेल रेस और पहुंच सुरंग के ठेके दिए जाने में विलम्ब।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
पूर्वी क्षेत्र						
1.	अपर इन्द्रावती (उड़ीसा)	4X150	130.49/991.40	86-88/97-98	हैड रेस टनल और मुरान बांध के शेष सिविल कार्यों के लिए निविदाएं के कार्य प्रगति पर हैं। आर एंड आर आई डी ए ऋण आस्थगित कर दिया गया था लेकिन अब नवीकरण कर दिया गया है।	7/91 में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। सिविल ठेकेदारों द्वारा कार्य निष्पादित न किया जाना।
2.	बलीमेला-2 (उड़ीसा)	2X60	97.58/97.58	96-97/9वीं योजना	कार्य की शुरूआत की जानी है।	निधियां मुहैया कराई जानी हैं।
3.	पुरूलिया पीएसएस (पश्चिम बंगाल)	4X255	1456.56/1456.56	9वीं योजना/ 9वीं योजना	परियोजना का वित्त पोषण ओ ई 'सी एफ के ऋण के किये जाने का प्रस्ताव है।	परियोजना को हाल ही में स्वीकृत किया गया है।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र निजी						
1.	क्षेत्र विष्णुप्रयाग (उ०प्र०)	4X100	104.51/612.88	84-85/उ०न०	निधियों की कमी के कारण उ०प्र० सरकार ने निजी निवेशकों की भागीदारी आमंत्रित की है। परियोजना को पर्यावरण एवं वन संबंधी दृष्टि से स्वीकृत नहीं गया है। इस परियोजना के लिए उ०प० सरकार ने निजी प्रवर्तकों का पता लगाया है और पर्यावरण एवं वन संबंधी दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त किये जाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।	निधियों की कमी।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	महेश्वर (म०प्र०)	10x40	465.63/824.00	9वीं योजना/ 9वीं योजना	निधियों की कमी के कारण म०प्र० सरकार ने निजी निवेशकों की भागीदारी के लिये कार्य की शुरूआत कर दी है। परियोजना को पर्यावरण व वन संबंधी दृष्टि से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इस परियोजना के लिए म०प्र० सरकार ने निजी प्रवर्तकों का पता लगाया है तथा वन एवं पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।	परियोजना को 1993 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
3.	भीरा पी एस एस (महाराष्ट्र)	1x50	85.95/240.00	94-95/94-95	विद्युत घर के सिविल कार्य पूरा होने वाले हैं। पैनस्टाक उत्थापन और स्पाइरल के कंक्रीटिंग कार्य प्रगति पर हैं। जर्मनी से सप्लाई किये जाने वाले टी जी सैट का कार्य प्रगति पर है।	——

कन्नानोर में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

1155. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के कन्नानोर तथा कासरगोड जिलों में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) फिलहाल कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान और चीन के कब्जे में भारतीय क्षेत्र

1156. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में हैं और ये क्षेत्र इन देशों के कब्जे में कब से हैं; और

(ख) उक्त क्षेत्रों को पाकिस्तान और चीन के कब्जे से वापस लेने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किए जाने का विचार हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) और (ख) भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कुछ क्षेत्रों पर पाकिस्तान और चीन का अवैध कब्जा है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लगभग 78,000 वर्ग कि०मी० क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। जम्मू एवं कश्मीर का लगभग 38,000 वर्ग कि०मी० क्षेत्र चीन के कब्जे में हैं। इसके अतिरिक्त 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान (सीमा करार) के अन्तर्गत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगभग 5120 वर्ग कि०मी० भारतीय प्रदेश का हिस्सा अवैध रूप से चीन को दे दिया है।

सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को जम्मू एवं कश्मीर में अवैध रूप से अधिकृत क्षेत्र को खाली करना होगा। सरकार शिमला समझौते के प्रति वचनबद्ध है जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान की सरकार के साथ सभी मतभेदों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना अपेक्षित है।

भारत और चीन सीमा के प्रश्न का एक उचित न्यायसंगत तथा परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने की दिशा में कार्य करने के प्रति वचनबद्ध हैं और यह कार्य भारत चीन संयुक्त कार्यदल को सौंपा गया है।

मुम्बई में टेलीफोन एक्सचेन्ज

1157. **श्री राम नाईक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में कुछ टेलीफोन एक्सचेंज निर्माणधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इन पर अभी तक कुल कितना व्यय हुआ है तथा परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) ये एक्सचेंज कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे?,

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में पाइप लाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति

1158.**श्री अण्णाजोशी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण महाराष्ट्र में पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा और इसमें कुल कितनी धनराशि व्यय होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

1159. **श्री अमल दत्त :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने में अब तक राज्य-वार क्या प्रगति हुई है;

(ख) उन पंचायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनमें यह सुविधा अब तक नहीं दी गयी है; और

(ग) सभी पंचायतों को टेलीफोन सुविधा कब तक दे दी जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 30-6-1994 तक, गावों में 1,44,894 सार्वजनिक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध पर है।

(ख) 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार 1,02,587 पंचायत गांवों को अभी टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। राज्य-वार ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अनुसार, पंचायत गांवों सहित सभी गांवों को 31 मार्च, 1997 तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनायी गयी है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन : 30 जून 1994 की वस्तुस्थिति

क्र०सं०	सर्किल/राज्य	गांवों की कुल सं०	30-6-1994 की स्थिति के अनुसार टेलीफोनयुक्त गांवों की संख्या	30-6-1994 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन रहित पंचायत गांवों की सं०
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	29341	19430	5828
2.	असम	20459	4525	524
3.	बिहार	79208	8300	5160
4.	गुजरात (दादरा नगर, दमन एवं दीव सहित)			

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	7190	4939	853
6.	हिमाचल प्रदेश	16997	2363	1280
7.	जम्मू-कश्मीर	6447	883	767
8.	कर्नाटक	27024	5218	1127
9.	केरल (लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह सहित)	1530	1512	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	71386	18307	5016
11.	महाराष्ट्र गोवा सहित	36187	14588	10373
12.	उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा सहित)	15192	1574	2750
13.	उड़ीसा	51057	5279	537
14.	पंजाब	13252	7589	4154
15.	राजस्थान	37889	6223	1663
16.	तमिलनाडु, पांडिचेरी सहित	15826	11812	1477
17.	उत्तर प्रदेश	112568	18865	56651
18.	पश्चिम बंगाल (अंडमान) निकोबार एवं सिक्किम सहित)	43306	3586	714
	कुल :	03594	1,44,849	1,02,587

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

1160. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार तथा उनका आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषरूप से मिदनापुर; हल्दिया तथा घटौल एक्सचेंजों सहित तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1994-95 के लिए पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम संबंधी जिलेवार ब्यौरे

क्र०सं०	जिला का नाम	इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्षमता में की जा रही वृद्धि	विस्तार के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्षमता में की जा रही वृद्धि	कुल
1	2	3	4	
1.	24 परगना (पूर्व)	232	1168	1400
2.	24 परगना (दक्षिण)	112	—	112
3.	बिरभूम	1640	1600	3240
4.	बर्दवान	7184	5684	12868
5.	कूचबिहार	2224	1484	3708
6.	दार्जलिंग	8088	4100	12188
7.	दक्षिण दिनाजपुर	1224	—	1224
8.	हुगली	920	—	920
9.	हावड़ा	928	400	1328
10.	जलपाईगुड़ी	712	984	1696
11.	मिदनापुर	3312	2000	5312
12.	मुर्शीदाबाद	1112	1152	2264
13.	नाड़िया	3288	1400	4688
14.	पुरलिया	2000	—	2000
15.	उत्तर दिनाजपुर	144	400	544
16.	बांकूरा	—	784	784
17.	माल्दा	—	800	800
18.	कलकत्ता टेलीफोन्स	14000	42500	56500

उपर्युक्त विस्तार एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम उपस्कर एवं संसाधनों की उपलब्धता के अध्याधीन होगा।

मिदनापुर, हल्दिया तथा घाटोल एक्सचेंजों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम इस प्रकार है:

(1) मिदनापुर-यह एक्सचेंज 1300 लाइनों का एम ए एक्स-II एक्सचेंज है जिसमें चालू कनेक्शनों की संख्या 1222 है और इसकी प्रतीक्षा सची में 278 आवेदक दर्ज है और 1994-95 के दौरान इसके स्थान पर 2000 लाइनों का सी-डॉट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाने की योजना है।

(2) हल्दिया-हल्दिया में इस समय तीन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं, नामतः हल्दिया (1) हल्दिया (टी) तथा दुर्गाचाक।

(I) हल्दिया (1)

यह एक्सचेंज 500 लाइनों की क्षमता का इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एकसचेज है जिसमें चालू कनेक्शनों की संख्या 472 है और 30-6-1994 की स्थिति की अनुसार इसके प्रतीक्षा सूची में 15 आवेदक दर्ज हैं और 1994-95 के दौरान इसके स्थान पर 1000 लाइनों का सी-डॉट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाने की योजना है।

(II) हल्दिया (टी)

यह एक्सचेंज 500 लाइनों का एन०ई०ए०एक्स० इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जिसमें चालू कनेक्शनों की संख्या 480 है और 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार, इसकी प्रतीक्षा सूची में 73 आवेदक दर्ज हैं तथा 1995-96 के दौरान इसका 500 लाइनों द्वारा विस्तार किए जाने की योजना है।

(III) दुर्गाचाक :

यह एक्सचेंज 380 लाइनों का इलैक्ट्रोमैकेनिक एक्सचेंज है जिसमें चालू कनेक्शनों की संख्या 361 है और 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार, इसकी प्रतीक्षा सूची में 126 आवेदक दर्ज हैं तथा, 1994-95 के दौरान इसे 1000 लाइनों के सी-डॉट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज द्वारा बदले जाने की योजना है।

(3) घाटोल : 1993-94 के दौरान घाटोल एक्सचेंज को 512 लाइनों के आई०एल०टी० इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में बदला गया है। 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार, इसमें 274 कनेक्शन चालू हैं और 28 आवेदक प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं। जैसे-जैसे टेलीफोन कनेक्शनों की और अधिक मांग होगी इस एक्सचेंज का विस्तार किया जाएगा।

[हिन्दी]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

1161. **श्री नीतिश कुमार :**
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की निर्माण लागत बहुराष्ट्रीय विद्युत कम्पनियों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और बहुराष्ट्रीय विद्युत कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण की प्रति मेगावाट लागत कितनी-कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के पास विद्युत परियोजनाओं की निर्माण लागत में भिन्नता को देखते हुए विद्युत उत्पादन सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) भेल द्वारा प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की निर्माण लागत बहुराष्ट्रीय विद्युत कंपनियों की तुलना में किसी भी प्रकार से कम नहीं है। सुमुद्र पारीय फर्मों द्वारा लागए गए संयंत्रों को अधिकतर आपूर्तिकारों की साख की पर्याप्त मात्रा में सहायता प्राप्त होती है। परियोजना लागत, ईंधन, प्रयोग में लायी जाने वाली प्रौद्योगिकी और स्थल के अनुसार परिवर्तित होती है।

विदेश सरकारों अथवा बहुराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित विद्युत परियोजनाओं को बोली प्रक्रिया के आधार पर सौंपा जाना अपेक्षित है, जिसमें भेल अधिकतर विदेशी आपूर्तिकारों से प्रतिस्पर्धा करती है। विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना के प्रयोजन के लिए जब तक विदेशी सहायता प्राप्त की जाती रहेगी, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी।

[अनुवाद]

स्वायत्त निकाय

1162. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई नीति का अनुसरण करते हुए दूरसंचार क्षेत्र में सभी सेवा प्रदान करने वालों को नियमित करने के लिए स्वायत्त विनियंत्रक प्राधिकरण की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ताप विद्युत केन्द्र का असन्तोषजनक कार्यकरण

1163. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत केन्द्रों के असंन्तोषजनक कार्यकरण के कारण विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्युत केन्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी०रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) देश में वास्तयिक ताप विद्युत उत्पादन, वर्तमान वर्ष 1994-95 में अप्रैल-जून की अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य से 2.8% अधिक है। तथापि, इस अवधि के दौरान कुछ ताप विद्युत केन्दों ने निर्धारित लक्ष्य से कम उत्पादन किया। इन केन्दों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं; जिनमें पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रम चलाने के लिए बिजली बोर्डों को सहायता प्रदान करना, कोयले की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता की आपूर्ति करना और प्रचालन एवं रख-रखाव कार्मिकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है।

विवरण

ऐसे ताप विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा जिन्होंने अप्रैल 1994 से जून 1994 के दौरान लक्ष्य से कम विद्युत उत्पादन किया

क्र०सं०	केन्द्र का नाम	लक्ष्य मि०यू०	वास्तविक मि०यू०	लक्ष्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आई०पी०स्टेशन	328	279	85.1
2.	राजघाट	192	172	89.6
3.	रिमपोर जोटने	9	3	33.3
4.	फरीदाबाद विस्तार	240	203	84.6
5.	पानीपत	643	615	95.6
6.	भटिण्डा	695	628	90.4
7.	रोपड़	1685	1617	96.0
8.	ओवरा	1895	1479	78.8
9.	पंकी	186	173	93.0
10.	हरदुवा गंज (ख)	284	225	79.6
11.	परिछा	235	210	89.4
12.	टाण्डा	355	196	55.2
13.	सिंगरौली	3267	3245	96.2
14.	रिहन्द	1910	1818	95.2
15.	दादरी (एन०सी०आर०)	442	416	94.1
16.	ऊँचाहार	477	471	98.7
17.	दादरी	756	554	73.3
18.	उकई	1295	1045	80.47
19.	सिक्का	345	329	95.4

1	2	3	4	5
20.	धुवरण जी०टी०	60	41	68.3
21.	पारली	1005	940	93.7
22.	चन्द्रपुर	2530	2472	97.7
23.	उराण जी०टी०	631	581	92.1
24.	ट्राम्बे जी०टी०	36	10	27.8
25.	कोरवा पश्चिम	1215	1137	93.6
26.	संजय गांधी	156	140	89.7
27.	कोरवा एस०टी०पी०एस०	5352	5149	93.9
28.	नैल्लौर	23	19	82.6
29.	रायचूर	1055	983	93.2
30.	एन्नौर	635	452	71.2
31.	पारिमानम	12	6	50.0
32.	पतरातू	510	379	75.3
33.	तलचेर	406	382	94.1
34.	सन्थालडीह	400	302	75.5
35.	दुर्गापुर (डी०बी०सी०)	269	260	96.7
36.	रोखिया जी०टी०	18	15	83.3

जापान के साथ सम्बन्ध

1164. **श्री मंजय लाल :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा जापान के साथ सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : भारत जापान के साथ वाणिज्यिक, प्रौद्योगिकीय तथा सास्कृतिक संबंधों को गति प्रदान करने के लिए उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान के माध्यम से जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने और उन्हें गहन करने के प्रयास कर रहा है।

जून 1992 में प्रधान मंत्री की जापान की यात्रा से विशेषकर वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को

विस्तृत करने के लिए एक उत्तम वातावरण का निर्माण हुआ। तबसे दोनों देशों के अनेक मंत्री एक दूसरे देश की यात्रा कर चुके हैं। जापान के उद्योग एव व्यापार मंत्रालय ने नीति वार्ता के लिए एक भारतीय शिष्टमंडल को आमंत्रित किया है और इस यात्रा के इस वर्ष के अन्त तक होने की संभावना है।

जापान की सरकार, व्यापारिक एवं औद्योगिक वर्ग में हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक उदारीकरण की सराहना की है। सांस्कृतिक संबंधों के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नोडल बिन्दु है तथा यह भारतीय कलाकारों तथा अन्य सांस्कृतिक प्रतिनिधियों की यात्राओं का नियमित रूप से प्रबंध करता है। इसी प्रकार नई दिल्ली स्थित जापान का सांस्कृतिक केन्द्र सांस्कृतिक गतिविधियों को संवर्धित करता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने जापान के साथ 1985 में एक करार सम्पन्न किया है। इस करार की संकल्पना के अनुरूप भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों जैसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने प्रौद्योगिकीय विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए और इसके साथ ही वैज्ञानिकों की यात्रा के आदान-प्रदान के लिए जापान में अपने समकक्ष संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन तथा विस्तृत करार सम्पन्न किए हैं।

[अनुवाद]

ताप विद्युत केन्द्र

1165. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव बाडुडो** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य विद्युत बोर्डों और निजी उद्यमियों/विदेशी कम्पनियों के बीच हुए समझौते को अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन समझौतों में कोयले की आपूर्ति और परिवहन जैसी सुविधाओं की गारंटी देने संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) परियोजना के विकास हेतु निजी पार्टी का चयन करने, परियोजना को ठेके पर देने, विद्युत की बिक्री के लिए वाणिज्यिक समझौतों आदि से संबंधित मामले राज्य बिजली बोर्ड और संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

(ग) निजी विद्युत कम्पनियां, केन्द्रीय ईंधन सप्लाई और ईंधन परिवहन एजेंसियों के साथ विधितः प्रभावी समझौते कर सकती हैं।

चीन द्वारा कोको द्वीप की निगरानी

1166. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में कोको द्वीप पर निगरानी व्यवस्था के संबंध में चीन के सैनिक शिष्टमंडल की म्यांमार यात्रा के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार उन सभी गतिविधियों की निरन्तर समीक्षा करती रहती है जिनका राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो तथा राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करती है।

[हिन्दी]

पूर्व सोवियत संघ में अध्ययनरत भारतीय छात्र

1167. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् वहां के विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1991,1992 एवं 1993 के दौरान इन देशों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या सरकार को इस अवधि के दौरान अध्ययन पूरा करने वाले छात्रों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो देशवार उनकी संख्या कितनी-कितनी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) से (घ) हाल के वर्षों में, सोवियत समाजवादी संघीय गणराज्य में और 1991 के पश्चात् बने 15 स्वतंत्र राज्यों में पढ़ रहे अधिकांश भारतीय छात्र वे हैं जो निजी माध्यमों से गए हैं। जो छात्र निजी माध्यमों से गए हैं उनका हमारे राजदूतावासों में पंजीकरण स्वैच्छिक आधार पर हुआ है। इसलिए छात्रों संबंधी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और यही स्थिति उन छात्रों के सम्बन्ध में है जिन्होंने स्नातक की शिक्षा पूरी कर ली है और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल तथा बाल्टिक राज्यों से चले गए है। तथापि यह अनुमान है कि इन 15 राज्यों में निजी आधार पर पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या लगभग 4000 है। 1991 के बाद से कोई नए प्रस्ताव न किए जाने के कारण सरकारी रूप से प्रायोजित छात्रों की संख्या तीव्रता से कम हो रही है।

[अनुवाद]

पाइप लाइन से रिसाव

1168. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री शिवाजी पटनायक :
श्री रामचन्द्र धंगारे :
डा० सुधीर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस पाइप लाइन का उचित रख-रखाव करने की प्रणाली तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बाम्बे हाई पाइप लाइन में रिसाव के क्या कारण हैं; और

(घ) इस रिसाव को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अनुरक्षण प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) स्प्लैश जोन क्षेत्र में दिवाल की मोटाई की जांच के लिए राइजरों की प्रतिवर्ष निरीक्षण।

(2) प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार पाइप लाइन की स्थिति का सर्वेक्षण और यदि कोई असामान्य स्थिति दिखाई पड़ती है तो सुधार।

(3) पाइप लाइन में क्षरण अवरोधक का नियमित अंतःक्षेपण।

(4) पाक्षिक अंतराल पर आयरन काउंट प्रणाली द्वारा क्षरण की निगरानी।

(ग) एक समसावधि में बाह्य क्षरण के कारण पाइप लाइन राइजर के स्प्लैश जोन में धातु की पाइप के उस स्थान पर पतला हो जाने की वहज से रिसाव हुआ।

(घ) इसे सुनिश्चित करने हेतु ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न हो, ओ०एन०जी०सी० ने 100 एम एस क्लोज ग्रिड के माध्यम से मोटाई माप प्रणाली शुरू की है। सभी 458 राइजरों की जांच की गई है और 31 राइजरों की मरम्मत की गई है।

[हिन्दी]

टैलीफोनों का रख-रखाव

1169. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने मानसून के दौरान टेलीफोनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विशेष कार्यदल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार के कार्य दल गठित करने के लिए मार्गनिर्देश जारी करेगी;

(ग) यदि हां, तो ये मार्गनिर्देश कब तक जारी किये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

मानसून से पहले सावधानी बरतने के संबंध में और जब कभी भी केबल में खराबी का पता चले उसे ठीक करने के बारे में केवल विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त और अनुदेश जारी किये गये हैं।

(ख) से (घ) देश के अन्य भागों में भी ऐसे ही मार्गदर्शी सिद्धान्त और अनुदेश जारी किये गये हैं।

[अनुवाद]

भारत-सऊदी पाइप कोटिंग कन्सारटियम

1170. **श्री बलराज पासी :**
श्री चेतन पी०एस० चौहान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने "आटोक्लिनअल" नामक भारत-सऊदी पाइप कोटिंग कन्सारटियम के घटिया कार्य-निष्पादन पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस घटिया कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेप्सी कोला द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

1171. **श्री काशीराम राणा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आय विदेशी-मुद्रा अर्जन समझौते की प्रारम्भिक शर्तों के अनुसार कंपनी की अनुमानित निर्यात आय के अनुरूप है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जैसा कि कम्पनी द्वारा बताया गया है; मै० पेप्सी फूड्स लि० द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :

	कुल अर्जित विदेशी मुद्रा (एफ०ओ०बी०मूल्य) रुपये
1991-92	23,43,58,444
1992-93	35,85,98,000
1993-94	40,40,64,150
योग :	99,70,20,594

(ख) अनुमोदन की प्रारंभिक शर्तें, 1991-92 और 1992-93 के दौरान लागू थी और उन्हें जुलाई, 1993 में संशोधित किया गया। अनुमोदन की पूर्व शर्तों का व्याख्या को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। परन्तु 1993-94 में विदेशी मुद्रा की आय सामान्यत : संशोधित शर्तों के अनुरूप थी।

[हिन्दी]

बिहार में नये टेलीफोन एक्सचेंज

1172. **श्री रमा कृपाल यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों को कहां-कहां स्थापित किया जाएगा तथा उनकी क्षमता क्या होगी; और

(ग) ये टेलीफोन एक्सचेंज कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) आशा है कि ये सभी एक्सचेंज मार्च,1995 तक चालू हो जाएगें।

विवरण

(ख) (I) बिहार में 1994-95 के दौरान आयोजित नए टेलीफोन एक्सचेंज

क्र०सं०	जिला	एक्सचेंज का नाम	क्षमता		अभ्युक्तियां
1.	कटिहार	पालका	88	लाइनें	चालू हो चुका है
2.	भागलपुर	ब्रह्मपुर	88	"	"
3.	माधोपुर	गोडमा	88	"	"
4.	सहरसा	मनगौर	88	"	"
5.	सहरसा	सरदीह	88	"	"
6.	माधोपुर	आलमनगर	88	"	"
7.	सुपौल	बेलहटेरा	88	"	"
8.	हजारीबाग	बड़कागा	88	"	"
9.	हजारीबाग	अरगड्डा	88	"	"
10.	सहरसा	परवाहा	88	"	"
11.	मुंगेर	रामगढ़	88	"	"
12.	गोडा	गंगती	56	"	"
13.	पूर्वी चम्पारन	पटही	88	"	"
14.	बेगूसराय	रजौरा	88	"	"
15	भभुआ	रामपुर	88	"	"
16.	रांची	रांची	10,000	"	"
17.	पटना	पटना	10,000	"	मार्च, 1995 तक चालू किया जाना है।
18.	एम०आई०टी० मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	2,000	"	"
19.	धनबाद	सरायधाला	3,000	"	"

(II) अतिरिक्त आयोजित लघु क्षमता एक्सचेंज :

उपर्युक्त के अलावा, मांग तथा तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए लघु क्षमता एक्सचेंज और ज्यादा स्थानों पर भी खोले जाएंगे।

[अनुवाद]

दक्षता में वृद्धि करना

1173. **श्री साईता उम्ब्रे :**
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने अपने कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए कोई बड़ा अभियान शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इससे टेलीफोन के कार्यकरण और ग्राहक सेवा में कितना सुधार होगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार विभाग के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों का कौशल बढ़ाने के लिए पड़े पैमाने पर अभियान चालया गया है। इसके अंतर्गत तीन नए पुनर्गठित संवर्ग और समूह "ग" तथा "घ" के वे कर्मचारी शामिल होंगे जिन्होंने पुनर्गठित संवर्गों के लिए अपना विकल्प नहीं दिया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेलीफोन सेवाइएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार नेटवर्क में उत्तरोत्तर शामिल किए जा रहे नए प्रौद्योगिकी उप स्तर की आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों के कौशलताय अभिरुचियो में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

रसोई गैस की डीलरशिप

1174. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न तेल एजेंसियों द्वारा रसोई गैस के नए वितरकों की नियुक्ति के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एक सर्वेक्षण के आधार पर देश में विभिन्न स्थानों के लिए वर्तमान विपणन योजना 1992-94 में 623 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों को सम्मिलित कर लिया गया है।

त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस

1175. **श्रीमती विभू कुमारी देवी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में उपलब्ध प्राकृतिक गैस भंडारों का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके खरीद उपयोग करने हेतु आर्थिक व्यवहार्यता की भी जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि० ने त्रिपुरा में लगभग 28 बी०सी०एस० के भूगर्भीय भंडारों को प्रमाणित किया है। 1993-94 में 0.28 एस०एम०एस०सी०एम०डी० गैस का उपयोग किया गया था। विद्युत उद्योग तथा अन्य परियोजनाओं के लिए 1.75 एम०एम०एस०सी०एम०डी० का आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में इस्पात संयंत्र

1176. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्रों को आशय पत्र जारी करने के संबंध में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात सरकार द्वारा जिन निजी कंपनियों की सिफारिश की गई है; उनका ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए निजी क्षेत्र को आशय-पत्र जारी करने हेतु गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। औद्योगिक लाइसेंस के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी तभी अपेक्षित होती है यदि परियोजना 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के मानक शहरी क्षेत्र के 25 कि०मी० के भीतर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हो।

उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति

1177. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त कल पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण विद्युत आपूर्ति की स्थिति बिगड़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रभावित जिलों के नाम क्या हैं और इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में विद्युत सप्लाई में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आई है, यद्यपि, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कुछ विद्युत उत्पादन यूनिट दीर्घावधि के लिए जबरन बंदी की स्थिति में रहे हैं। दीर्घावधि की जबरनबंदियों का एक कारण अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता होना है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता की स्थिति में सुधार किये जाने के लिए किये जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं विद्यमान क्षमता से इष्टतम विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण संबंध हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार प्रबंध और ऊर्जा संवर्धन के उपाय करना और निकटवर्ती केन्द्रों/प्रणालियों से सहायता की व्यवस्था करना।

मध्य प्रदेश में पेट्रोल/डीजल और रसोई गैस विक्रय केन्द्र

1178. **श्री खेलन राम जांगड़े :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने और रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के संबंध में वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन

1179. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री तारा सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के स्थानांतरण में सामान्य से अधिक समय विलम्ब किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार टेलीफोन कनेक्शनों को स्थानांतरित करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। सामान्यतया, टेलीफोन स्थानांतरण के मामलों का निपटान समय पर कर दिया जाता है बशर्ते कि उपभोक्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जाएं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ओ०वाई०टी० स्कीम के अंतर्गत मुहैया कराये गये टेलीफोनों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके अनुसार स्थानांतरित किये जाने वाले क्षेत्र में इसके पंजीकरण की तारीख को कयर कर लिया गया हो या जिस एक्सचेंज क्षेत्र से इसे स्थानांतरित करना है वहां ये कम से कम छः महीने की अवधि तक काम कर चुका हो तो स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी।

तत्काल क्षेणी के तहत मुहैया कराये गये टेलीफोन के मामले में स्थानीय स्थानांतरण (शिफ्ट) बिना पूर्व शर्त के अनुमति दी जाती है।

(ङ) उपरोक्त (ग) तथा (घ) क उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पंजाब में तेल शोधक कारखाना

1180. **श्री हरचंद सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार से पंजाब को गैस का अतिरिक्त कोटा देने और वहां से गैस य टर्मिनल तथा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इस समय क्या स्थिति है और उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर लिए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एक तेल रिफाइनरी तथा गैस के आबंटन के संबंध में अनुरोध प्राप्त किया गया है।

(ख) वर्तमान मे पंजाब में एक तेल रिफाइनरी स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। 1996-97 तक उपलब्ध होने के संबंध में अनुमानित रूप से उपलब्ध होने वाली गैस का पूर्णतया आबंटन हो गया है।

रोमानिया के साथ समझौते

1181. **श्री सत्य देव सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारस्परिक सहयोग के लिए रोमानिया के साथ समझौते किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन समझौतों को कब तक लागू किया जाएगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां। भारत के राष्ट्रपति की रोमानिया की यात्रा के दौरान 2 जून 1994 को रोमानियां के साथ 3 करार सम्पन्न हुए जो इस प्रकार हैं, सहयोग के सिद्धान्तों एवं निदेशों की घोषणा; सुनियोजित अपराध; अन्तर्राष्ट्रीय आतकंवाद, नशीली दवाईयों तथा मनः प्रभावी दवाईयों का अवैध व्यापार एवं अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के संबंधी करार; पर्यटन में सहयोग से संबंधित करार।

(ख) और (ग) सहयोग के सिद्धान्तों एवं निदेशों से संबंधित घोषणा एक मौलिक राजनीतिक दस्तावेज है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत और रोमानिया के बीच संबंध स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सम्प्रभुता प्रादेशिक अखण्डता

तथा एक दूसरे के मामलों में अहस्तक्षेप के प्रति परस्पर सम्मान के सिद्धान्तों पर आधारित है; दोनों संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, दोनों एक-दूसरे की विदेशी नीति का सम्मान करते है तथा दोनों देश समानता तथा अति अनुकूल राष्ट्र के प्रति व्यवहार के आधार पर राजनीतिक आर्थिक, वाणिज्यिक, कृषि, पैट्रो-रसायन परिवहन सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगें। यह दस्तावेज 2 मई, 1994 को इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी हो गया।

सुनियेजित अपराध अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नशीली दवाईयों, मनःप्रभावी द्रव्यों के अवैध व्यापार तथा अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के संबंध में करार का क्रियान्वयन भारत के गृह मंत्रालय तथा रोमानिया के आन्तरिक कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है इसमें अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नशीली दवाईयों, आर्थिक अपराधों जालसाजी, हथियारों के अवैध व्यापार सहित सुनियोजित अपराध को रोकने के उद्देश्य से सूचना, विनियमों, अनुसंधान के परिणामों उपकरणों तथा विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

पर्यटन में सहयेाग से संबंधित करार का क्रियान्वयन दोनों देशों के पर्यटन विभागों द्वारा किया जाना है। इसमें संयुक्त पर्यटन संवर्द्धन एवं प्रचार, यात्रा संबंधी औपचारिकताओं का सरलीकरण पर्यटन में निवेश को प्रोत्साहन, सूचना एवं कार्मिकों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

सुनियोजित अपराध, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नशीलीं दवाईयों के अवैध व्यापार आदि से संबंधित अपराध तथा पर्यटन में सहयोग से सम्बद्ध करारों का क्रियान्वयन अपने-अपने देश की कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद और इस आशय की सूचना दिए जाने के बाद किया जाएगा। उम्मीद है कि निकट भविष्य में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

[अनुवाद]

दूरसंचार उपकरण

1182. **श्री अनिल बसुः** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैकड़ों दूरसंचार उपकरण निर्माताओं के पास गत एक वर्ष से कोई क्रयादेश नहीं है तथा वे बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों को क्रयादेश न दिये जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सरकार को ऐसे दूरसंचार संघटक निर्माताओं के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिनके पास कोई आर्डर नहीं हैं और वे बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फैजाबाद बाई पास के लिए केन्द्रीय सहायता

1183. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग पर फैजाबाद बाईपास के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु स्वीकृति मिलने के पश्चात् अब तक उत्तर प्रदेश को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) राज्य ने कुल कितनी राशि की मांग की थी और शेष राशि कब तक दे दी जाएगी?

जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियां के कार्यवार नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए जारी की जाती है। वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में, फैजाबाद बाईपास सहित, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यो के विकास के लिए 4750 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई थी।

(ख) उत्तर प्रदेश को राज्य सरकार द्वारा 1993-94 के संशोधित प्राक्कलन और 1994-95 के बजट प्राक्कलन में क्रमशः 100 लाख रुपए और 700 रुपए की मांग की गई है। अभी से कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि यह कार्य की प्रगति और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज

1184. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रों में इस समय पेट्रोलिमय उत्पादों और प्राकृतिक गैस की खोज हो रही है;

(ख) किन-किन स्थानों में पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना है; और

(ग) पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता के कारण किन-किन स्थानों पर खोज कार्य रोक दिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ओ०एन०जी० सी० और ओ०आई०एल० द्वारा वर्तमान में भूस्थित भाग में कैम्बे, कच्छ-सौराष्ट्र, ऊपरी असम,असम-अराकन फोल्ड बेल्ट, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, राजस्थान, बंगाल, हिमाचल की तराई और गंगा घाटी और दक्षिण रीवा के तलछटी बेसिनों और पश्चिमी और पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण क्रिया कलाप किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) कैम्बे, ऊपरी असम, असम-अराकन फोल्ड बेल्ट, राजस्थान, के०जी०,कावेरी और पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों के तलछटी बेसिनों में हाइड्रोकार्बनों की खोज की गई है। महानदी भूमि और बंगाल अपतटीय बेसिनाय क्षेत्रों को छोड़कर जहां सर्वेक्षणों और कई अन्वेषण कूपों जीवेधन के बाद सूखे पाए गए उनमें अन्वेषण रोक दिया गया है, अन्य संभावना युक्त बेसिनों में अन्वेषणा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली परिवहन निगम को डीजल की आपूर्ति

1185. **श्री मोहन रावले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन दिल्ली परिवहन निगम को उधार पर डीजल की आपूर्ति करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं;

(ग) 30 जून, 1994 तक इंडियन आयल कारपोरेशन को दिल्ली परिवहन निगम की ओर कितनी धनराशि बकाया थी; और

(घ) दिल्ली परिवहन निगम से बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) डी०टी०सी० को 11-6-1994 से "नकद दो और ले जाओ" के आधार पर आपूर्ति की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 10 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार डीजल की अपूर्ति के लिए आई०ओ०सी०को०डी०टी० सी० से 21.33 करोड़ रुपए लेने हैं। इसमें ए०एस०आर०टी०यू० ठेके के अनुसार वसूलनीय विलंबित भुगतान पर ब्याज शामिल नहीं है।

(घ) डी०टी०सी० के अध्यक्ष और मुख्य लेखा अधिकारी के साथ कई बैठकों आजोजित की गई और भूतल परिवहन मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिव के साथ ही यह मामला उठाया गया। तथापि, स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और इसलिए 11-6-1994 से डी०टी०सी० को "नकद दो और ले जाओ" के आधार पर आपूर्ति आरम्भ की गई। डी०टी०सी० से थोडे समय के भीतर ही बकाया राशि को परिसमाप्त करने की योजना तैयार करके देने के बारे में कहा गया है।

भारतीय मिशनों पर व्यय

1186 **श्री सुधीर सावंत** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत विदेश स्थित भारतीय मिशनों पर प्रति वर्ष कितना खर्च किया गया; और

(ख) विदेशों में भारतीय मिशनों में कार्यरत श्रेणी I और श्रेणी-II के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और रक्षा अधिकारियों की तुलना में कुल कितना वेतन और भत्ता मिलता है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान विदेश स्थित भारतीय मिशनों में विभिन्न मदों पर किए गए व्यय तथा कुल व्यय का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है।

(हजार रुपयों में)

क्र०सं०	शीर्ष	1991-92	1992-93	1993-94
1.	वेतन	72,12,33	123,11,66	130,04,34
2.	मजदूरी	3,22,68	4,90,10	6,42,24
3.	समयोपरि भत्ता	94,14	1,83,25	2,01,61
4.	यात्रा व्यय	27,18,88	37,68,95	39,31,06
5.	कार्यालय व्यय	46,54,22	60,91,30	72,81,32
7.	किराया, दर और शुल्क/रायल्टी	52,95,33	68,89,73	80,37,31
	कुल :	202,97,58	297,34,99	330,97,88

(ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों मे तैनात अधिकारियों तथा स्टाफ को मूल वेतन तथा विदेश भत्ता दिया जाता है। यह विदेश भत्ता तैनाती के देश में बढ़ी हुई जीवन निर्वाह लागत की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। अतः यह भत्ता अलग-अलग देश के लिए अलग-अलग होता है तथा सम्बद्ध देश में निर्वाह खर्च पर आधारित होता है। विदेश भत्ता विदेश स्थित भारतीय मिशनों में तैनात भारत सरकार के सभी वर्ग के अधिकारियों को देय होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा रक्षा सेवा आदि के अधिकारियों को जो विदेश स्थित भारतीय मिशनों में तैनात होते हैं अपने वेतनमान के अनुसार मूल वेतन पाते हैं और इसके साथ ही विदेश भत्ता भी जो उसी मिशन में तैनात विदेश मंत्रालय के समकक्ष अधिकारी को देय विदेश भत्ते के बराबर होता है।

[हिन्दी]

अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में गैस एजेंसी

1187. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक नई गैस एजेंसी स्थापित करने के लिए आवश्यक उपभोक्ताओं की संख्या क्या है;

(ख) अलीगढ़ जिले (उत्तर प्रदेश) में इस समय कितनी गैस एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं और कितनी गैस एजेंसियां वास्तव में कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में गैस एजेंसियों की संख्या बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) किसी व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अपेक्षित एल०पी०जी० ग्राहकों की संख्या किसी स्थान की जनसंख्या, खपत और नियेश प्रचालन लागत के आधार पर भिन्न भिन्न कस्बों में भिन्न-भिन्न होती है। अलीगढ़ जैसे नगर के मामले में प्रचालन के चौथे वर्ष में चार हजार ग्राहकों की संभावना से एक नई एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप के खोले जाने का औचित्य सिद्ध हो जाता है।

(ख) अलीगढ़ में 11 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत हैं।

(ग) और (घ) विपणन योजना में सम्मिलित दो और डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अलीगढ़ में खोलने की कार्यवाही जारी है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

1188. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इलाहाबाद में टेलीफोन कनेक्शन की मांग और पूर्ति के बीच विद्यमान अन्तर का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची के सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के इलाहबाद जिले सहित, टेलीफोन कनेक्शन की मांग एवं मूर्ति के बीच के अंतर के दर्शाने वाली जिलेयार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के अनुसार, 1-4-1997 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। वार्षिक योजना 1994-95 में उत्तर प्रदेश में 82000 नये टेलीफोन कनेक्शन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बकाया प्रतिक्षा सूची को निपटाने के लिए अतिरिक्त स्विचन उपस्करों को पट्टे पर लेने का प्रयास भी किया जा रहा है।

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	31-3-1994 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	6450
2.	अलीगढ़	3949
3.	इलाहाबाद	7582
4.	अल्मोड़ा	263
5.	आजमगढ़	932
6.	बहराइच	113
7.	बलिया	337
8.	बाँदा	585
9.	बाराबंकी	12
10.	बरेली	2511
11.	बस्ती	18
12.	बिजनौर	1035
13.	बदायूं	—
14.	बुलन्दशहर	2153
15.	चमोली	—
16.	देहरादून	11286
17.	देवरिया	432

1	2	3
18.	एटा	98
19.	इटावा	280
20.	फैजाबाद	665
21.	फर्रूखाबाद	489
22.	फतेहपुर	390
23.	फिरोजाबाद	979
24.	गाजियाबाद	12375
25.	गाजीपुर	240
26.	गोंडा	480
27.	गोरखपुर	2835
28.	हमीरपुर	—
29.	हरदोई	193
30.	हरिद्वार	2177
31.	जालोन	1117
32.	जौनपुर	586
33.	झांसी	2138
34.	कानपुर	8166
35.	कानपुर ग्रामीण	161
36.	लखीमपुर खेरी	212
37.	ललितपुर	234
38.	लखनऊ	18105
39.	महराजगंज	—
40.	मैनपुरी	222
41.	मथुरा	1970
42.	मऊनाथ भंजन	522

1	2	3
43.	मेरठ	8606
44.	मिर्जापुर	477
45.	मुरादाबाद	2142
46.	मुजफ्फरनगर	2259
47.	नैनीताल	4320
48.	पौड़ी गढ़वाल	360
49.	पीलीभीत	89
50.	पिथौरागढ़	78
51.	प्रतापगढ़	270
52.	रायबरेली	699
53.	रामपुर	422
54.	सहारनपुर	1578
55.	शाहजहांपुर	267
56.	सिद्धार्थनगर	213
57.	सीतापुर	220
58.	सोनभद्र	399
59.	सुल्तानपुर	515
60.	टिहरी गढ़वाल	62
61.	उन्नाव	125
62.	उत्तर काशी	37
63.	वाराणसी	7082

[अनुवाद]

विदेशी जेलों में भारतीय

1189. **श्री एस०एम० साल्ल जान बाशा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 को अन्य देशों की विभिन्न जेलों में कैद भारतीयों की देशवार संख्या क्या थी;

(ख) सरकार ने उनकी शीघ्र रिहाई के लिए क्या कदम उठाये हैं और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय दूतावास इस मामले में ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारतीय नागरिकों को बंदी बनाए जाने की सूचना प्राप्त होते ही हमारे मिशन कौंसली सम्पर्क स्थापित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करते हैं तथा एक कौंसली अधिकारी गिरफ्तार किए जाने के कारणों का तथा परिस्थितियों का सुनिश्चय करने के लिए बंदी से मिलता है। हमारे मिशन इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कदम उठाते हैं कि जेलों में कैद भारतीय बन्दियों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये गिरफ्तारियां उस देश के कानून का उल्लंघन करने के लिए की जाती हैं, दोषी व्यक्ति की जल्दी रिहाई के लिए राजनयिक कौंसली मिशनों द्वारा हस्तक्षेप को प्रोत्साहित नहीं किया जाता तथापि, जहां कहीं भी, आवश्यक होता है, शीघ्र तथा उचित मुकदमा चलाए जाने और सजा की पुनः समीक्षा किए जाने के लिए मेजबान सरकार से उपयुक्त स्तर पर यह मामला उठाया जाता है।

[हिन्दी]

अंतर्देशीय जलमार्गों में निजी कम्पनियां

1190. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान की ढुलाई हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों को निजी कंपनियों के लिए खोलने के संबंध में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी कंपनियों ने रुचि दिखाई है; और

(ग) सामान की ढुलाई की दरें तय करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) अंतर्देशीय जलमार्ग, माल परिवहन के लिए निजी-प्रचालकों/कंपनियों कि लिए सदैव खुले रहे हैं। तथापि, राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल-परिवहन के क्षेत्र में अधिक निजी-भागीदारी की संभावना का पता लगाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जून, 1994 में समाचार पत्रों में दिए गए एक विज्ञापन के उत्तर में 60 कंपनियों ने रुचि दिखाई है।

(ग) माल परिवहन के लिए निजी प्रचालकों द्वारा दरें नियत किए जाने हेतु सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक पाइप लाइन के गैस कनेक्शन

1191. **डा० साद्दीजी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में औद्योगिक पाइप लाइन के कितने प्राकृतिक गैस कनेक्शन जारी किए जाए;

(ख) इस प्रकार के गैस कनेक्शन जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए है; और

(ग) वर्ष 1994 के दौरान इस प्रकार के नए कनेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश से कितने आवेदन प्राप्त हुए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा ऐसे सोलह कनेक्शन दिए गए थे।

(ख) प्राकृतिक गैस का आबंटन सामान्यतया आरोपित आर्थिक मूल्य पर आधारित होता है, जिसमें विद्युत उर्वरक और स्टील क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है।

(ग) चूंकि उपलब्ध गैस का पूर्णतः आबंटन कर दिया गया है अतः किसी नये आवेदन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तेल का उत्पादन

1192. **श्री हरिन पाठक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा साउथ बेसिन गैस फील्ड्स से गैस का उत्पादन किये जाने के कारण तेल के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल के उत्पादन की गिरावट पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डी०टी०सी० को दिल्ली सरकार को सौंपा जाना

1193. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का दिल्ली परिवहन निगम (डी०टी०सी०) के प्रबंध को दिल्ली सरकार को सोपे जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समग्र घाटे को हस्तांतरित करने का भी कोई विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में पी०सी०ओ० संचालकों पर बकाया राशि

1194. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के परभनी और नांदेड जिलों में आई०एस०डी०/एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० बूथों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) 1993-94 और 1994-95 के लिए उक्त बूथ संचालकों को कितनी धनराशि देय है; और

(ग) बकाया देय राशि वसूलने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मौजूदा आई०एस०डी० /एस०टी०डी०/सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

परभनी	—	94
नांदेड़	—	103

(ख) शून्य

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विकेन्द्रीकरण

1195. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का दिल्ली में अपने कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के विकेन्द्रीकरण से प्रयोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में आठ क्षेत्र बनाए गए है। प्रत्येक क्षेत्र महाप्रबंधक के रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रण में है। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकारियों को अधिक स्वायत्तता दी गई है।

कुछ वाणिज्यिक कार्य जिन्हें अब तक मुख्यालयों और क्षेत्र कार्यालयों में किया जा रहा था, अब उनका विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है इन कार्यों को अब मण्डल इंजीनियर स्तर पर तुरंत ग्राहक सेवा केन्द्रों में किया जाएगा।

(ग) और (घ) विकेन्द्रीकरण का आशय, निर्णय करने की प्रक्रिया को उपभोक्ताओं की आसान पहुंच के अन्तर्गत लाना और उसे शीघ्र निर्णयोन्मुखी बनाना है ताकि बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि प्रदान की जा सके।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी

1196. **श्री प्रवीन डेका :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर कौन-कौन से राज्यों को रायल्टी दी जा रही है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को रायल्टी के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 1991-92 से 1993-94 की अवधि के दौरान राज्यों को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी को प्रोदभूत राशि निम्नानुसार है:—

क्रम सं०	राज्य	कच्चा तेल/प्राकृतिक गैस	1991-92	1992-93	1993-94 (अनंतिम)
1.	गुजरात	कच्चा तेल	177.23	470.37	306.73
		प्राकृतिक गैस	19.10	23.91	29.12
2.	असम	कच्चा तेल	189.41	302.61	252.24
		प्राकृतिक गैस	3.84	4.51	3.51
3.	नागालैंड	कच्चा तेल	2.33	7.04	4.34
4.	त्रिपुरा	प्रा०गैस	0.41	0.69	0.61
5.	तमिलनाडु	कच्चा तेल	8.96	24.64	19.18
		प्रा० गैस	0.15	0.31	0.32
6.	आंध्र प्रदेश	कच्च तेल	0.68	2.10	1.68
		प्रा० गैस	2.01	6.89	8.30
7.	अरुणाचल प्रदेश	कच्चा तेल	1.97	2.85	2.59

तेल कंपनियों द्वारा संबंधित राज्यों को भुगतान अनुमत्त बढ़ाई अवधि का उपयोग करने के उपरांत देय तिथियों को किया जाता है।

डाक सेवाओं में सुधार

1197. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने डाक सेवाओं में सुधार के उपाय सुझाने और डाक संचार क्षेत्र में उपभोक्ताओं की आशा के अनुरूप बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए एक "क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रुप" का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में डाक सेवाओं में सुधार लाने के लिए किए गए/किए जाने वाले अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय का विचार स्पीड पोस्ट प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में दिल्ली और बंबई में एक आधुनिक कम्प्यूटरीकृत ट्रेकिंग प्रणाली स्थापित करने का है जिसका विस्तारण अन्य शहरों में किया जाएगा और जिसे विदेशी डाक प्रशासनों से जोड़ा जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) डाकसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है। तदनुसार कम्प्यूटीकरण के माध्यम से उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने तथा डाक सेवा को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए डाक प्रचालन कार्य के कुछ पहलुओं का अधुनिकीकरण करने के लिए एक के बाद एक उपाय शुरू किए गए हैं। विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर क्वालिटी मैनेजमेंट तकनीक अपना कर कम्पयूटरीकरण प्रक्रिया की मॉनीटरिंग करने के लिए भी कार्रवाई की गई है। महानगरों और राजधानियों के बीच डाक पारेषण में सुधार लाने के लिए विभाग ने "राजधानी चैनल, मैट्रो चैनल" जैसी कुछ नई सेवाएं आरंभ की हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। कथित "ट्रेकिंग एवं ट्रेसिंग प्रणाली" प्रारंभ में केवल दिल्ली और बंबई में चालू की जाएगी।

लौह अयस्क खनन परिसर

1198. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में लौह अयस्क खनन परिसर की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परिसर की स्थापना कहां की जाएगी;

(ग) क्या इस खनन परिसर की स्थापना संयुक्त उद्यम के रूप में की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देब) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर (एच०बी०जे०) पाइप लाइन

1199. **श्री सूरजभानु सोलंकी।**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन की लम्बाई कितनी है;

(ख) इस गैस पाइपलाइन से प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी गैस आबंटित की जाएगी और इस आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाया जाएगा;

(ग) क्या हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन से गैस की पुनः आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) स्पर लाइनों सहित एच०बी०जे० पाइपलाइन की लंबाई लगभग 2070 कि०मी० है।

(ख) एच०बी०जे० पाइपलाइन से और आबंटन करना फिलहाल साध्य नहीं है।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रूसी गैस क्षेत्रों का विकास

1200 **श्री प्रफुल पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग रूसी गैस क्षेत्रों का विकास करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं; और

(ग) इससे अनुमानित कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कौन-कौन से क्षेत्रों में अपने कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में विचार कर रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) वर्तमान में रूसी गैस क्षेत्रों का विकसित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। ओ०एन०जी०सी०, विदेश लि० (आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि०) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) अन्वेषण तथा हाइड्रोकार्बनों के दोहन संबंधी हाइड्रोकार्बन संभाव्यताओं तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण करती है। ओ०एन०जी०सी० विदेश लि० विविध देशों में अन्वेषण तथा हाइड्रोकार्बनों के दोहन हेतु बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी के विषय में भी जिज्ञासु है।

[हिन्दी]

बिहार में डोलोमाइट खनन पट्टे

1201. **श्री रामदेव राम** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छोटा नागपुर जिले में डोलोमाइट और बाक्साइट के खनन हेतु पट्टे दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितने पट्टाधारकों ने खनन कार्य शुरू कर दिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जानाकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में पन विद्युत परियोजनाएं

1202. **श्री ललित उरांव :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की टेनूघाट और बाल्मीकी नगर बरून पनविद्युत परियोजनाएं कब शुरू की गई थीं;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित मूल और संशोधित लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) ये परियोजनाओं कब तक पूरी हो जायेंगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी०रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार के तेनूघाट, वाल्मीकि नगर और बरूण में अवस्थित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत् है :

स्थल	परियोजना/क्षमता	स्वीकृति/कार्य चालू करने का वर्ष	वास्तविक/ संशोधित अनुमान (लाख रुपये में)	राशि खर्च की गई (लाख रुपये)	पूरा होने का समय
(क) तेनूघाट	तेनू-बोकारो लिंक कैनाल एच०ई०प्रोजैक्ट (1x1 मे०वा०)	1993-94	275.5/ 275.5/	58.89 (1/91 तक)	1994-95
(ख) बाल्मीकि नगर	ईस्टर्न गण्डक कैनाल एचई प्रोजैक्ट (3x5 मे०वा०)	1993	1740/ 5815	5450 (3/94 तक)	8/94 8/94
(ग) बरूण	सोन ईस्टर्न लिंक कैनाल एच०ई० प्रोजैक्ट (2x1.65)	1984	626/ 1589	1316 (3/91 तक)	9/91 10/94

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में कोयले पर आधारित विदेशी विद्युत परियोजनाएं

1203. **श्री राम कापसे :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में चन्द्रपुर में विदेशी विद्युत कम्पनियों की सहायता से कोयले पर आधारित विद्युत परियोजना लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या-नायडू) : (क) जी, हां। मैसर्स निप्पोन डेनरी इस्पात लि० और मैसर्स इस्पात एलॉय लि० ऑफ इंडिया ने यू०के० की जी०ई०सी० और फ्रांस की ई० डी० एफ० के सहयोग से महाराष्ट्र के चन्द्रपुर के निकट भ्रदावती में 1084 मे०वा० के कोयले पर आधारित एक ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) प्रत्येक परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करने के लिए केन्द्र तथा राज्य एजेंसियों से बराबर संपर्क बनाये हुए है। विद्युत मंत्रालय का निवेश संवर्धन कक्ष प्रवर्तकों को मंजूरी करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

रसोई गैस के विपणन में निजी क्षेत्र का प्रवेश

1204. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मई, 1994 के "इकानामिक टाइम्स" में "प्राईवेट सेक्टर एंट्री एन०एल०पी०जी० मार्केटिंग रिजेन्टंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यद्यपि पश्चिमी बंगाल सरकार से मिट्टी के तेल और एल०पी०जी० के समानांतर विपणन को शुरू करने के विरुद्ध विरोध प्रकट करते हुए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली) पी०डी०एस०) से मिट्टी के तेल तथा राज सहायता प्राप्त एल०पी०जी० के खुले बाजार में विपणन के संबंध में आशंका प्रकट करते हुए फरवरी, 1993 में एक सदेंश प्राप्त हुआ था, तथा इस निर्णय को तुरंत वापस लेने का अनुरोध किया गया था तथापि पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य में अप्रैल, 1994 में अपने अधिकारियों को आदेश और दिशा निर्देश जारी किए हैं।

टेलीफोन सुविधाएं

1205. **श्री एस०यी० सिदनाल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य क्या है, और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 16.91 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

(ख) दूरसंचार विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना में 75 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

(ग) इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आठवी पंचवर्षीय योजना में अपेक्षित निधि 40,555 करोड़ रुपए आंकी गई है।

टेलीफोन संबंधी बकाया राजस्व

1206. **संदीपन भगवान थोरात :** क्या **संचार मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार राज्यवार टेलीफोन का बकाया देय राजस्व कुल कितना था;

(ख) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और मुम्बई में यह बकाया राशि कितनी-कितनी थी;

(ग) क्या राजस्व वसूली के संबंध में उच्च-स्तरीय समिति द्वारा स्थिति की समीक्षा और टिप्पणियां की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) इस संबंध में शीर्षस्थ दस दोषियों के नाम क्या हैं और बकाया राशि का भुगतान कब से नहीं किया गया है;

(च) 1993-94 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि माफ की गई और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में कौन-कौन से प्रमुख नीतिगत निर्णय सरकार के विचाराधीन है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में तेल क्षेत्र

1207. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र में पता लगाए गये तेल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन से कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादकों के प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार को लघु तेल क्षेत्र सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1993-94 में महाराष्ट्र में कोई नया तेल क्षेत्र नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महानगरों में दूरसंचार नेटवर्क

1208. **श्री अमल दत्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार हेतु कौन-कौन सी योजना है;

(ख) प्रत्येक महानगरों में इस समय कितने उपभोक्ता और आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) पंजीकृत आवेदकों की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए कौन-कौन सी योजना है; और

(घ) आगामी तीन वर्षों में महानगरों में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 में दिनांक 1-4-1997 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। वर्ष 1994-95 के दौरान, चार महानगरों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के लिए 5,23,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) 30-6-1994 की स्थित के अनुसार चालू कनेक्शनों और प्रतीक्षा सूची की स्थिति नीचे दी गई है:—

		चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा-सूची
1.	बम्बई	10,57,321	1,03,175
2.	कलकत्ता	3,42,030	53,885
3.	दिल्ली	8,26,870	2,60,669
4.	मद्रास	2,42,808	94,084
	जोड़ :	24,69,029	5,11,813

(घ) अगले तीन वर्षों (1994-97) के दौरान महानगरों में टेलीफोन की अनुमानित मांग 11,83,946 लाइनें हैं।

पोत निर्माण कम्पनी के लिए रूस के साथ सहयोग

1209. **श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल** : क्या **जल-भुतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० ने किसी रूसी फर्म के साथ सहयोग समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार संबंधों में सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय तत्व

1210. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले "एस्केप" सम्मेलन में प्रधान मंत्री की इस चिन्ता को दृष्टि में रखते हुए कि विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन की कार्यसूची अथवा उद्देश्यों में सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय तत्वों को किसी भी बहाने से शामिल करने और विकासशील देशों को तुलनात्मक लाभ से वंचित करने की अनुमति विकसित देशों को नही दी जानी चाहिए, सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) और (ख) भारत उपयुक्त मंचों पर अन्य देशों से परामर्श करके यह कहता आया है कि यद्यपि वास्तविक सामाजिक एवं पर्यावरणीय संबंधी हित चिन्ताओं के संबंध में विकास-शील तथा विकसित देशों को मिलकर काम करना चाहिए। तथापि व्यापार नीति से संबंधित दस्तावेज बाह्य क्षेत्रों में मानदण्ड लागू करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। न ही समाज से तथा पर्यावरण संबंधी चिन्ताओं को संरक्षण का माध्यम बनाया जाना चाहिए। अधिकांश विकासशील देशों का यही दृष्टिकोण है।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम का सुधार

1211. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री तारा सिंह :
श्री नीतीश कुमार :
श्री गुमान मल लोढा :
डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम (डी०टी०सी०) के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993-94 के दौरान डी०टी०सी० की बसों में यात्रियों को टिकट बेचे जाने से प्रतिमाह प्राप्त कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में इस निगम को प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ;

(ङ) क्या डी०टी०सी० के बस भाड़े में वृद्धि किए जाने के बावजूद भी इसके घाटे में बढ़ोत्तरी हो रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का आगे और क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। दि०प०नि० की दीर्घावधिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार इसके पुनः स्थापन के लिए एक अन्तः सम्बद्ध पैकेज को अतिम रूप दे रही है। मुख्य प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल है:—

(1) जनशाक्ति के अनुपात में कमी करना;

(2) दि०प०नि० के बेड़े को युक्तिसंगत बनाकर इसमें केवल 3500 बसें रखना,

(3) दि०प०नि० की बसों को घाटे वाले रूटों से हटाना,

(4) 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार सभी बकाया ऋणों तथा संचित ब्याज को इक्विटी में बदलना,

(5) दि०प०पि० द्वारा जारी किए गए विभिन्न रियायती पासों के कारण निगम को होने वाली हानि की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति करना।

(ग) दि०प०नि० द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान यात्रियों को बेची गई टिकटों से एकत्र की गई राशि के माह-वार ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:—

(लाख रु०)

महीना	टिकटों की बिक्री से हुई आय		
	अंतर्राज्यीय	नगर	कुल
अप्रैल, 1993	402.52	868.26	1270.78
मई, 1993	425.67	837.33	1263.00
जून, 1993	481.55	755.32	1236.87
जुलाई, 1993	512.55	783.24	1295.73
अगस्त 1993	588.28	754.99	1313.27
सितम्बर, 1993	491.26	696.40	1187.66
अक्तूबर, 1993	488.51	753.26	1241.77
नवम्बर, 1993	531.18	704.40	1235.58
दिसम्बर, 1993	543.74	700.73	1244.47
जनवरी, 1994	514,59	699.78	1214.37
फरवरी, 1994	538.39	684.60	1222.99
मार्च, 1994	604.87	688.37	1293.24

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान दि०प०नि० को हुई हानि नीचे दर्शाई गई है:—

वर्ष	कार्यशील हानि (लाख रु०)	निवल हानि (लाख रु०)
1991-92	8273.31	20381.84
1992-93	5490.55	24527.58
1993-94	8360.39	28184.08

(ङ) जी, हां।

(च) दि०प०नि० के काम काज में सुधार लाने के लिए सरकार इसके निष्पादन पर निरन्तर निगरानी रखती रही है। ईंधन की बचत और टायरों की आयु में वृद्धि बेहतर रख-रखाव द्वारा बसें खराब होने (ब्रेक-डाउन) की संख्या में कमी करने तथा खर्च में किफायत जैसे कुछेक उपाय किए गए हैं। प्रभावी जांच द्वारा दि०प०नि० राजस्व की चोरी को रोकने का भी प्रयास कर रहा है। दि०प०नि० के राजस्व में वृद्धि के प्रयोजन से दि०प०नि० स्क्रैप का शीघ्रता से निपटान, रूटों के युक्तिकरण जैसे अन्य उपाय भी कर रहा है।

विद्युत परियोजनाएं

1212. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और उनकी अनुमानि विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) गुजरात में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत् है :—

जल विद्युत परियोजनाएं

1. कदाना पी०एस०एस० चरण-2 (2x60 मे०वा०) परियोजना को वर्ष 1996-97 मे चालू करने का कार्यक्रम है। वर्ष 1994-95 के लिए 34 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई है। विद्युत गृह समेत सभी लोक निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। यूनिट-3 का उत्थापन कार्य पूरा हो चुका है और यूनिट 4 का कार्य प्रगति पर है।

2 सरदार सरोवर परियोजना (1450 मे०वा०): नदी की तलहटी के किनारे पर स्थित विद्युत गृह (आर०बी०पी०एच०) को वर्ष 1997-2000 में चालू करने कराने का कार्यक्रम है और कैनाल हैर्ड विद्युत गृह (सी०एच०पी०एच०) को वर्ष 1994-95 के लिए 52.00 करोड़ रुपये (गुजरात का हिस्सा) की सिफारिश की गई है। कंक्रीट बांध और विद्युत गृह का लोक निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ताप विद्युत

1. कच्छ लिग्नाइट (75 मे०वा०) परियोजना को वर्ष 1997-98 में चालू करने का कार्यक्रम है।

वर्ष 1994-95 के लिए 10 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई है। मुख्य संयंत्र उपस्कर की नींव का कार्य प्रगति पर है।

2. गंधार सी०सी०जी०टी० (जी०टी० 1-3 और एस०टी० 1-जी०टी० 131x3 मे०वा० और एस०टी० 255 मे०वा०): जी०टी० यूनिटें समकालित की जा चुकी हैं। एस०टी० के लिए कार्य प्रगति पर है। चालू करने का कार्यक्रम वर्ष 1995-96 में है। वर्ष 1993-94 के लिए 750 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा राजनयिकों का निष्कासन

1213. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्रीमती सरोज दुबे :
डा०एस०पी० यादव :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में कुछ भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया है;

(ख) क्या भारत ने भी कुछ पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान भारत से कुल कितने पाकिस्तानी राजनयिकों का निष्कासन किया गया;

(ङ) क्या इस मामले पर दोनों देशों के बीच कोई समझौता पहले से विद्यमान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या पाकिस्तान ने इस समझौते का कई बार उल्लंघन किया था; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया): (क) से (ग) 12 जुलाई, 1994 को सरकार से पाकिस्तान के हाई कमीशन के स्टाफ मे मोहम्मद अफजल बाजवा नामक एक सदस्य को, जिसे जासूसी करने के लिए पकड़ा गया था, भारत से वापिस भेजने का अनुरोध किया। सरकार ने पाक हाई कमीशन में प्रथम सचिव नसीरुद्दीन अहमद को भी वापिस भेजने के लिए कहा क्योंकि उनका व्यवहार भारत में एक प्रत्यायित राजनय के पद के अनुरूप नहीं था।

11 जुलाई, 1994 की रात को इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन में अताशे श्री वी०एस० चौहान का उसके निवास स्थान के बाहर अपहरण कर लिया गया उसे जबरन बन्दी बनाया गया उसे 6 घन्टे से अधिक समय तक लगातार तृतीय श्रेणी का बर्ताव करते हुए पूछताछ की। उसके बाद पाकिस्तान ने श्री चौहान को तथा कराची स्थित भारत के प्रधान कौंसलावास में स्टाफ के एक सदस्य श्री ई०ए० एडम्स को पाकिस्तान से वापसि भेज दिया जाय।

(घ) पिछले दो वर्षों में सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से नई दिल्ली और बम्बई में तैनात उनके 9 अधिकारियों को वापिस लेने का अनुरोध किया है।

(ङ) और (च) यह बहुत खेदपूर्ण बात है कि पाकिस्तान ने इस आचार-संहिता के अनेक प्रावधानों का उल्लंघन किया है सरकार ने-हाल ही में पाकिस्तान की सरकार का ध्यान जनवरी, 1993 से 118 विशिष्ट मामलों में पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा इस संहिता का उल्लंघन किए जाने की और आकृष्ठ किया है। हाल ही में सम्बद्ध मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच नई दिल्ली और इस्लामाबाद में बातचीत हुई। इस आचार-संहिता को गम्भीरता से लागू करने के तौर-तरीकों के बारे में अनेक सुझाव दिए गए। दोनों पक्ष एक परस्पर स्वीकार्य रूपरेखा के अन्तर्गत इस विषय पर और बातचीत करने की आवश्यकता पर सहमत हुए।

[हिन्दी]

पंजाब में रसोई गैस एजेंसियां और रसोई गैस कनेक्शन

1214. **श्री हरचन्द सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों की रसोई गैस की कितनी एजेंसियां पंजाब में स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या पंजाब में इन वितरण एजेंसियों को स्थापित करने हेतु स्थानों की पहचान कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पंजाब में कितने व्यक्ति रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में है; और

(ङ) इन व्यक्तियों को रसाई गैस कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में 23 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आरम्भ की गई हैं।

(ख) और (ग) पंजाब को वर्तमान एल०पी०जी० विपणन योजना 1992-94 में 35 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को सम्मिलित किया गया है।

(घ) 1-4-1994 की स्थिति के अनुसार पंजाब में 4.79 लाख आवेदक प्रतीक्षा सूची में थे।

(ङ) अधिक से अधिक आवेदकों को यथासंभव शीघ्रता से प्रतिवर्ष एल०पी०जी० कनेक्शन जारी करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। विद्यमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता को बढ़ाकर, नए संयत्रों की स्थापना करके व और अधिक आयातों के माध्यम से आपूर्ति को बढ़ाकर एल०पी०जी० की अधिक उपलब्धता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

[अनुवाद]

पूयनकुट्टी जल विद्युत परियोजना

1215. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री पी०सी० थामस :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पूयनकुट्टी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) केरल में पूयनकुट्टी जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन सम्बन्धी दृष्टिकोण से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग तथा रत्नगिरि जिलों के लिये रसोई गैस एजेंसिया

1216. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों ने महाराष्ट्र में सिन्धुदुर्ग तथा रत्नगिरि जिलों में रसोई गैस एजेंसियों के लिए विज्ञापन दिया है;

(ख) इन जिलों में रसोई गैस एजेंसियां शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) ये एजेंसियां कब तक कार्य शुरू कर देंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) तेल चयन बोर्ड द्वारा और डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन किया जाना है।

(ग) सामान्यता किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने में विज्ञापन की तिथि से 1 से दो वर्ष का समय लगता है।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शनों का स्थानान्तरण

1217. **डा०लाल बहादुर रावल** :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भेंट में मिले रसोई गैस कनेक्शनों के स्थानान्तरण के संबंध में गैस एजेंसियों को निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न तेल कम्पनियों ने ऐसे स्थानान्तरणों के लिए विभिन्न समय अवधियां तय की हैं जिनसे उपभोक्ताओं को बहुत-सी मुशकिलों का समाना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) विद्यमान नीति निर्देशों के अंतर्गत एल०पी०जी० के कनेक्शन एस० वी० धारक की मृत्यु वृद्धावस्था, विवाह आदि जैसी असाधारण परिस्थितियों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणीय है। इसके अतिरिक्त जब कोई ग्राहक किसी वैध कारण से अपने नाम से इतर किसी नाम के वास्तविक ग्राहक पर्ची का एल०पी०जी० उपकरण रखे है तो उक्त कनेक्शन को ग्राहक पर्ची धारक उपकरण धारक के नाम हस्तांतरित कर सकता है। पुनश्च जब किसी एक व्यक्ति के पास एक से अधिक कनेक्शन हैं तो कनेक्शन के हस्तांतरण की अनुमति दी जाती है।

(ग) दिशानिर्देशों को पूरा करने की शर्त पर कनेक्शन के हस्तांतरण के लिए अनुरोध की बिना किसी समयावधि पर जोर दिए स्वीकार किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज

1218. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान गुजरात में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये एक्सचेंज कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे तथा प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता कितनी होगी; और

(ग) ये एक्सचेंज कब तक शुरू हो जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन सभी एक्सचेंजों को मार्च, 1995 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है।

(ख) (1) गुजरात में 1994-95 के दौरान चालू किए जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्र०सं०	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	एक्सचेंज का नाम		क्षमता
1	2	3	4	5
1	**बड़े टेलीफोन एक्सचेंज**			
1.	अहमदाबाद	1.	वसना	5000
		2.	एलिसब्रिज	5000
		3.	वस्त्रपुर	5000
		4.	नरनपुरा	10000
		5.	नरोल	4000

1	2	3	4	5
		6.	नवरंगपुरा	6000
		7.	सेन्ट्रल	7000
		8.	रेलवेपुरा	6000
		9.	नरोदा	4000
2.	वड़ोदा	10.	माकरपुरा	7000
		11.	संयाजीगंज	3000
		12.	केन्द्रीय तारघर भवन करेली बाग	5000
		13.	चन्नी	5000
		14.	अटलडरा	3000
3.	भड़ौच	15.	जगाधिया (जी आई डी सी)	1000
		16.	वग्रा (-वही-)	424
4.	भावनगर	17.	भावनगर (यूनिट-II)	5000
5.	जामनगर	18.	जॉमनगर (यूनिट-II)	5000
6.	नड़ियाड	19.	दभान	1400
7.	राजकोट	20.	जुबलीबाग	10000
8.	सूरत	21.	ननपुरा	7000
		22.	पिपलोड़	7000
		23.	रनदेर	3000
		24.	महीधारपुरा-4	10000
		25.	वापी यूनिट-II	3000

II लघु क्षमता वाले एक्सचेंजों की और योजना बनाई गई।

उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त, और अधिक स्थानों पर लघु क्षमता वाले लगभग 50 एक्सचेंज मांग पर और तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए खोले जाएगें।

बिहार में एस०टी०डी० सुविधा

1219. **श्री मंजय लाल :** क्या **संचार मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के दौरान बिहार के टेलीफोन एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये एक्सचेंज कहां-कहां स्थित हैं और अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया हैं;

(ग) इस समय इस सुविधा से वंचित टेलीफोन एक्सचेंज कितने हैं; और

(घ) राज्य के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) 92-93 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा के लिए प्रस्तावित स्थानों तथा अब तक प्राप्त किए गए लक्ष्यों के ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार 451 एक्सचेंजों को एस०टी०डी० नेटवर्क से जोड़ा जाना है।

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान सभी एक्सचेजों को एस०टी०डी० सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए निधियां, उपस्कर भूमि, भवन आदि जैसे संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

बिहार में 1992-93 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा के लिए प्रस्तावित स्थानों तथा 30-6-1994 की स्थिति की अनुसार प्राप्त लक्ष्यों के ब्यौरे

स्थान का नाम	स्थान का नाम
1	2
अमरपुर	कोको
अरवल	कटोरिया
बाघा	कटरास
बख्तियारपुर	केरमा
वानीपुर	कोंचस
बंजारी	लाहीसराय
बड़ाजामडा	लटेहर
बड़ही	महालगांव
बारसोई	यशौरथी
बेरहरवा	नौगाचिया
विक्रम	नोआमुंडी
विक्रमगंज	पालाजोरी

1	2
चक्रधरपुर	पतराटू
दलसिंहराय	फुलपरास
दाउदनगर	पीरो
डायनारा	राजौली
डुमरांव	राजमहल
घटशिला	राजरप्पा
हिलसा	रोसेड़ा
इशरीबाजार	शेखपुरा
जैनगर	शेरघाटी
जापला	सिमदेगा
झाझा	सुगौली
जरमुण्डी	किशन गंज
कुजू	वैशाली

उपर्युक्त लक्ष्यों में से जिन स्थानों पर एस०टी०डी० सुविधा अभी उपलब्ध कराई जानी है उनकी सूची।

अमरपुर	कटोरिया
बेरहरवा	पालाजोरी
झारमुंडी	सुगौली

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत

1220. **डा० साक्षीजी :** क्या **जल-भूतल पविहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर पुलिया तंग और खराब हालत में है; और

(ख) इन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार यातायात के काबिल बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को अपेक्षाओं को पूरा करती हैं। उपलब्ध निधियों के अंतर्गत इन पुलियों को यातायात योग्य स्थित में रखा जाता है मौजूदा पुरानी और कमजोर पुलियों को बदलते रहना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

गुजरात की रसोई गैस विपणन परियोजना

1221. **श्री हरिन पाठक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक गुजरात में किन-किन स्थलों को रसोई गैस विपणन योजना में शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1994-95 के लिए गुजरात में कुछ नए स्थलों को रसोई गैस विपणन योजना के अन्तर्गत शामिल करने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थलों पर रसोई गैस एजेंसियां स्थापित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) गुजरात में विभिन्न स्थानों के लिए 65 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की वर्तमान विपणन योजना 1992-94 (31-3-1994 को समाप्त) में शामिल कर लिया गया है।

विपणन योजना में शामिल किए गए विभिन्न स्थानों के लिए डीलरों का चयन वर्तमान समय में तेल चयन बोर्ड (गुजरात) के माध्यम से जारी है,

1994-95 को एल०पी०जी० विपणन योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 पर चार लेन बनाना

1222. **श्री शोभा नाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विजयवाड़ा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर चार लेन बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 पर बेज सर्किल और रामावरघाडी सर्किल के बीच यातायात सड़क बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 को विजयवाड़ा से डलूरु (3.40 कि०मी० से 75.00 कि०मी०) तक सुदृढ़ करने की, एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त, परियोजना में 3.40 कि०मी० से 13.00 कि०मी० तक चार लेनें बनाने का कार्य शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) परियोजना में, इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5.30 कि०मी० और 9.30 कि०मी० के बीच दोनों ओर 5.5 मी० चौड़ी सर्विस सड़क की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों की नियुक्तियां

1223. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के पश्चात् इनके मंत्रालय में संवर्गवार अन्य पिछड़ी जातियों के कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है;

(ख) संचार विभाग में इन संवर्गों के लिए कुल कितने पद आरक्षित किये गये हैं; और

(ग) रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असम में बिजली की स्थिति

1224. **श्री प्रवीन डेका :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संयंत्रों में वितरण व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कल पुर्जो की अनुपलब्धता के कारण असम में बिजली की उपलब्धता में कमी होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वहां बिजली की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) समय में विद्युत सप्लाई की स्थिति में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आई है, यद्यपि असम के कुछ विद्युत उत्पादन यूनिट दीर्घावधि के लिए जबरन बंदी की स्थिति में रहे हैं।

दीर्घावधि की जबरनबंदियों का एक कारण अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता होना है।

असम में विद्युत की उपलब्धता की स्थिति में सुधार किये जाने के लिये किये जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं: विद्यमान क्षमता से इष्टतम विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार प्रबंध और ऊर्जा संवर्धन के उपाय करना और निकटवती केन्द्रों/प्रणालियों से सहायता की व्यवस्था करना।

राज्य जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना

1225. **डा० कृपासिन्धु भोई :**
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे परिवहन की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों, विशेष रूप से गंगा नदी के हल्दियापटना भाग पर चल रही विकास संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। देश में, निम्नलिखित तीन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है:—

(I) हल्दिया से इलाहाबाद तक (1620 कि०मी०) गंगा भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली।

(III) धुबरी से सैदिया तक (891 कि०मी०) ब्रह्मपुत्र नदी।

(II) कोट्टापुरम से कोल्लाम तक (168 कि०मी०) पश्चिमी तटीय नहर तथा उद्योगमंडल नहर (23 कि०मी०) और चम्पाकारा नहर (14 कि०मी०)।

(ग) और (घ) जी, हां। यंत्रीकृत टर्मिनल, रात-दिन उपलब्ध नौचालन-सुविधाओं, पूरे मार्ग में न्यूनतम 2 मी० की गहराई जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करके नौचालन के लिए 3 राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के पश्चात् गंगा, ब्रह्मपुत्र और पश्चिमी तटीय नहर में क्रमशः 2.5 मि०टन, 2.20 मि०टन और 2.62 मि०टन कार्गो-यातायात होने की संभावना है।

(ङ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को निर्बाध और सुरक्षित नौचालन के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) में 2 मी० की गहराई को बनाए रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी हाल ही में फरवरी, 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (पश्चिमी तटीय नहर) की घोषणा की गई है। इस जलमार्ग पर विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए हैं। यातायात की मांग के अनुसार टर्मिनलों तथा दिन-रात नौचालन जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की योजनाएं हैं। पटना (गायघाट में कन्टेनर हैंडलिंग सुविधा से युक्त एक यंत्रीकृत सामान्य कार्गो बर्थ का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना

1226. **श्री सूरज भानु सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां स्थापित किया जाएगा; और

(ग) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश के सागर जिलान्तर्गत बिना में संयुक्त उद्यम की करने के लिए मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० (बी०पी०सी०एल०) को सरकार ने प्रथम चरण का अनुमोदन दिया है। परियोजना

के क्रियान्वयन में शामिल आगे की कार्रवाई करने के लिए बी०पी०सी०एल० और ओमान आयल कंपनी के मध्य बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी 25-2-1994 को पंजीकृत की गई है।

[अनुवाद]

नए रसोई गैस उपभोक्ताओं को पंजीकरण

1227. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को हाल ही में नए रसोई गैस उपभोक्ताओं का पंजीकरण करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कंपनी द्वारा पंजीकृत किए जाने वाले व्यक्तियों का क्षेत्र वार संख्या और पंजीकरण करने की अवधि के संबंध में जारी किये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त (क) में उल्लिखित पंजीकरण से प्रतीक्षा सूची में दर्ज रसोई गैस ग्राहकों में से अधिकांश का नाम सूची से हटेगा;

(घ) यदि नहीं तो प्रतीक्षा सूचियां कब समाप्त हो जाएंगी;

(ङ) क्या तेल कंपनियों को ऐसे उपभोक्ताओं को दूसरे सिलडिंर का कनेक्शन (डी०बी०सी०) देने के अनुदेश जारी किए गए हैं जिनके पास इस समय केवल एक ही सिलैंडर का कनेक्शन है; और

(च) यदि हां, तो उनकी संख्या बताते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत निजी एजेंसियां सरकार को संबद्ध किये बगैर ग्राहकों को दर्ज करने हेतु स्वतंत्र है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1-4-1994 की स्थिति के अनुसार समूचे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास प्रतीक्षा सूची पर करीब 114.18 लाख आवेदन पत्र थे। यथा संभव शीघ्रता से अधिकतम आवेदकों को एल०पी०जी० के कनेक्शन देने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यमान उत्पादन

महाराष्ट्र में रसोई गैस एजेंसी

*1228. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1994 को महाराष्ट्र में कितनी रसोई गैस एजेंसियां थी;

(ख) क्या सरकार के पास आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उक्त राज्य में रसोई गैस एजेंसियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1-4-1994 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 576 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्य कर रही थीं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र मे विभिन्न स्थानों के लिए 76 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रस्तावों को वर्तमान एल०पी०जी० विपणन योजना 1992-94 में शामिल कर लिया गया है। 1993-94 के बाद की एल०पी०जी० विपणन योजना नहीं बनाई गई है।

कर्नाटक की लंम्बित विद्युत परियोजनाएं

1229. **श्री एस० वी० सिदनाल :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार स्वीकृति के लिए लम्बित कर्नाटक की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में बिजली का उत्पादन और खपत कितनी-कितनी थीं; और

(ग) इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जून, 1994 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(2) सरापडी जल विद्युत योजना (8x30 मे०वा०) अनुमानित लागत 166.02 करोड़ रुपए

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा योजना को मंजूरी दे दी गई है और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(2) मंगलौर ताप विद्युत केन्द्र (6x167 मे०वा०) अनुमानित लागत 477.68 करोड़ रुपए।

परियोजना का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र में किया जाना है। परियोजना प्राधिकरण द्वारा विभिन्न लिकेजिज सुनिश्चित किए जाने के लिए ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है।

(3) वाराही टेलरेस जल विद्युत परियोजना (2x7.5 मे०वा०) अनुमानित लागत 65.12 करोड़ रु०।

परियोजना प्राधिकरण द्वारा विभिन्न लिकेजिज सुनिश्चित किए जाने के लिए ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) ऊर्जा उत्पादन और उपलब्धता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	उत्पादन (सकल मि०यू०)	उपलब्धता (निवल मि०यू०)
1991-92	12884	15550
1992-93	12753	16050
1993-94	14155	17235

(ग) विभिन्न परियोजनाओं की शीघ्रता से मंजूरी प्राप्त करने के लिए लंबित प्रस्तावों पर विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ सघन कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

दामोदर घाटी निगम के लिए विदेशी सहायता

1230. **श्री ललित उराव :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस दामोदर घाटी निगम के 1630 मेगावाट क्षमता वाले मार्थन ताप संयंत्र में पूंजीनिवेश करने के अपने प्रस्ताव से पीछे हट गया है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए जर्मनी की सरकार के साथ वार्ता चल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) दामोदर घाटी निगम की मैथान दायां तट परियोजना (4x210 मे०वा०) का निर्माण कार्य तत्कालीन यू०एस०एस०आर० की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से किए जाने की पहले परिकल्पना की गई थी। यू०एस०एस०आर० का विघटन हो जाने पर इस प्रकार की सहायता की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस सिलिंडर

1231. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री जनार्दन मिश्र :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में मिलावटी रसोई गैस सिलिंडरों की सप्लाई के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस प्रकार के कदाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) तेल कंपनियों ने यह रिपोर्ट की है कि अप्रैल जून, 1994 के दौरान पानी से भरे सिलिंडरों के संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) से (ग) विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है तथा संबद्ध डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई है। प्रभावित सिलिंडरों को निशुल्क बदलकर ग्राहकों को दिया गया था।

(घ) तेल कंपनियों सिलिंडरों को एल०पी०जी० के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास भेजने से पूर्व भराई संयंत्रों पर प्रत्येक सिलिंडर की गुणवत्ता की विस्तृत जांच करती है। तेल कंपनियों के एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे ग्राहकों के घर पर केवल अच्छे और सही माप के एल०पी०जी० सिलेंडर द

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

1232. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री एस०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है तथा कितनी परियोजनाएं लंबित हैं; और

(ग) शेष विद्युत परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों को स्थापित किए जाने हेतु, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने निम्नलिखित प्रस्ताय प्राप्त किए हैं।

(I) मै०जी० वी० के इन्डस्ट्रीज हैदराबाद की जेगरुपाडू जी०टी०सी०सी० (स्थल पर 216 मे०वा०)

(II) स्पेक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड़, सिकन्दराबाद की गोदावरी जी०टी०सी०सी० (स्थल पर 208 मे०वा०)

(III) मै० अशोक लेलैण्ड़ लिमिटेड़ इंडिया और नेशनपल पावर यू०के० की विशाखापट्नम (कोयला) टी०पी०एस० (2x500 मे०वा०) क्रम संख्या 1 और 2 पर उल्लिखित प्रस्तावों को के०वि०प्रा० द्वारा कुछ शर्तों के आधीन स्वीकृत प्रदान कर दी गई है, क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित प्रस्ताव के परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सभी आवयश्यक स्वीकृतियों/नियेश सुनिश्चत किए जाने के बाद, तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु के०वि० प्रा० द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

1233. **श्री हरचंद सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रतियर्ष कितनी दुर्घटनाएं हुई; और

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए। घायल हुए?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दुर्घटनाओं के, राष्ट्रीय राजमार्ग-वार आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का सुरक्षित भंडार

1234. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादक संरक्षण अनुसंधान संस्थान ने देश में कच्चे तेल के सुरक्षित भंडार का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या ऊर्जा के साथ गैस संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम आरंभ करने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के देश के कच्चे तेल के भण्डारों का आकलन नहीं किया है। तो भी 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार भारत में कच्चे तेल का अनुमानित भण्डार 779 मिलियन मीट्रिक टन था।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गए विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैं:—

(1) अधिकाधिक ईंधन कौशल के अनुरूप विधियां अपनाना और परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(2) अकुशल बायलरों, भट्टियों और अन्य तेल प्रचालित उपस्करों का कुशल उपस्करों से प्रतिस्थापन्न और औद्योगिक क्षेत्र में ईंधन कुशल विधियों और उपस्कर को बढ़ावा देना।

(3) कृषि क्षेत्र में ईंधन कुशल सिंचाई पम्पसेटों का मानकीकरण और वर्तमान पम्पसेटों का सुधार।

(4) घरेलू क्षेत्र में मिट्टी के तेल के और एल०पी०जी० के स्टोवों जैसे ईंधन कुशल उपकरणों के उपयोग का विकास और संवर्धन।

(5) जन जागृति अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, ऊर्जा उपयोग अध्ययन, ऊर्जा अंकेक्षण, ईंधन तेल के उपयोग के अध्ययन, विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं का प्रदर्शन इत्यादि।

(6) तरलीकृत हाइड्रोकार्बन संसाधनों के संरक्षण के लिए तेल क्षेत्र प्रचालनों में प्राकृतिक गैस का उपयोग।

राष्ट्रीय ऊर्जा कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1996-97 तक 5000 मेगावाट के बराबर विद्युत शक्ति की बचत की परिकल्पना की गई है।

रेलवे द्वारा विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

1235. **श्री राम कापसे :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने प्रस्तावित संयंत्रों को कोयले की ढुलाई के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है;

(ख) क्या इस कारण से विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशों के प्रस्ताव जोखिम में पड़ गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नही।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मुम्बई बम विस्फोटों में शामिल व्यक्तियों का प्रत्यर्पण

1236. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई बम विस्फोट के मामलों में दोषी व्यक्तियों के प्रत्यर्पण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं; और

(ख) अब तक इस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकला है?

श्री सलमान खुर्शीद (विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री) : (क) सरकार ने बम्बई बम कांड में अभियुक्त 24 व्यक्तियों के प्रत्यर्पण का मामला पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों के साथ उठाया है।

(ख) पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि ये व्यक्ति पाकिस्तान में नहीं हैं। जहां तक संयुक्त अरब अमीरात का प्रश्न है बम्बई के निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा रूलर्स आफिस, दुबई के निदेशक को एक याचना पत्र भेज दिया गया है जो दुबई न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जायेगा।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में एस०टी०डी०

1237. **श्री धर्मण्णा मौडंय्या सादुल:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में उन स्थानों के जिला-वार नाम क्या हैं जिन्हें 1994-95 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा से जोड़ा जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : वर्ष 1994-95 के दौरान, निधि, उपस्कर, भूमि, भवन आदि जैसे संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन एस०टी०डी० नेटवर्क से जोड़ने के लिए जिलेवार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 94-95 के दौरान महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में एस०टी०डी० सुविधा के लिए प्रस्तावित केन्द्र

क्रम०सं०	जिला	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	राजगढ़	श्रीवरधन

1	2	3
		मनगांव
		म्हासला
		पोलादपुर
		महाद
2.	थाणा	तालासारी
		जवाहर
3.	रतनागिरी	संगमेश्वर
		राजापुर
		लानजा
		मंडनगढ़
4.	सिंधुदुर्ग	वैभावाड़ी
		देवगढ़
5.	सांगली	शिराला
6.	औरंगाबाद	गंगापुर
7.	जालना	मनथा
8.	लातूर	चाकुर
		रेनापुर
9.	नांदेड	बिल्लोली
		हदगांव
		लोहा
10.	परभनी	पुरना
11.	अहमदनगर	शेवगांव
12.	अकोला	बरशी टकाली
		तिलहारा
		अकोट
13.	अमरावती	चिखलदारा

1	2	3
		दरियापुर
14.	पन्द्रारा	देवरी
		सदाकरजुली
		गोहदी
15.	वर्धा	करानजा
16.	यवतमाल	डिगरास
		उमरखेड़
		वानी

गुजरात के टेलीफोन एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा

1238. **श्री एन०जे०राठवा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान गुजरात में विशेष रूप से बड़ोदरा, भड़ौच और पंचमहल जिलों में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में शेष एक्सचेंजों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात में वर्ष 92-93 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने के लिए 42 केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया था।

- लाठी, पलसाना और गणदेवी नामक तीन केन्द्रों को छोड़कर 1992-93 के दौरान प्रस्तावित सभी केन्द्रों को एस०टी०डी० नेटवर्क से जोड़ दिया गया है।
- वदोदरा, भड़ौच और पंचमहल जिलों में एस०टी०डी० सुविधा के लिए प्रस्तावित सभी एक्सचेंजों को एस०टी०डी० नेटवर्क से जोड़ दिया गया है।

(ख) सभी एक्सचेंजों को 8वीं योजना अवधि के दौरान एस०टी०डी० सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि निधियां, भूमि, भवन उपस्कर आदि जैसे संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सोवियत संघ के स्वतन्त्र देशों के साथ सम्बन्ध

1239. **श्री हरिन पाठक :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सोवियत संघ से अलग होने वाले उन देशों के क्या नाम हैं जहां भारत के मिशन हैं और किन-किन देशों में अभी मिशनों की स्थापना करनी है; और

(ख) सरकार इन देशों के साथ राजनयिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) रूस, उक्रेन, बेलारूस, कजाकस्तान, तुर्कमनिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गीजस्तान और ताजिकिस्तान में भारत के राजदूतावास हैं। आर्मेनिया, एस्तोनिया, लात्विया, लिथुवानिया जार्जिया, मालदोवा, अजरबेजान, में भरत के आवासीय राजदूतावास नहीं हैं।

(ख) इन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए गए हैं। कई राजकीय तथा सरकारी यात्राएं की जा चुकी है। अनेक करार सम्पन्न किए जा चुके हैं और अनेक विचाराधीन हैं। इन देशों के साथ सम्पन्न करारों तथा यात्रायों की सूची दर्शाने वाला वितरण-I और विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

रूस

(i) मैत्री एवं सहयोग संधि

(ii) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग करार।

(iii) रूपया-रुबल विनियम दर करार

(iv) रक्षा सहयेाग करार

(v) भारत-रूसी परामर्श संबंधी प्रोतोकोल

(vi) सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सहयोग करार

(vii) सूचना संबंधी करार

(viii) नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार की रोकथाम के संबद्ध करार

(ix) गृह मंत्रालय तथा रूस के सुरक्षा मंत्रालय के बीच करार

(x) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी ज्ञापन

(xi) व्यापार मामलों से संबंधित पत्रों का आदान-प्रदान

(xii) भारत-रूसी संयुक्त आयोग की स्थापना संबंधी करार

(xiii) गृह मंत्रालय तथा रूस के आन्तरिक मंत्रालय के बीच सहयोग संबंधी करार

(xiv) चिकित्सा विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य में सहयोग पर प्रोतोकोल।

(xv) वर्ष 1993-94 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के संबंध में करार

(नोट:) रूस के साथ राजनयिक तथा कौंसली संबंध सोवियत समाजवादी गणतंत्री संघ से उद्भूत राज्य के रूप में बने रहे)

(xvi) भारत तथा रूसी परिसंघ के बीच सहयोग को और अधिक विकसित एवं गहन करने से संबंधित मास्को घोषणा।

(xvii) भारत तथा रूसी परिसंघ के बीच सहयोग को और अधिक विकसित एवं गहन करने से संबंधिता घोषणा।

(xviii) विज्ञान तथा रूसी परिसंघ के बीच सहयोग को और अधिक विकसित एवं गहन करने से संबंधिता घोषणा।

(xix) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग

(xx) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग

(xxi) मौसम विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन

(xxii) पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र मे सहयोग।

(xxiii) मानकीकरण तथा मापविद्या के क्षेत्र में विज्ञान एव प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन

(xxv) तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में दीर्घावधिक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने तथा विशेष उपकरण खरीदने के लिए भारत गणराज्य को ऋण देने के नोट में करार से संबंधित प्रोतोकोल।

(xxvi) भारत-रूसी विमानन लिमिटिड की स्थापना से संबंधित करार।

(xiv) चिकित्सा विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य में सहयोग पर प्रोतोकोल।

(ख) विचाराधीन करार

(i) नगर विमानन संबंधी करार

(ii) जहाजरानी संबंधी करार

(iii) राजनयिक तथा सरकारी पासपार्ट पर वीसा के बिना यात्रा सबंधी ज्ञापन

(iv) वीसा जारी करने के समय तथा प्रक्रिया के संबंध में ज्ञापन

(v) पारस्परिक निवेश के संवर्द्धन और संरक्षण संबंधी करार

विचाराधीन करार

2. उक्रेन

(क) सम्पन्न करार

(i) मैत्री एवं सहयोग संधि

(ii) राजनयिक तथा कोसली संबंधो की स्थापना संबंधी प्रोतोकोल

(iii) व्यापार तथा आर्थिक सहयोग करार

(iv) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार

(v) संस्कृति, कला, शिक्षा, पर्यटन, खेलकूद, जन-प्रचार-में सहयोग संबंधी करार

(vi) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर प्रोतोकोल

(vii) रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन

(viii) वायु सेवा संबंधी समझौता ज्ञापन।

(ix) व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी अन्तर-सरकारी आयोग पर करार; और

(x) विदेश मंत्रालय और उक्रेन के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्शों पर प्रोतोकोल।

(ख) **विचाराधीन करार**

(i) नागर विमानन करार

(ii) जहाजरानी संबंधी करार

(iii) दोहरे कराधान से परिहार संबंधी करार

(iv) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम करार

(v) निवेश संरक्षण पर करार।

5. **बेलारूस**

(क) **सम्पन्न करार**

(i) राजनयिक तथा कोंसली संबंधों की स्थापना पर प्रोतोकोल

(ii) परस्पर-व्यापार के तौर तरीकों के संबंध में समझौता ज्ञापन।

(iii) व्यापार तथा आर्थिक सहयोग करार

(iv) सहयोग के सिद्धान्तों तथा निर्देशों के संबंध में घोषणा

(v) रक्षा संबंधी तकनीकी सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन

(vi) पर्यटन करार

(vii) संस्कृति, कला, शिक्षा, जन-प्रचार, राज्यों तथा पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी करार।

(viii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार

(ix) सरकारी अधिकारियों के लिए वीसा मुक्त यात्रा संबंधी करार।

विचाराधीन करार

(i) दोहरे कराधान से परिहार पर करार।

(ii) कृषि से सम्बद्ध करार।

(iii) तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर करार (आइटेक)

(iv) एक संयुक्त आयोग की स्थापना संबंधी करार।

4. मोल्दोवा

(क) सम्पन्न करार

(i) सहयोग के सिद्धान्तों एवं निर्देशों पर घोषणा

(ii) राजनयिक एवं कोंसली सम्बन्धों की स्थापना से सम्बद्ध प्रोतोकोल

(iii) विदेश मंत्रालय और मोल्दोवा के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श से सम्बद्ध प्रोतोकोल।

(iv) विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी से सम्बद्ध करार।

(v) संस्कृति, कला, शिक्षा, पर्यटन, खेलकूद और जन प्रचार में सहयोग से सम्बद्ध करार।

(vi) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर करार।

(vii) तकनीकी और आर्थिक सहयोग करार (आईटेक)

5. अर्मेनिया

(क) सम्पन्न करार

(i) राजनयिक एवं कोंसली सम्बन्धों की स्थापना पर प्रोतोकोल।

(ii) विदेश मंत्रालय और अर्मेनिया के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श से सम्बद्ध प्रोतोकोल

(iii) व्यापार और आर्थिक सहयोग पर करार।

(iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर करार।

(ख) विचारापीन करार

(i) सांस्कृतिक सहयोग पर करार

(ii) दोहरे कारधान से परिहार पर करार

(iii) तकनीकी एव आर्थिक सहयोग पर करार (आइटेक)

6. जार्जिया

(क) सम्पन्न करार

(i) राजनयिक एवं कोंसली संबंधों की स्थापना से सम्बद्ध प्रोतोकोल

(ख) विचारपीन करार

(i) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर करार

7. एस्तोनिया

सम्पन्न करार

(i) राजनयिक एवं कोंसली संबंध की स्थापना से सम्बद्ध प्रोतोकोल

(ii) सहयोग के सिद्धान्तों एवं निर्देशों से सम्बद्ध घोषणा

(iii) संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद, कला, जन प्रचार, पर्यटन तथा युवा मामलों से सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर करार

(iv) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग

8. लात्विया

(क) सम्पन्न करार

(i) राजनयिक एवं कोंसली सम्बन्धों की स्थापना से सम्बद्ध प्रोतोकोल

(ii) व्यापार और आर्थिक सहयोग पर करार

(ख) विचाराधीन करार

(i) संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद, कला, जन प्रचार, पर्यटन एवं युवा मामलों से सम्बद्ध क्षेत्रों में करार।

(ii) सहयोग के सिद्धान्तों एव निर्देशों के संबंध में घोषणा

(iii) आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग पर करार।

9. लिथुआनिया

(क) सम्पन्न करार

I. व्यापार और आर्थिक सहयोग पर करार

(ख) विचाराधीन करार

(i) सहयोग के सिद्धान्तों एवं निर्देशों के सबंध में घोषणा

(ii) आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर करार

10. उजबेकिस्तान

1 आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग संबंधी करार।

2 संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, पर्यटन, खेलकूद और जन-प्रचार के क्षेत्रों में सहयोग पर करार।

3. राजनियक सम्बन्धों की स्थापना पर प्रोतोकोल।

4. कोंसली संबंधों की स्थापना के सबंध में प्रोतोकोल।

5. व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर अन्तर-सरकारी आयोग की स्थापना के संबंध में करार।

6. आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर करार।

7. संस्कृति और कला के आदान-प्रदान संबंधी प्रोतोकोल।

8. उच्च शिक्षा में सहयोग पर प्रोतोकोल।

9. जन-प्रचार में सहयोग पर प्रोतोकोल।

10. 1992-94 के लिए खेलूकूद में सहयोग पर प्रोतोकोल।

11. द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन।

12. अन्तर-राज्य सम्बन्धों और सहयोग के सिद्धान्तों पर संधि।

13. व्यापार और आर्थिक सहयोग पर करार।

14. 10 मिलियन डालर के ऋण का करार।

15. वायु सेवा करार।

16. आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ाने के उपायों के संबंध में समझौता ज्ञापन।

17. दोनों विदेश मंत्रियों के बीच सहयोग पर प्रोतोकोल।

18. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी करार।

19. दोहरे कराधान के परिहार के सम्बन्ध में करार।

20. पर्यटन संबंधी करार

21. कसर/समझौता ज्ञापन-व्यापार और आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर अन्तर-सरकारी करार।

22. डाक और सम्बन्धित मामलों पर करार।

23. दूर संचार संबंधी समझौता ज्ञापन।

24. भारत-उजबेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में समझौता

25. ज्ञापन।

26. सांस्कृतिक सहयोग करार।

27. व्यापाक आर्थिक सहयोग करार।

28. अन्तर-राज्य सम्बन्धों की संधि के अन्तर्गत करार।

11. कजाकस्तान

1. अन्तर-सरकारी सम्बन्धें के मूल सिद्धान्तों और निर्देशों की घोषणा।

2. व्यापार, आर्थिक, सम्बन्धों और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी करार

3. संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, जन-प्रचार और खेलकूद के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी करार।

4. व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर अन्तर-सरकारी आयोग के सम्बन्ध में करार।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार।

6. 10 मिलियन डालर के ऋण के संबंध में करार।

7. दोनों देशों विदश मंत्रियों के बीच सहयोग पर प्रोतोकोल।

8. द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

9. जुलाई, 1993 में संयुक्त आयोग के अन्तर्गत कार्रवाई के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन।

10. कजाकस्तान के उप वाणिज्य मंत्री द्वारा अप्रैल, 1992 में सम्पन्न व्यापार संबंधी करार।

11. वायु सेवा करार

12. राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के संबंध में प्रोतोकोल।

13. कोंसली सम्बन्धों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रोतोकोल

14. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

12. किर्गीजस्तान

1. सहयोग के सिद्धान्तों और निर्देशों के सम्बन्ध में घोषणा।

2. व्यापार, आर्थिक, सम्बन्धों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार।

3. संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, जल-प्रचार और खेलकूद के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी करार।

4. व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग पर अन्तर-सरकारी आयोग के सम्बन्ध में करार।

5. आर्थिक और तकनीकी सहयोग संबंधी करार।

6. विदेश मंत्रियों के बीच सहयोग पर करार।

7. राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना पर प्रोतोकोल।

8. कोंसली सम्बन्धों की स्थापना पर प्रोतोकोल।

9. द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

10. वायु सेवा करार।

11. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

13. तुर्कमेनिस्तान

1. सहयोग के सिद्धान्तों और निर्देशों के सम्बद्ध घोषणा।

2. व्यापार और आर्थिक सहयोग करार

3. संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, पर्यटन, खेलकूद और जन-प्रचार के क्षेत्रों में सहयोग पर करार।

4. आर्थिक और तकनीकी सहयोग करार।

5. कोंसली सम्बन्धों की स्थापना पर प्रोतोकोल।

6. राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना पर प्रोतोकोल।

14. ताजिकिस्तान

1. सहयोग के सिद्धान्तों और निदेशों पर घोषणा।

2. व्यापार और आर्थिक सहयोग करार

3. आर्थिक और तकनीकी सहयोग करार

4. संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, जन-प्रचार (चलचित्रिकी भी शामिल है) और खेलकूद के क्षेत्रों में सहयोग के सम्बन्ध में करार।

5. ताजिकिस्तान के विदेशी आर्थिक कार्यकलापों के लिए वाणिज्यिक बैंक और भारत के भारतीय स्टेट बैंकों के बीच सहयोग पर करार।

6. दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग पर प्रोतोकोल।

7. जून 1994 का भरत-ताजिक ऋण करार

15. अजरबैजान

1. राजनयिक संबंधों की स्थापना से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन

2. कोंसली सम्बन्धों से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन

विवरण-II

यात्राओं की सूची

1. रूस

(क) 1992

(i) विदेश सचिव के नेतृत्व में बहु क्षेत्रीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल की 12-18 जनवरी 1992 तक मास्को की यात्रा।

(ii) रूस के विदेश सचिव जेन्दी बुर्बुलिस की मई 1992 में यात्रा।

(iii) रूस की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्ष खासबुलातोव की 9-10 अगस्त 1992 तक की यात्रा।

(iv) रक्षा मंत्री श्री शरद पवार की 7-12 सितम्बर 1992 तक की यात्रा।

(v) वायु सेना अध्यक्ष ने 28 अक्तूबर 1992 से 3 नवम्बर 1992 तक रूस की यात्रा की।

(vi) नौ सेनाध्यक्ष ने 8-14 नवम्बर 1992 में रूस की यात्रा की।

(ख) 1993

(i) राष्ट्रपति येल्तसिन की 27-29 जनवरी 1993 की यात्रा।

(ii) संस्कृति विभाग के सचिव ने 16 सितम्बर 1993 को रूस की यात्रा की।

(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने 12-18 सितम्बर 1993 तक मास्को की यात्रा की।

(iv) रूस के गृहमंत्री जनरल वी०एफ० येरिन ने 5-8 सितम्बर 1993 तक भारत की यात्रा की।

(v) नागर विमानन मंत्री श्री गुलाम नवी आाजद ने 5-8 सितबंर 1993 तक रूस की यात्रा की।

(vi) रूसी विज्ञान अकादमी के शिक्षा शास्त्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में आई०एल०टी०पी० संयुक्त समिति की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए नवम्बर 1993 में भारत की यात्रा की।

(vii) विदेश सचिव ने 10-12 अक्तूबर 1993 तक रूस की यात्रा की।

(ग) **1994**

(i) रूस के स्थल सेना के कमांडर-इन-चीफ बी०एम०सेम योननोव ने 3-8 जनवरी 1994 तक भारत की यात्रा की।

(ii) रूस के नौ सेना के कमांडर एन चीफ एफ०एम० ग्रोमोव ने फरवरी 1994 में भारत की यात्रा की।

(iii) रूस की परमाणु उर्जा मंत्री वी०एन० मिरवैलोव ने 14-18 फरवरी 1994 तक भारत की यात्रा की।

(iv) प्रधानमंत्री की 29 जून से 2 जुलाई,1994 तक रूस की यात्रा

(v) रूस के उप प्रधान मंत्री यारोप की जून 1994 की यात्रा

(vi) रूस के उप विदेश मंत्री ए०यानोव की अप्रैल, 1994 की यात्रा

(viii) एअर स्टाफ प्रमुख की जुलाई, 1994 की रूस की यात्रा

(ix) वाणिज्यि सचिव की जुलाई, 1994 की रूस की यात्रा

उक्रेन

(क) **1992**

(i) सचिवों के दल जिसमें विदेश सचिव भी शमिल थे, की जनवरी 1992 में कीव की यात्रा

(ii) राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक की मार्च, 1992 में भारत की यात्रा

(iii) रक्षा मंत्री श्री शरद पवार की अक्तूबर 1992 में कीव की यात्रा

(iv) विशेष सचिव (बी़मा), आर्थिक कार्य विभाग ने अक्तूबर 1992 में उक्रेन की यात्रा की

(ख) **1993**

(i) राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की 13-16 जुलाई 1993 तक की यात्रा

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सचिव ने 7 जून 1993 को कीव की यात्रा की।

(ग) **1994**

उक्रेन के परिवंहन मंत्री ओ०डी० क्लिम्पश ने जनवरी 1994 में भारत की यात्रा की

(घ) विदेश मंत्री ए०एम० जलेंकी की 18-21 अप्रैल, 1994 तक की यात्रा।

3. बेलारूस

(क) 1993

(i) वेलारूस के मंत्री परिषद के अध्यक्ष वी०एफ० केबिच की 12-15 मई 1993 तक यात्रा।

4. मोलदोवा

(क) 1993

(i) मोलदोवा के राष्ट्रपति एम०आई० स्नेगर द्वारा 17-19 मार्च 1994 तक की यात्रा

(ii) मोलदोवा के उप प्रधानमंत्री कोस्कोडन के नेतृत्व में मोलदोवा के प्रतिनिधिमंडल ने 13 अक्तूबर 1993 से भारत की यात्रा की।

5. अर्मेनिया

(क) 1993

(i) उप विदेश मंत्री नावासार्डयन ने 10-12 मार्च 1993 तक भारत की यात्रा की

(ii) अर्मेनियन उच्च शिक्षा मंत्री श्री वी०नौनी की ने 21 से 28 मार्च 1994 तक की यात्रा।

6. जार्जिया

कोई यात्रा नहीं

7. लिथुवाआनिया

(क) 1993

वाणिज्यि मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एफ०टी०) की अध्यक्षता में भारतीय व्यापार तथा प्रतिनिध मण्डल की 30 जून से 5 जुलाई 1992 तक की यात्रा

8. लात्विया

क 1993

संयुक्त सचिव (एफ टी) के नेतृत्व में भारतीय व्यापार तथा आर्थिक प्रतिनिध मण्डल की 24-26 जून 1993 तक की यात्रा

9. एस्टोनिया

क 1993

(i) एस्टेनिया के विदेश मंत्री त्रिविमिवेलीस्ते की 14-17 अक्तूबर 1993 तक की यात्रा

(ii) वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एफ०टी०) के नेतृत्व में भारतीय व्यापार तथा आर्थिक प्रतिनिधि मण्डल की 27-30 जून 1993 तक की यात्रा

मध्य एशियाई देशों के उदय के बाद उन देशों से भारत तथा भारत से उन देशों के अति विशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों ने जो यात्राएं की उनकी सूची।

भारत की यात्राएं

1.	उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा	अगस्त, 1991 जनवरी, 1994
2.	कजाकस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा	फरवरी, 1992
3.	ताजिकिस्तान के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा	फरवरी, 1993
4.	किरगिजिस्तान के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा	अगस्त, 1993
5.	उजबेकिस्तान की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्ष के नेतृत्व में उजबेकिस्तान के ससंदीय प्रतिनिधिमण्डल की भारत यात्रा	अगस्त, 1992
6.	कजाकिस्तान के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कजाकिस्तान के संसदीय प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा	दिसम्बर, 1993
7.	उजबेकिस्तान की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रथम सचिव की भारत यात्रा।	अक्तूबर, 1992
8.	तुर्कमेनिस्तान के प्रथम उप विदेश मंत्री की भारत यात्रा	दिसम्बर, 1992
9.	स्टेट रेडियो तथा टेलीविजन के अध्यक्ष श्री हेत्वास्व तथा उजबेकिस्तान के फिल्म मंत्री श्री खेरूल्लाह की भारत यात्रा	जनवरी, 1993
10.	ताजिकिस्तान के उप विदेश मंत्री श्री रहमतुल्लाह की भारत यात्रा।	फरवरी, 1993
11.	किरगिजस्तान के विदेश मंत्री की भारत की यात्रा	अगस्त, 1993
12.	उजबेकिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा	दिसम्बर, 1993

विदेश यात्राएं

1.	प्रधान मंत्री की कजाकिस्तान तथा उजबेकिस्तान की यात्रा	मई, 1993
2.	विदेश राजय मंत्री श्री रघुनंदन लाला भाटिया की उजबेकिस्तान किरगिजिस्तान और कजागिस्तान की भारत यात्रा।	अक्तूबर, 1992
3.	आर्थिक कार्य सचिव श्री एम०एस० अहलुवालिया की तुर्कमेनिस्तान, किरगिानिस्तान कजाकिस्तान तथा उजबेकिस्तान की यात्रा।	अगस्त, 1993
4.	उप वाणिज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद की कजाकिस्तान किरगिजिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान की यात्रा।	अक्तूबर/नवम्बर, 1992
5.	पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री श्री गुलाम नवी आजाद की उजबेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान तथा किरगिजिस्तान की यात्रा।	सितम्बर, 1993

6.	श्री आर०एन० मिर्धा, संसद सदस्य की उजबेकिस्तान की यात्रा।	1992
7.	विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद की कजाकस्तान, किर्गीजस्तान और कजाकस्तान की यात्रा	जून, 1993

(टिप्पणी) : विभिन्न स्तरों पर यात्राएं की गई जिनमें इन देशों के साथ मौजूदा सहयोग के रूप में तथा उसको और विस्तृत करने की प्रक्रिया के रूप में व्यापारी और निर्यात संगठनों की यात्राएं भी शामिल हैं।

मद्रास तेल शोधक कारखाना

1240. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड ने अपने विपणन कार्यों का विस्तार करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धार माण्डव मार्ग सड़क, मध्य प्रदेश

1241. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश में इन्दौर-धार-माण्डव मार्ग को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल पविहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय तेल निगम और मोबील एशिया लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम

1242. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम और मोबील पेरोफिक प्राइवेट लिमिटेड ने स्नेहक के विपणन के लिए संयुक्त उद्यम लगाने हेतु समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी औपचारिकताएं क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित स्नेहकों को सभी महानगरीय शहरों में बेचा जाएगा और यदि हां, तो कब से,

(घ) क्या भारतीय तेल निगम और मोबील एशिया का विचार उत्तर भारत में मिश्रण संयंत्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा, इस पर कुल कितना खर्च आएगा, विभिन्न चरणों में लगभग कितना उत्पादन होगा और यह संयंत्र कब से उत्पादन शुरू कर देगा; और

(च) भारत में संयुक्त उद्यम का भावी कार्यक्रम क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (च) इंडियन आयल कारपोरेशन और मोबिल इंटरनेशनल पेट्रोलियम इंक, अमरीका ने 50:50 के अनुपात में इक्विटी प्रतिभागिता के साथ भारत में एक संयुक्त उद्यम कपनी की स्थापना की है आई०ओ०सी० के बम्बई, मद्रास और कलकत्ता स्थित वर्तमान मिश्रण संयंत्रों में स्नेहकों के मिश्रण के अतिरिक्त संयुक्त उद्यम कंपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके 47 करोड रुपए की अनुमानित लागत पर असौटी हरियाणा में 1,50,000 मीट्रिक टन अंतिम क्षमता वाले मिश्रण संयंत्र की भी स्थापना करेगी। 1,00,000 टन की क्षमता वाली परियोजना का पहला चरण 1997 को पहली तिमाही में आरंभ हो जाएगा। आरंभ में यह उत्पाद अगस्त-सितम्बर, 1994 में दिल्ली में और दिसम्बर, 1994 में अन्य महानगरों में बेचा जाएगा।

नये पासपोर्ट कार्यालय

1243. **श्री एस०वी० सिदनाल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजनावधि के दौरान कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में नये क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा ये किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में और पासपोर्ट कार्यालय खोलने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। कोई भी नया पासपोर्ट कार्यालय खोलना विभिन्न बातों पर आधारित होता है जिनमें काम की मात्रा तथा उपलब्ध संसाधन शामिल होते हैं। केवल एक नया पासपोर्ट कार्यालय खोल देने से ही सेवा में सुधार नहीं हो जाता जब तक कि आवश्यक आधारभूत संरचना तथा कार्मिक उपलब्ध न हों। अतः सरकार बकाया आवेदनपत्रों को निपटाने, पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब को कम करने तथा प्रक्रियाओं को सुचारू एवं सरल बनाने पर जोर दे रही है।

निविदा प्रणाली

1244. **श्री डी वेंकटेश्वर राव :**
श्री एस बी० बी० एस० मूर्ति :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलिमय के क्षेत्र में प्रमुख ठेके देने हेतु मुक्त निविदाएं आमंत्रित करने की प्रथा समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मोजूदा मुक्त निविदा प्रणाली के बदले सरकार द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित नई प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलिमय उत्पादों की कालाबाजारी

1245. **श्री हरचन्द सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल उत्पादों और रसोई गैस की कालाबाजारी में लिप्त पेट्रोल/डीजल पम्प और रसोई गैस की एजेंसियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र तथा एल०पी०जी० (रसोई गैस) एजेंसियों जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी में लिप्त पाया गया था, उनके संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं।

यदि एक एम०एस०/एच०डी० खुदरा बिक्री केन्द्र/एल०पी०जी० (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कालाबाजारी में लिप्त होना साबित होता है तो ऐसी स्थिति में विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के तहत चेतावनी पत्र जारी करने, प्रथम चरण में आपूर्तियों तथा बिक्रियों को 15 दिन के लिए स्थागित करने तथा तदुपरांत इसी अपराध के बार बार दिए जाने पर डीलरशिप के समापन जैसी कार्यवाही की जाती है। ऐसे डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर को गिरफ्तार तथा अभियोजित भी किया जा सकता है।

विवरण

क्रम सं०	(खुदरा बिक्री केन्द्र) एम०एस०एस०डी०)				(रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप)		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	2	14
2.	बिहार	0	0	0	2	0	0
3.	गोवा	0	0	1	0	1	0
4.	गुजरात	0	2	1	2	3	1
5.	हरियाणा	2	0	0	2	2	4
6.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	2
7.	कर्नाटक	1	1	0	6	0	0

8.	केलर	1	0	0	2	1	0
9.	मध्यप्रदेश	1	3	0	0	1	0
10.	महाराष्ट्र	2	2	2	6	8	9
11.	उड़ीसा	0	1	0	4	1	2
12.	पंजाब	0	6	0	3	0	3
13.	राजस्थान	3	2	0	0	2	2
14.	तमिलनाडु	1	2	0	1	0	5
15.	उत्तर प्रदेश	1	1	2	2	2	4
16.	प० बंगाल	1	0	1	0	0	0
17.	दिल्ली	1	0	0	0	5	1
18.	पांडीचेरी	0	0	1	0	0	0

[अनुवाद]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को घाटा

1246. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3-9 जुलाई, 1994 के "संडे ऑबजर्वर" में प्रकाशित समाचार "माल्टी-करोड़ रिक्रूटमेंट स्कैंडल स्फेसेज ऐट दुर्गापुर स्टील प्लांट" शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बेसिक आक्सीजन फर्नेस को चालू करने के कार्य में विलम्ब किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप दुर्गापुर स्टील प्लांट को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि स्थानीय पुलिस को एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में जूनियर आपरेटिव ट्रेनीज की भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में आरोप लगाया गया था। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं। अब मामले की पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) बेसिक आक्सीजन फर्नेश (बी०ओ०एफ०) शाला को चालू करने में विलम्ब होने के कारण 1993-94 में उत्पादन में हुई क्षति का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण में अन्य अपस्ट्रीम इकाइयों को चालू करने में भी विलम्ब हुआ था। बी०ओ०एफ० को विलम्ब से चालू करने के कारण वर्तमान वर्ष (अप्रैल से जून, 1994) की प्रथम तिमाही के दौरान अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में 30,000 टन

की क्षति हुई। तथापि, सहायक इस्पात संयंत्रों से इन्गोट और सेमीज के अन्तर-इस्पात स्थानान्तरण से विक्रेय इस्पात की कमी 3,000 टन हुई।

[हिन्दी]

गुजरात में रसोई गैस एजेंसियां

1247. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में रसोई गैस की वर्तमान मांग और आपूर्ति कितनी-कितनी है;

(ख) राज्य में किन-किन जिलों में रसोई गैस को सुविधा प्रदान की गई है; और

(ग) राज्य के सभी जिलों में रसोई गैस की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अप्रैल जून, 1994 की अवधि के दौरान गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र को तेल कंपनियों द्वारा 58563 मि०टन एल०पी०जी० को खपत/बिक्री की गई है।

(ख) गुजरता के डांगूस को छोड़कर सभी जिलों में एल०पी०जी० की सुविधा का प्रबन्ध किया गया है।

(ग) डांगूस जिले के अहवा में एक एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू विपणन योजना में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

मोटर वाहनों के लिए सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस

1248. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोटर वाहनों के लिए सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस बहुत कम व्यक्ति लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) दिल्ली, बम्बई और बड़ौदा में पेट्रोल चालित वाहनों को चलाने के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) का उपयोग करने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। चूंकि भारत में स्वचालित वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग एक नई अवधारणा है, इसलिए शुरू-शुरू में पब्लिक की ओर से मांग धीरे-धीरे बढ़ेगी।

गुजरात में रसोई गैस के वितरक

1249. **श्री हरिन पाठक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में प्रत्येक तहसील मुख्यालय में कितने रसोई गैस वितरक नियुक्त किये गये है;

(ख) कितने स्वतंत्रता सेनानियों को वितरकों के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ग) 1994-95 के दौरान कितने डीलरों की नियुक्ति की संभावना है;

(घ) क्या राज्य के बड़े गांवों में वितरक नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) 1-4-1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कार्यरत 296 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थी जिनमें से सात डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्वतंत्रता सेनानियों की हैं।

1992-94 को वर्तमान एल पी जी विपणन योजना में गुजरात के लिए एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पैंसठ प्रस्ताव सम्मिलित हैं। तेल चयन बोर्ड के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन की कार्यवाही जारी है। तो भी वर्तमान वर्ष के दौरान चालू की जाने वाली डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की वास्तविक संख्या चुने गए डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा जुटाई गई आवश्यक सुविधाओं और अनुमोदनों पर निर्भर करेगी। उत्पाद की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का निजीकरण

1250. **श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के निजीकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का निजीकरण किए जाने के बारे में दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

1251. **श्री सूरज भानू सोलंकी** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, आठवीं योजना के दौरान कुल 6, 193 कि०मी० लंबी सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए 13 प्रस्ताव भेजे हैं। तथापि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बहुत कम निधियां होने के कारण, फिलहाल किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा कर पाना मुश्किल है।

[अनुवाद]

गढ़वाल में सर्वेक्षण

1252. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के गढ़वाल मंडल में भारी अप्रयुक्त खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा कोई सर्वेक्षण कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के गढ़वाल मंडल में खाद्य प्रसंस्करण संभावना का उपयोग करने की दृष्टि से कोई सर्वेक्षण नहीं किया है परन्तु मंत्रालय, अपनी योजना स्कीमों के अन्तर्गत ऐसे सर्वेक्षण/अध्ययन कराने के लिए राज्य सरकारों, संस्थानों और संगठनों को अपनी योजना स्कीमों के अन्तर्गत सहायता देता है। ऐसे अध्ययन कराने के लिए सहायता के वास्ते उत्तर प्रदेश की सरकार/वहां के संगठनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

ब्रह्मपुत्र जलमार्ग

1253. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री प्रवीन डेका :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी में अंतर्देशीय जल यातायात सुविधाओं के विकास के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) सरकार द्वारा इन निष्कर्षों के संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को ब्रहमपुत्र नदी पर माल के परिवहन हेतु "होवरक्राफ्ट" की खरीद संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1990 में एक परामर्शदता के जरिए करवाए गए अध्ययन में, नौचालन के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का विकास यातायात परियोजनाओं के अनुसार, चार चरणों में किए जाने की सिफारिश की गई है। यातायात की मांग के अनुसार, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 (ब्रह्मपुत्र) में नौवाह्य जलमार्गों (फेयरवे) टर्मिनलों, नौचालन उपकरणों को बनाए रखने के लिए योजनाएं चल रही हैं।

(घ) और (ङ) ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कार्गो परिवहन के लिए होवरक्राफ्ट खरीदने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

सोने का उत्पादन और आयात

1254. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कुल कितना सोना आयात किया और कितना सोना आयात करने की अनुमति दी;

(ख) इन आयातों पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(ग) देश में हाल ही में पाए गए स्वर्ण भंडारों से कितना अनुमानित वार्षिक उत्पादन हुआ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) पिछले तीन वर्षों की अवधि में, कोई भी नई स्वर्ण खान कार्यशील/शुरू नहीं की गई है।

[अनुवाद]

कालीकट-माझेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग

1255. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करेल में कालीकट से माझेश्वर तक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोका कोला में अल्कोहल

1256. **श्री संजय लाल**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मई, 1994 के "जनसत्ता" में" क्या अल्कोहल मिलाते हैं कोका कोला में" शीर्षक से प्रकाशित समचार की ओर गया है;

(ख) क्या कोका कोला में भरा जाने वाला मूल्य द्रव्य-पदार्थ गुप्त रूप से अमरीका द्वारा भेजा जा रहा है;

(ग) क्या एशिया के सबसे बड़ी उपभोक्ता संरक्षण संस्थान "कन्जूमर एसोसीएशन आफ पेनाग" और कलकत्ता की कन्जूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी ने इस मामले में जांच कराने की मांग की है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) कोका-कोला की बाटलिंग के लिए अपेक्षित कुछ मूल अवयवों का, अनुमोदन की शर्तों के अनुसार आयात किया जा रहा है

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खानों का निजीकरण

1257. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ खानों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खानों को निजी क्षेत्र को सौंपने से क्या लाभ प्राप्त होंगे?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं। देश में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में खनन कार्य हो रहा है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंडाल्को संयुक्त उद्यम

1258. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि० को प्राप्त लाभ और इन वर्षों में उसे प्राप्त मुद्रा की आमदनी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इंडाल्को का विचार विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में भागीदारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशी कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि० एक निजी क्षेत्र की कम्पनी है कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान इसके द्वारा अर्जित लाभ और विदेशी मुद्रा अर्जन निम्नवत् रहे :—

(रुपये मिलियन में)

	*1993-94	1992-93	1991-92
करों के बाद लाभ	510.812	429.030	342.651
विदेशी मुद्रा अर्जन	1210.778	872.096	371.247

* वर्ष 1993-94 से संबंधित आंकड़े आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा वार्षिक लेखों को अपनाये जाने के अध्यधीन हैं।

(ख) से (ङ) इंडाल, विदेशी कम्पनियों के साथ मिलकर व्यापार संबंधी अवसर खोज रही है, जिनकी परिणिति संयुक्त उद्यम में हो सकती है। इन पर चर्चा जारी है।

दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को इंडाल ने पैकेजिंग उद्देश्य के लिए एल्यूमिनियम और पालिमर आधारित लेमिनेटेड ट्यूब बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन की कोटील्ड पैकेजिंग कम्पनी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) निष्पादित किया है।

इंडाल ने वर्ष 1993 और अप्रैल 1994 के दौरान उड़ीसा में एक मिलियन टन क्षमता वाला निर्यातान्मुखी एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने के बारे में टाटा इंडस्ट्रीज लि० और नार्वे की हाइड्रो एल्यूमिनियम ए०एस० तथा अन्य उन्नयनकर्ता कंपनियों के साथ कई समझौते किये हैं। इसके अतिरिक्त इंडाल ने उपरोक्त अवधि के दौरान औद्योगिक उन्नयन एवं निवेश निगम लि० (उड़ीसा सरकार का एक उपक्रम) और नार्वे की हाइड्रो एल्यूमिनियम ए०एस० के साथ संयुक्त रूप से एक समझौता किया है जिससे हाइड्रो कंपनी को उड़ीसा एक्सट्रूजंस लि० में उन्नयनकर्ता कंपनी के रूप में लाया जा सके।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में तहसील मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा

1259. **श्री रामपाल सिंह :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में तहसील मुख्यालयों में स्थित उन टेलीफोन एक्सचेंजों तथा अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है जहां वर्ष 1994-95 के दौरान एस०टी०डी० सुविधायें उपलबध करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : 1994-95 के दौरान 56 तहसील मुख्यालयों तथा एक अन्य एक्सचेंज को एस०टी०डी० नेटवर्क के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि भूमि, भवन, उपस्कर और निधियां आदि जैसे संसाधन उपलब्ध हों।

भूस्वामियों को मुआवजा

1260. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री छेदी पासवान :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे भू-स्वामियों को मुआवजा/सुविधा देती है जिनकी खनिज सम्पन्न भूमि सरकार ने अपने नियंत्रण में ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिग्रहित किसी भूखण्ड का मुआवजा भू-स्वामी को देय है।

[अनुवाद]

अंतर्देशीय जलमार्गों में निजी क्षेत्र की भागीदारी

1261. **श्री मोहन रावले** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन निजी क्षेत्र के लिए सदैव खुला रहा है। तथापि, इस क्षेत्र में निजीकरण की शुरूआत किए जाने संबंधी योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

इस्पात विकास निधि

1262. **श्री नीतीश कुमार** :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार सरकार के पास इस्पात विकास निधि के रूप में कितनी धनराशि थी ;

(ख) ऋण के रूप में विभिन्न इस्पात उत्पादकों को कितने धन का आवंटन किया गया;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस्पात विकास निधि की उगाही को समाप्त करने के निर्णय के कार्यान्वयन से इस्पात की कीमतों में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 31 मार्च, 1994 तक इस्पात विकास निधि में प्राप्त निधि की राशि 6702 करोड़ रुपये थी।

(ख) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार विभिन्न इस्पात उत्पादकों को ऋण के रूप में संवितरित निधि की मात्रा नीचे दी गयी है :—

	(करोड़ रुपये)
"सेल"	5151.16
"इस्को"	44.68
-"टिस्को"	989.20
वी०एस०पी०	40.00
कुल :	6225.04

(ग) और (ङ) इस्पात विकास निधि (एस०डी०एफ०) लेवी विक्रय मूल्य का एक भाग थी और यह उपभोक्ताओं से वसूली जाती थी तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जमा करायी जाती थी। एस०डी०एफ० लेवी समाप्त करने के परिणामस्वरूप मुख्य उत्पादकों ने अपने विभिन्न इस्पात उत्पादों के आधार मूल्य उपयुक्त रूप से समायोजित कर लिये हैं। नियंत्रण समाप्त किये जाने के बाद मुख्य उत्पादक अपने मूल्य स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का पुनर्गठन

1263. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पुनर्गठन के लिए प्रस्तुत की गई उस योजना को अनुमोदन देने का विचार है जो कि गत छह वर्षों से लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की पूंजीगत पुनर्संरचना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

ग्रेनाइट खनन

1264. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रेनाइट खनन संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन स्थानों पर ग्रेनाइट पाया जाता है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस खनिज हेतु कितना सहायता दी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को ग्रेनाइट का निर्यात किया गया?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ग) चूंकि ग्रेनाइट एक गौण खनिज है, अतः उसके उन्नयन, विनियमन तथा विदोहन संबंधी नीतियों का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ख) ग्रेनाइट, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है।

(घ) जापान, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू०एस०ए०), कनाडा तथा सिंगापुर ग्रेनाइट के प्रमुख बाजार हैं।

रूसी नेताओं के साथ परमाणु अप्रसार संधि संबंधी वार्ता

1265. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल की रूस यात्रा के दौरान रूसी नेताओं के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर भी वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एल्यूमिनियम की कमी

1266. **श्री हरीश नारायण प्रभु आंट्रे** :
श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इग्नोट" की भारी कमी होने के कारण एल्युमिनियम के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो "इग्नोट" की कमी का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितनी मूल्य वृद्धि हुई है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों का आठवीं योजना के अनुमानित निष्पादन लक्ष्य कितना है;

(घ) मांग और आपूर्ति में अन्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विविधिकरण और एल्युमिनियम विपणन नेटवर्क के विस्तार हेतु क्या प्रस्ताव है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है। तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हल्दिया पत्तन

1267. **श्री चित्त बसु** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन के निकट हुगली नदी की नौवहन क्षमता में गत तीन वर्षों के दौरान तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुंटूर जिले का सर्वेक्षण

1268. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में खनिज के भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गुंटूर जिले में पाए गए खनिजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खनिजों के निर्यात की क्या संभावनाएं हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने गुन्टूर जिले में तांबा, सीसा-जस्ता, हीरा, चूना पत्थर तथा गेरू का सर्वेक्षण किया है। इस क्षेत्र में निम्न श्रेणी का लौह अयस्क और चिकनी मिट्टी भी पाई गई है। अनुमानित भंडार नीचे दिए गए हैं :—

खनिज	क्षेत्र	भंडार (मी०टन)	श्रेणी	
तांबा	अगिनगुंडाला	5.8	1.51-1. 71%	तांबा
सीसा	बोलापाले	11.46	5.78%	सीसा
	अगिनगुंडाला	0.46	8.98% सीसा	
सीसा जस्ता	करेम्पुडी	0.63	2.61% सीसा	
हीरायुक्त लौह कंकड़	कोलुरू	3.20	0.66 कैरेट/टन	
चूना पत्थर	पलनेड	311	सीमेंट श्रेणी	
		140.71	फ्लक्स ग्रेड	
		11.83	एस०एम०एस० ग्रेड	
गेरू	बसीरेड्डीपल्ली	60,000 टन		
	मचेरला			
	कैटावरम			

(ग) इन अयस्कों का स्वदेशी प्रयोग हो रहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में खनिजों की खोज

1269. श्री दत्ता मेघे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में खनिज की खोज के लिए सरकारी क्षेत्र में उपक्रम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए आबंटन

1270. **श्री विलासराव नागनाथ राव गुंडेवार :** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास हेतु अभी तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) योजना में, अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों की प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 50% तक की सीमा तक ऋण के रूप में निधियों का प्रावधान किया जाता है। निधियों के आबंटन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऐसी कोई स्कीम/परियोजना न भेजे जाने के कारण महाराष्ट्र में अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है।

[अनुवाद]

खनन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

1271. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन के क्षेत्र में किन-किन देशों का संयुक्त उद्यम लगाने का विचार है; और

(ख) सरकार को इस संबंध में मिले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकार ने खनन क्षेत्र में किसी देश द्वारा स्वयं संयुक्त उद्यम स्थापित करने के बारे में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है। तथापि, सरकार के कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुछ विदेशी कम्पनियों से खनन क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

परिष्कृत ताम्बे का उत्पादन

1272. **श्री के० प्रधानी :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में परिष्कृत ताम्बे की मांग व पूर्ति के आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या देश में परिष्कृत तांम्बे का उत्पादन वास्तविक वार्षिक मांग के आकड़ों से बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान देश में परिष्कृत तांबे की मांग और पूर्ति संबंधी आंकड़े निम्नवत् हैं:—

वर्ष	आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यदल के द्वारा अनुमानित मांग (टनों में)	घरेलू उत्पादन (टनों में)
1991-92	173,253	45495
1992-93	183,200	45275
1993-94	195,900	39002 (अनन्तिम)

(ख) जी, हां।

(ग) तांबे की मांग और आपूर्ति के मध्य अंतराल कम करने के लिये, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच०सी०एल०) ने अपनी ताम्र प्रगालन और शोधन क्षमता को 31,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 100,000 टन प्रतिवर्ष करने के लिये एक योजना बनाई है।

नौवहन के क्षेत्र में विदेशी निवेश

1273. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेशकों ने नौवहन परिवहन और सड़क के क्षेत्रों में निवेश करने की रुचि दिखाई है;

(ख) इस संबंध में अनेक मंत्रालय को क्या विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नौवहन क्षेत्र में निवेश के लिए बारह प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से ग्यारह प्रस्ताव सरकार ने अनुमोदित कर दिए थे। सड़क क्षेत्र में, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर राजमार्ग परियोजनाओं में ब्रिटेन, मलेशिया, कनाडा, आस्ट्रेलिया, आदि देशों की कंपनियां रुचि लेती रही हैं। परिवहन क्षेत्र में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

खनन विवादों के लिए न्यायाधिकरण

1274. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनन विवादों से संबंधित मामलों का निर्णय करने के लिए राज्य की राजधानियों में न्यायाधिकरण स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां पर ये न्यायाधिकरण पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं; और

(ग) शेष राज्यों की राजधानियों में ये न्यायाधिकरण कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातोन्मुखी इकाइयों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

1275. **श्री बाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से देश में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना में सहयोग करने के प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों में सरकार ने 110 शत प्रतिशत निर्यातान्मुखी खाद्य प्रसंस्करण और गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्यमों की स्थापना करने के लिए मंजूरी दी है जिनमें अनिवासी भारतीयों और/या विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश शामिल है। उनके उप-क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नलिखित है

क्रम संख्या	उप-क्षेत्र	मंजू. किए गए अनुमोदनों की संख्या
1.	अनाज/अनाज प्रसंस्करण	1
2.	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण	60
3.	मांस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण	8
4.	उपभोक्ता उद्योग	2
5.	गहन समुद्री मात्स्यिकी एवं मछली प्रसंस्करण	39
	कुल जोड :	110

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1276. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी है;

(ख) कुल कितनी सहायता मांगी गई है;

(ग) इस सहायता से चलाई जाने वाली विकासात्मक गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगने हेतु कोई परियोजना प्रस्ताय नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रुपये की नीलामी

1277 **डा० रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल ही की रूस यात्रा के दौरान भारतीय रुपये की नीलामी के संबंध में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री की रूस की हाल की यात्रा के दौरान रूस द्वारा भारत से सामग्री के आयात के लिए ऋण की अदायगी के कारण शेष रुपयों के उपयोग के लिए तौर-तरीके खोजने के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। रूसी पक्ष ने भारतीय पक्ष को यह सूचित किया कि वे रुपयों की शेष राशि के एक भाग की रूसी कम्पनियों को नीलामी करना चाहते हैं ताकि भारत से आयात करने के लिए उनकी नगदी की समस्या हल हो जाए।

इस्लामिक देशों की यात्राएं

1278 **श्री रवि राय :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश राज्य मंत्री ने हाल ही में कुछ इस्लामिक देशों की यात्राएं की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस यात्रा का उद्देश्य क्या था और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भात के पक्ष और भारतीय क्षेत्र में समस्या और अव्यवस्था पैदा करने में पाकिस्तानी भूमिका को स्पष्ट किया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में देशवार क्या प्रतिक्रिया रही ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) से (घ) विदेश राज्य मंत्री श्री आर०एल० भाटिया ने ईरान, टर्की तथा कतर (6-9 जुलाई, 1994) तथा विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने कजाकस्तान, किर्गीज गणराज्य तथा ताजिकिस्तान (6-10 जून, 1994) की यात्रा की।

इन यात्राओं के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के मसलों तथा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचारों का महत्वपूर्ण आदान-प्रदान हुआ। हमने अन्य बातों के अलावा इन देशों को जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति से सम्बद्ध

सही तथ्यों, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध तोड़-फोड़ तथा आतंकवाद की गतिविधियों को समर्थन दिए जाने, पाकिस्तान के साथ सभी मतभेदों को शांतपूर्ण ढंग से तथा शिमला समझौते की रूपरेखा के अन्तर्गत द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाने की अपनी वचनबद्धता से अवगत करा दिया है।

भारत के दृष्टिकोण को सामान्य रूप से समझा जा रहा है तथा भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर समेत सभी मतभेदों को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की प्रक्रिया के प्रति आम समर्थन है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

1279. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन भाण्डारण और वितरण के लिए पूंजी निवेश किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इसमें क्या शर्तें रखी गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस के नए स्रोतों का पता लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर खनन कार्य करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजस्थान के विशाल थार मरुस्थल में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भण्डारों का पता चला है; और

(च) यदि हां, तो थार मरुस्थल उत्पादन कब तक आरंभ हो जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने प्रथम और द्वितीय चक्र के दौरान मध्यम तथा छोटे आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए विदेशी तथा भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया था। वे विदेशी कंपनियां जिन्होंने प्रथम तथा द्वितीय चक्र के तहत मध्यम तथा लघु आकार के क्षेत्रों के विकास के संबंध में बोलियां प्रस्तुत की थी, उनके संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मध्यमाकारीय क्षेत्रों का विकास एक तरफ आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि० तथा आयल इंडिया लि० द्वारा किया जाएगा वहीं दूसरी तरफ निजी कंपनियों द्वारा; जबकि लघु आकार के क्षेत्रों को आयल एण्ड नेचुरल गैस का० लि०/आयल इंडिया लि० को किसी भागीदारी के बिना कंपनियों द्वारा भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित होने वाली उत्पादन भागीदारी संविदाओं के तहत इन कंपिनयों द्वारा स्वतः विकसित किया जाएगा। क्रूड आयल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में उठाए गए कदमों में विद्यमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास और नए क्षेत्रों का विकास सम्मिलित है।

बीस से अधिक विदेशी कंपनियों या तो स्वतः अथवा भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में स्नेहकों तथा एल पी जी (रसोई गैस) जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण संबंधी कार्य कर रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) आयल एण्ड नेचुरल गैस का कार०/आयल इंडिया लि० के अन्वेषण संबंधी प्रयासों के अतिरिक्त

सरकार ने भारत में विशेष ब्लॉकों के अन्तर्गत तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए समय-समय पर भारतीय तथा विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया है। अभी तक बोलियों के 8 चक्र जारी किए गए हैं। अंतिम चक्र जुलाई, 1994 के अंतर्गत जारी किया गया था जिसके तहत 34 ब्लॉक प्रस्तावित किए गए हैं।

(ङ) और (च) 01 जनवरी, 1994 की स्थिति में राजस्थान के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए स्थापिक तेल तथा गैस भंडार क्रमश : तेल के संबंध में 13.32 मि०टन० तथा गैस के संबंध में 6.91 बिलियन मानक घन मीटर हैं। 1995 के मध्य से गैस का उपयोग आरंभ होना प्रत्याशित है। जहां तक क्रूड आयल का संबंध है अभी तक किन्ही उत्पादन योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

प्रथम चक्र

विदेशी कंपनियां

1. वाल्कों एनर्जी इंक यू०एस०ए०।
2. ह्युन्डाई हैवी इंडस्ट्रीज कंपनी लि०, दक्षिणी कोरिया।
3. बी०एच०पी०, पेट्रोलियम (इंडिया) (इंक) आस्ट्रेलिया।
4. आक्सीडेन्टल इंटरनेशनल एक्स्पलोरेशन एण्ड प्रोडक्शन कं० यू०एस०ए०
5. पेट्रोनास कारीगैली ओवरसीज मलेशिया।
6. ओलपिक आयल एण्ड गैस कार० यू०एस०ए०।
7. ब्रासों प्रोडक्शन मैनेजमैंट इंक यू०एस०ए०।
8. एनरान एक्स्प्लोरेशन कं० यू०एस०ए०।
9. कंमाड पेट्रोलियम एन०एल० आस्ट्रेलिया।
10. चाइना पेट्रोलियम टेक्नोलोजी एण्ड डेवलैपमैंट का०, पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना।
11. वाल्टर इंटरनेशनल इंक यू०एस०ए०।
12. न्यूवो एनर्जी कं०, यू०एस०ए०।
13. मौसबेचर इंटरनेशनल इंक, यू०एस०ए०।
14. इंटरनेशनल पेट्रोलियम का० बरमूडा।
15. कैपेजिन जियो फाइनासिंआर फ्रांस।
16. ए०एम०ई०सी० प्रोसेस एण्ड एनर्जी इंटरनेशनल लि० यू० के०।
17. मैकेना इंजीनियरिंग एण्ड इक्यूपमैंट कं० यू०एस०ए०।
18. अमेरिकन ईगल अलेक्ट्रानिक सिस्टमस यू०एस०ए०।

19. नोवास्को बल सर्विस लि० कनाडा।

20. जैयिश (लंदन) लि० यू०के०

21. जोशी टेक्नोलोजी इंटरनेशनल इंक यू०एस०ए०

बोली का द्वितीय चक्र

विदेशी कंपनियां

1. ओमीमैक्स एनर्जी यू० एस० ए०

2. बैचल एनर्जी, यू०एस०ए०

3. नारायण कंसलटैंटस, कनाडा

4. क्लाइड एक्सप्रो पी०एल०सी०यू०के०

5. सैम्सन इंटरनेशनल यू०एस०ए०

6. कंपेजनी जियोफाइनांसर, फ्रांस

7. चाईना पेट्रोलियम टेक्नोलोजी डेवलैपमैंट का०. पीपुल्स रिप० आफ चाइना

8. जोशी टेक्नोलोजीज, यू०एस०ए०

9. बी०एन०जी० होल्डिंग्स कनाडा

10. रसपैट्रोल, यू०एस०ए०

11. बेरी क्रोक रिसोर्सेज इंक, कनाडा।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों द्वारा माल की ढुलाई

1280. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के द्वारा माल ढुलाई सेक्टर खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी निजी कंपनियों ने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) सामान की लदान की दरों के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या इच्छुक कंपनियों को सामान की ढुलाई की मंजूरी के लिए पंजीकरण शुल्क और सामान के लदान और उतारने के लिए प्लेटफार्म शुल्क देना पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) माल-परिवहन पहले ही निजी क्षेत्र की नौवहन कंपनियों के लिए खुला है यदि मौजूदा नौवहन कंपनियां इस समय प्रचालन न करें, तो ऐसे लाइनर रूटों के लाइसैंस समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भाड़े की दर का निर्णय बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) पर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खनन क्षेत्र में विदेशी निवेश

1281. **श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने खनन क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को सहायता देने हेतु एक सलाहकार समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के कौन-कौन सदस्य हैं तथा इसके उद्देश्य क्या है; और

(ग) खनन क्षेत्र में विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) खान मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित की गई है जो खान मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अधीनस्थ कार्यालयों को विदेशी निवेशकों से सहयोग और संयुक्त उद्यम समझौतों के लिये प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित नीतिगत विषयों पर बेहतर समन्वय और आम दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु विदेशी निवेशकों से बात-चीत करने में मदद करेगी। इस समिति में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक, हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्युमिनिमय कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव और संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि, जब कभी आवश्यक हो, शामिल हैं। खान मंत्रालय के निदेशक, समिति के सदस्य सचिव हैं।

(ग) देश और विदेशों में हमारे दूतावासों के माध्यम से उदारीकरण उपायों का वृहद प्रचार किया गया है। भारत में गवेषण और खनन में विदेशी निवेश पर एक अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन अप्रैल, 1994 में आयोजित किया गया था। निपटान में गति लाने के लिये, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रक्रियात्मक सुधार लागू किये गये हैं।

चुंगी की समाप्ति

1282. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्योति बसु समिति ने चुंगी की समाप्ति के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने यह सुझाव दिया है कि जब तक राजस्व के वैकल्पिक स्त्रोतों की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक चुंगी को समाप्त नहीं किया जा सकता; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) (क) जी, हां।

(ख) समिति ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि चुंगी को संविधान में राज्य सूची की प्रविष्टि-52 का संरक्षण प्राप्त है और इसे समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) समिति द्वारा उल्लिखित संवैधानिक, प्रावधानों को मद्दे नजर रखते हुए सरकार की ओर से कोई और कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है।

11.20 म०पू०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 2 अगस्त, 1994/
11 श्रावण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।